

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार – 2005 :-

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के क्रियाकलाप में पारदर्शिता और जवाबदेही उन्नत करने के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन नागरिकों को सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन तथा सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा उससे संबद्ध विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों की जानकारी उपलब्ध करने के लिए अधिनियम अन्तर्गत सूचना का अधिकार लागू किया गया ।

1.2 उद्देश्य :-

1. उद्देशिका में लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हुए यह माना गया है कि संवेदनशील गोपनीयता बनाए रखने के लिए परिरक्षित सूचना/जानकारी को छोड़कर शेष सूचना/जानकारी से नागरिकों को जो सूचना जानकारी चाहते हैं उन्हें अवगत कराना सरकारों तथा उनके माध्यमों का कर्तव्य होगा ।
2. पारदर्शिता तथा जवाबदेही नागरिकों के प्रति सरकारों तथा उनके माध्यमों द्वारा बनाए रखने में विकृति/भ्रष्टता भी दूर रह सकेगी तथा जनविश्वास एवं जनभागीदारी को यथार्थ प्रोत्साहित किया जा सकेगा ।
3. नागरिकों से संबंधित लोकहित के कार्यों में अनावश्यक विलंब तथा नौकरशाही का प्रमाद दूर रह सकेगा और शासन तथा उसके माध्यमों द्वारा जनता/नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने का एहसास पुष्ट हो सकेगा ।
4. नागरिकों को भी कानून के दायरे में रहकर अनावश्यक रूप से शासन या उसके माध्यमों को अकारण परेशान करने से आत्मसंयम रखना होगा तथा व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर, राष्ट्रहित में स्वस्थ चिंतन रखना होगा ।

1.3 हस्त पुस्तिका का प्रारूप :-

स्कूल शिक्षा विभाग की हस्तपुस्तिका में समग्र रूप से 18 अध्याय संगठित हैं जिनका विवरण आगे अभिलिखित है :

अध्याय	विषय वस्तु	
अध्याय 1	प्रस्तावना	
अध्याय 2	(मैन्यूअल-1)	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य
अध्याय 3	(मैन्यूअल-2)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
अध्याय 4	(मैन्यूअल-3)	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
अध्याय 5	(मैन्यूअल-4)	कृत्यों के निर्वहन हेतु स्थापित मापदण्डों का निर्धारण।
अध्याय 6	(मैन्यूअल-5)	लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्ग (Category) के अनुसार विवरण
अध्याय 7	(मैन्यूअल-6)	बोर्ड परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण
अध्याय 8	(मैन्यूअल-7)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, एवं अन्य विशिष्टियाँ
अध्याय 9	(मैन्यूअल-8)	निर्णय लेने की प्रक्रिया
अध्याय 10	(मैन्यूअल-9)	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
अध्याय 11	(मैन्यूअल-10)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति
अध्याय 12	(मैन्यूअल-11)	प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)
अध्याय 13	(मैन्यूअल-12)	अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति
अध्याय 14	(मैन्यूअल-13)	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण
अध्याय 15	(मैन्यूअल-14)	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं
अध्याय 16	(मैन्यूअल-15)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
अध्याय 17	(मैन्यूअल-16)	जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण
अध्याय 18	(मैन्यूअल-17)	सरकार द्वारा प्रावधान की गई अन्य कोई सूचना

अध्याय – 2

(मैन्यूअल-1)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

1 नवंबर 2000 को संयुक्त म.प्र. से विभाजित होकर नये छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। इसी तिथि से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर, छत्तीसगढ़, भी अस्तित्व में आकर क्रियाशील है।

परिषद् की स्थापना के उद्देश्य :-

- औपचारिक तथा औपचारिकेत्तर स्कूल के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित करना।
- शिक्षा को तकनीकी सहयोग देना।
- मूल्यांकन की समुचित तकनीकी और प्रक्रिया आयोजित करना।
- शैक्षिक शोध तथा शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार के लिए कार्य करना।
- शैक्षिक समस्याओं को हल करने में अन्तर अनुशासनात्मक (इंटर डिस्प्लिनरी) प्रक्रिया विकसित करना।
- स्कूल शिक्षा विभाग की शीर्षस्थ अकादमिक संस्था तथा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
- शिक्षकों एवं शिक्षा प्रशासकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण का आयोजन करना।
- शिकायत व विभागीय जाँच तथा न्यायालयीन प्रकरणों पर कार्यवाही करना।

परिषद् के कार्य :-

- विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन –
- शालेय शिक्षा से जुड़े शिक्षा प्रशासकों एवं शिक्षकों की आवश्यकता की पहचान कर प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम संशोधन एवं निर्माण।
- पाठ्यपुस्तक निर्माण।
- अधीनस्थ संस्थाओं को अकादमिक एवं प्रशासनिक निर्देशन।
- शोध एवं नवाचार।
- शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न संस्थाओं से समन्वय।

परिषद् के मुख्य कृत्य : -

- 1- पूर्व सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा (डी.एड., बी.एड., एवं एम.एड.)
- 2- सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण
- 3- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करना।
- 4- राष्ट्रीय भारतीय मिलिटरी कॉलेज देहरादून की प्रवेश परीक्षा आयोजित करना।
- 5- मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर कार्य करना।
- 6- विज्ञान प्रतियोगितायें
- 7- शोध-नवाचार
- 8- शिक्षक शिक्षा (डी.एड., बी.एड. एवं एम.एड.)

—डी.एड., बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु निजी संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु परीक्षा की कार्यवाही।

—शासकीय संस्थाओं में डी.एड., बी.एड. एवं एम.एड. सीधी भर्ती एवं विभागीय प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करना।

—डी.एड.के पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम संशोधन का कार्य।

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) छत्तीसगढ़, :-**उद्देश्य :-**

- राज्य के शैक्षिक प्रशासकों का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण।
- शैक्षिक संस्थाओं को शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन में मार्गदर्शन।
- शैक्षिक शोध कार्य का संवर्धन।
- शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण।
- शैक्षिक आवश्यकतानुरूप लघु एवं दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संपादन।
- शैक्षिक माड्यूल का विकास।
- विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं से समन्वय।

ऑग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (ई.एल.टी.आई.) छत्तीसगढ़, :-


उद्देश्य :-

- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी शिक्षक। व्याख्याताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- शैक्षणिक संस्थाओं के अंग्रेजी भाषा शिक्षण की गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु जिला स्त्रोत पुरुषों को प्रशिक्षण देना।
- अंग्रेजी शिक्षण में नवाचार, शोध हेतु समय-समय पर सेमीनार आयोजित करना।
- पाठ्यपुस्तक कक्षा 01 से 08 तक सहायक सामग्री का निर्माण करना।

छत्तीसगढ़ की शिक्षक प्रशिक्षक संस्थायें – एक नजर (संगठनात्मक ढाँचा)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर, शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय संस्था है।

प्रशासनिक संरचना



प्री.बी.एड. प्रवेश नियम**स्कूल शिक्षा विभाग****मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर****रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006****// अधिसूचना //**

क्रमांक 5-5-20/2006 – राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार-इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 होगा। यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों पर लागू होंगे। यह तत्काल प्रभावशील होंगे।
2. परिभाषाएँ इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेरित न हो –
 - (क) **“राज्य शासन”** से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन।
 - (ख) **“श्रेणी”** से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।
 - (ग) **“संवर्ग”** से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक।
 - (घ) **“प्री बी.एड. परीक्षा”** से तात्पर्य है, बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा।
 - (ङ) **“संचालक”** से तात्पर्य है, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्।
 - (च) **“अनुदान प्राप्त महाविद्यालय”** से तात्पर्य है, ऐसा महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन के किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल-अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और “गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय” का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा।
 - ¹(छ) गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय से अभिप्रेत है कि ऐसे महाविद्यालय

जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करते हों।

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं. 18-44/20/2007 दिनांक 29 मार्च 2007 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

¹(ज) "ऑनलाइन आंबटन" से अभिप्रेत है कि प्री.बी.एड. प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आंबटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्री.बी.एड.परीक्षा प्रावीण्यता, महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय का आंबटन किया जाता है।

3. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश –

²(क) **प्री बी.एड. परीक्षा –** सामान्यतया बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.बी.एड. की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आंबटन के माध्यम से ही दिया जायेगा।

(ख) मूल निवासी – राज्य के शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(ग) न्यूनतम आयु—किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री.बी.एड. परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर अथवा उसके पूर्व की तिथि में 20 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो।

4. प्री.बी.एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं – बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी –

(क) भारत का नागरिक हो।

³(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त हो। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों में छूट की व्यवस्था होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो त्रिवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5-5/2006/20-एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
2. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5-5/2006/20-एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
3. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5-5/2006/20-एक दिनांक 9 अगस्त 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

(स्नातक प्राप्तांक निर्धारित अंक से कम होने पर) के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री.बी.एड.परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जायेगा। परंतु उन्हें ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्री.बी.एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची में होने पर भी उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5. बी.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण – बी.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होंगी, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी-वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत।

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत।

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय

पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

¹(ग) "उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों" एवं 'गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों' में लागू नहीं होंगे।"

6. प्री. बी.एड. परीक्षा –

- (क) प्रतिवर्ष बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री. बी.एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- (ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री.बी.एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।
- (ग) प्री. बी.एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा –
1. सामान्य मानसिक योग्यता – 30 प्रतिशत।
 2. सामान्य ज्ञान – 20 प्रतिशत।
 3. सामान्य अभिरूचि – 30 प्रतिशत।
 4. सामान्य हिन्दी – 10 प्रतिशत।
 5. सामान्य अंग्रेजी – 10 प्रतिशत।
- (घ) केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।
- (ड.) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- (च) प्री. बी.एड. परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

7. प्रावीण्य सूची – प्री. बी.एड. परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जायेंगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा सामान्य सभी जातियों

को शामिल किया जाएगा। प्रावीण्य सूचियाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा

अन्य अभ्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक बनाई जायेंगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी

का वर्ग भी अंकित किया जायेगा। समान प्राप्तांक होने पर भी अधिक आयु वाले

अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में उपर रखा जाएगा।

-
1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5-5/2006/20-एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

¹ 8. ऑनलाइन आबंटन-

- (क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आबंटन विधि से किया जावेगा।
- (ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों तथा 350/- रु. (अक्षरी- तीन सौ पचास रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केन्द्रों में अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी।
- (ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।
- (घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।
- (ङ) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.बी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा।
- (च) सीट आबंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी। सीट्स आबंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।
- (छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आबंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आबंटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।

(ज) महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आबंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

9. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश – आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

-
1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5-5/2006/20-एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रति स्थापित।

10. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश—किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा –

- (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ग) अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और बाद में भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ङ) सभी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी।

11. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –

इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी।

- 12. प्रवेश का निरस्तीकरण** – यदि यह पाया जात है कि अभ्यर्थी के महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्वसूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।
- 13. महाविद्यालय की फीस** – सभी महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अधीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा।

परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौपें तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता को सूचना के लिए प्रदेश के कम कम से दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे।

परंतु यह भी कि महाविद्यालयों को प्री.बी.एड. परीक्षा का प्रास्पेक्ट्स छापने के पूर्व अपनी फीस प्री.बी.एड. एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होंगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेक्ट्स में छापी जा सके।

परंतु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी।

- 14. नियमों की व्याख्या** – प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(डॉ. आलोक शुक्ला)

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

// आवश्यक सूचना //

1. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की तिथि तथा केवल कार्यक्रम का विज्ञापन ही एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में तथा छ.ग. राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में ऑनलाइन आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के 3-4 दिवस पूर्व देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आबंटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश इस विवरणिका के साथ दिया गया है इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक कर लें।
2. आवश्यक दिशा निर्देश में ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित केन्द्रों की सूची भी दिया गया है।
3. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आबंटन प्रक्रिया शुल्क 350/- चालान के माध्यम से ही लिया जायेगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ दिया गया है।
4. अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आबंटन की सूचना डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी आबंटन की जानकारी परिषद् के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में जाकर MKCL के साइट में जाने का लिंक का उपयोग कर MKCL के वेबसाइट में अपना विकल्प फार्म क्रमांक /प्री.बी.एड. रोल नम्बर Submit कर प्राप्त कर सकते हैं।
5. महाविद्यालय आबंटित होने के बाद अभ्यर्थी को अपने केन्द्र में जाकर अस्थाई सीट्स आबंटन पत्र (प्रवेश सूचना) केन्द्र समन्वयक के हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करने होंगे या MKCL के वेबसाइट oasis.mkcl.org/cgbed2013 में अपना विकल्प फार्म/प्री. बी.एड. का रोल नम्बर Submit कर आबंटन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। आबंटन पत्र के बिना चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देगा। महाविद्यालय को भी चयनित अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश देना होगा ऐसा नहीं करने पर महाविद्यालय को आगामी सूची में सीटे रिक्त रहने पर भी छात्र आबंटित नहीं किये जायेगे।
6. महाविद्यालय में प्रवेश के समय उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, उसके उपरांत ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त में स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
7. 31 सितम्बर 2013 के पश्चात् सत्र 2013-14 हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया नहीं की जावेगी।
8. राज्य के शासकीय/अनुदान प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश में सीटों का आरक्षण छ.ग. शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है। प्रवेश के समय छ.ग. शासन द्वारा लागू आरक्षण नियमों/निर्देशों के अंतर्गत प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
9. समय-समय पर संशोधित नियम एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में देखे जा सकते हैं।

10. निजी महाविद्यालयों का प्रवेश शुल्क शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा। इसकी जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> से प्राप्त कर सकते हैं।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

बी.एड. संचालित संस्थाओं में स्वीकृत सीटों का विवरण

क्र.	जिला	संस्था का नाम एवं पता	महा- विद्यालय का प्रकार	महा - विद्यालय का कोड	सीटों का प्रकार	योग 100%
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	शास. शिक्षा महा. रायपुर	शासकीय	119101	छ.ग.के निवासी	93
					अखिल भारतीय	—
2	रायपुर	पं.हरिशंकर शुक्ल महाविद्यालय, कचना रोड रायपुर	निजी	119317	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
3	रायपुर	सेंट विन्सेंट पैलौटी कॉलेज कापा, रायपुर	अल्प संख्यक (निजी)	119401	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
4	रायपुर	प्रगति कॉलेज सेंट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर	निजी	119310	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
5	रायपुर	दुर्गा महाविद्यालय के.के.रोड़ मौदहापारा रायपुर	निजी	119316	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
6	रायपुर	विकास शिक्षा महाविद्यालय देवपुरी रायपुर	निजी	110319	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
7	रायपुर	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नयापारा राजिम जिला - रायपुर	निजी	119314	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
8	रायपुर	दिशा कालेज आफ आई.टी.	निजी	119306	छ.ग.के निवासी	80

		कोटा, रायपुर			अखिल भारतीय	20
9	रायपुर	इंस्टीट्यूट आफ टीचर्स एज्यूकेशन पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर	विश्व विद्यालय स्व-वित्तपोसी	119313	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
10	रायपुर	इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, गरियाबंद जिला-रायपुर	निजी	119303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
11	रायपुर	विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, कोटा, रायपुर	निजी	119302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
12	रायपुर	कालिंदी महाविद्यालय एम.एम. आई. हास्पिटल के पीछे लालपुर, रायपुर	निजी	119320	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
13	रायपुर	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कालोनी, रायपुर	निजी	119325	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
14	रायपुर	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेलभाठा अभनपुर	निजी	119323	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
15	रायपुर	नेताजी सुभाष कॉलेज बेलभाठा अभनपुर	निजी	119324	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
16	रायपुर	गुरुकुल इंस्टीट्यूट केशोडार रोड, गरियाबंद	निजी	119322	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
17	रायपुर	मेट्स विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय, गुल्लु आरंग, रायपुर	निजी	119321	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
18	रायपुर	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन 58 -59 सुन्दरनगर, रायपुर	निजी	119315	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
19	रायपुर	विप्र कला वाणिज्य और शारीरिक शिक्षा महा.वि. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पीछे डुमरतालाब रायपुर	निजी	119326	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

20	रायपुर	महात्मा गांधी कालेज गुरुद्वारा के पीछे स्टेशन रोड	निजी	119327	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
21	रायगढ़	एरिसेन्ट कालेज पटेलपाली ,एन.एच 16 सारंगढ़ रोड़ रायगढ़	निजी	122301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
22	दुर्ग	कल्याण महा. सेक्टर-7 भिलाईनगर जिला - दुर्ग	अनुदान प्राप्त (निजी)	114201	छ.ग.के निवासी	300
					अखिल भारतीय	—
23	दुर्ग	सेंट थामस महाविद्यालय रूआबांधा, भिलाई	अल्प संख्यक (निजी)	114402	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
24	दुर्ग	भिलाई मैत्री कॉलेज रिसाली, सेक्टर, भिलाई-दुर्ग	निजी	114303	छ.ग.के निवासी	160
					अखिल भारतीय	40
25	दुर्ग	जी.एस. आर्य कन्या महा. आर्य नगर, दुर्ग	निजी	114323	छ.ग.के निवासी	80
			कन्या		अखिल भारतीय	20
26	दुर्ग	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय सेक्टर-6, भिलाईनगर	निजी	114301	छ.ग.के निवासी	160
					अखिल भारतीय	40
27	दुर्ग	मनसा कॉलेज, इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कोहका रोड,कुरुद, भिलाई	निजी	114310	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
28	दुर्ग	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, दुर्ग	निजी	114325	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
29	दुर्ग	छत्तीसगढ़ कल्याण समिति अहिरी, दुर्ग	निजी	114304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
30	दुर्ग	भिलाई नायर समाजम कॉलेज सेक्टर-8, भिलाई नगर, जिला - दुर्ग	निजी	114321	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
31	दुर्ग	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई	निजी	114306	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

32	दुर्ग	स्वामी स्वरूपानंद इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन, भिलाई	निजी	114302	छ.ग.के निवासी	160
					अखिल भारतीय	40
33	दुर्ग	रुंगटा कॉलेज आफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी ,जी.ई.रोड गंजपारा दुर्ग	निजी	114324	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
34	दुर्ग	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय सेक्टर-6 भिलाईनगर	अल्प संख्यक (निजी)	114401	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
35	दुर्ग	अपोलो कॉलेज अपोजिट वेटनरी कॉलेज, अंजोरा, जिला-दुर्ग	निजी	114308	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
36	दुर्ग	उदय महाविद्यालय आई.टी. आई कालोनी के बगल में भिलाई-दुर्ग	निजी	114307	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
37	दुर्ग	एम.जे. कॉलेज कोहका जुनवानी रोड, भिलाई	निजी	114326	छ.ग.के निवासी	160
					अखिल भारतीय	40
38	दुर्ग	बी.आई.आई.टी. महाविद्यालय, पदनाभपुर, पुलगांव बायपास रोड, दुर्ग	निजी	114322	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
39	दुर्ग	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला, वाणिज्य एवं शिक्षा महाविद्यालय, धनोरा रोड, रिसाली भिलाई	निजी	114314	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
40	दुर्ग	सेठ शगुनचंद सुराना कॉलेज महावीर कॉलोनी दुर्ग	निजी	114319	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
41	दुर्ग	जगतगुरु शंकराचार्य कॉलेज भिलाई दुर्ग	निजी	114327	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
42	दुर्ग	कांतीदर्शन महाविद्यालय कांतिदर्शन परिसर कोसानगर दुर्ग	निजी	114320	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

43	दुर्ग	भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई	निजी	114328	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
44	दुर्ग	जी.डी.रुगंटा कॉलेज कोहका-कुरुद रोड, भिलाई-दुर्ग	निजी	114311	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
45	दुर्ग	अग्रसेन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन ग्राम-धनोरा, दुर्ग	निजी	114316	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
46	दुर्ग	आर्यावर्त शिक्षा महाविद्यालय रुआबांधा भिलाई-दुर्ग	निजी	114318	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
47	दुर्ग	सेठ बद्रीलाल खण्डेलवाल शिक्षा महाविद्यालय, गौरव पथ, उतई रोड दुर्ग	निजी	114317	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
48	दुर्ग	भिलाई कालेज ऑफ आई.टी. जामुल ,भिलाई वार्ड 4 चंडी मंदिर वार्ड अहिरवारा रोड भिलाई	निजी	114312	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
49	दुर्ग	खालसा कॉलेज मालवीय नगर चौक, दुर्ग	निजी	114315	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
50	कोरबा	अग्रसेन महाविद्यालय, कोरबा	निजी	116301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
51	कोरबा	कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा	निजी	116303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
52	जगदलपुर	क्राइस्ट कॉलेज गीदम रोड, जगदलपुर	अल्प संख्यक (निजी)	110401	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
53	जगदलपुर	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय कंगोली जगदलपुर	निजी	110301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
54	जगदलपुर	सूर्या महाविद्यालय जगदलपुर	निजी	110302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
55	बिलासपुर	शास. शिक्षा.महा. बिलासपुर	शासकीय	111101	छ.ग.के निवासी	95

					अखिल भारतीय	—
56	बिलासपुर	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर	निजी	111303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
57	बिलासपुर	मौलाना आजाद, शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर	निजी	111304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
58	बिलासपुर	डॉ. सी.व्ही. रमन शिक्षा महाविद्यालय कोटा, बिलासपुर	निजी	111302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
59	बिलासपुर	सी.एम.डी.कॉलेज, लिंकरोड, बिलासपुर	निजी	111305	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
60	बिलासपुर	शिक्षा महाविद्यालय मेडुका, ग्राम—मेडुका, पोस्ट—दर्री, वाया पेण्ड्रा रोड,बिलासपुर	निजी	111306	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
61	बिलासपुर	श्री सिद्ध पीठ महामाया शिक्षा महाविद्यालय नेहरू नगर, बिलासपुर	निजी	111307	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
62	बिलासपुर	शुभम शिक्षण महाविद्यालय बिलासपुर	निजी	111308	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
63	बिलासपुर	डी.एल.एस.कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिलासपुर	निजी	111309	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
64	बिलासपुर	जे.ई.एस कालेज ग्राम फरहदा ,गतौरा रेल्वे स्टेशन के पास ,बिलासपुर	निजी	111310	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
65	बिलासपुर	आयुष कालेज ऑफ एजुकेशन मरवाही,लोहारी पोस्ट—मरवाही जिला बिलासपुर	निजी	111311	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
66	बिलासपुर	जी.टी.बी.कालेज ऑफ	निजी	111312	छ.ग.के निवासी	80

		एज्यूकेशन फरहदा ,गतौरा रेल्वे स्टेशन के पास ,बिलासपुर			अखिल भारतीय	20
67	अंबिकापुर	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, नमनाकला, अम्बिकापुर	निजी	121303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
68	अंबिकापुर	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर अंबिकापुर	निजी	121304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
69	अंबिकापुर	सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, अम्बिकापुर	अल्प संख्यक (निजी)	1121301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
70	कोरिया	डॉ.आर.एन.एस.शिक्षा महाविद्यालय मोहरपारा, मनेन्द्रगढ़, कोरिया	निजी	117302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
71	जांजगीर	हरिशंकर कॉलेज आफ एज्यूकेशन, जांजगीर	निजी	115303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
72	जांजगीर	राहौद एज्यूकेशन सोसायटी व्याहा- खरौद, ग्रा.+पो. राहौद	निजी	115304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
73	जांजगीर	कोणार्क कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, खोकसा पिथमपुर चौक, जांजगीर	निजी	115305	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
74	जांजगीर	ज्ञानदीप शिक्षा महाविद्यालय जांजगीर	निजी	115307	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
75	जांजगीर	ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय जांजगीर	निजी	115308	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
76	जांजगीर	जगरानी देवी शिक्षा महाविद्यालय बाराद्वार जांजगीर-चांपा	निजी	115301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
77	जांजगीर	उत्कर्ष कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, सरखो रोड, जांजगीर चांपा	निजी	115302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

78	जांजगीर	केसरी शिक्षण समिति खोखरा ,जांजगीर चांपा	निजी	115310	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
79	जांजगीर	ज्ञान रोशनी लोक कल्याण संस्था खोखरा ,जांजगीर चांपा	निजी	115311	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
80	जांजगीर	श्याम शिक्षा महाविद्यालय ,रिशमतिर्थ ,सक्ती तह.सक्ती ,जिला जांजगीर चांपा	निजी	115312	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
81	जांजगीर	श्री महंतलालदास शिक्षा महाविद्यालय शिवरीनारायण जांजगीर चांपा	निजी	115309	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
82	राजनांदगांव	श्रीराम कॉलेज आफ एज्युकेशन, श्री राम परिसर, ठाकुर टोला, राजनांदगांव	निजी	120301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
83	राजनांदगांव	कान्फ्लूयेंस कॉलेज आफ हायर एज्युकेशन, राजनांदगांव	निजी	120302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
84	राजनांदगांव	रॉयल कॉलेज लालबाग, राजनांदगांव	निजी	120303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
85	राजनांदगांव	सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट देवादा चौक जी.ई.रोड राजनांदगांव	निजी	120304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
86	महासमुंद	इंडियन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन रायपुर रोड बैल सोन्डा 493445 महासमुंद	निजी	18302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
87	महासमुंद	प्रतीभा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन ,बालसी ,सराईपाली जिला महासमुंद	निजी	118303	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
88	दंतेवाड़ा	विश्वभारती इंस्टीट्यूट कोंटा दंतेवाड़ा	निजी	112301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

89	रायपुर	कमलाकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट देवरी,भाटापारा रायपुर	निजी	119328	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
90	दुर्ग	संदीपनी एकेडमिक अछोटी मुरमुंदा तह.धमधा दुर्ग	निजी	114329	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
91	दुर्ग	शैलदेवी महाविद्यालय ग्राम अण्डा जिला दुर्ग	निजी	114330	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
92	दुर्ग	डी.ए.व्ही.माडल कालेज धमधा रोड ,जिला दुर्ग	निजी	114331	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
93	बिलासपुर	पं. मदनमोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय लावर,पो.आ.कोनी मस्तुरी रोड,लावर मोड़ बिलासपुर	निजी	111314	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
94	दुर्ग	भिलाई स्कूल ऑफ एज्युकेशन एवं रिसर्च प्लाट न. 1268, चन्द्रखुरी, दुर्ग	निजी	114332	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
95	दुर्ग	रुंगटा कॉलेज आफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी दुर्ग	निजी	114333	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
96	बिलासपुर	एस.एस.कालेज ऑफ एजुकेशन सारबहरा, पेन्द्रारोड़ बिलासपुर (छ.ग.)	निजी	111313	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
97	बिलासपुर	संत गुरुघासी दास शिक्षा ऑफ एज्युकेशन, पचपेड़ी, व्हाया मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	निजी	111301	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
98	रायगढ़	जानकी कालेज ऑफ एजुकेशन धनुहारडेरा, रायगढ़	निजी	122302	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
99	राजनांदगांव	सोमनी महाविद्यालय, सोमनी जिला-राजनांदगांव	निजी	120305	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
100	रायपुर	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट	निजी	119329	छ.ग.के निवासी	80

		ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नया रायपुर मुक्तागंन के पास चंपारन रोड़ नया रायपुर			अखिल भारतीय	20
101	दुर्ग	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पावरग्रीड कार्पोरेशन के पास, हॉलीडे रिशोर्ट के पीछे, कुम्हारी, धमधा, दुर्ग	निजी	114334	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
102	जांजगीर चांपा	संदीपनी शिक्षा महाविद्यालय बुन्देला रोड़, पानी टैंक के पास, राहौद	निजी	115313	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
103	अंबिकापुर	पावर्ती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड मनेजमेन्ट कालेज मदनपुर मनेन्द्रगढ़, रोड पोस्ट—सिलकली, जिला सूरजपुर, अंबिकापुर	निजी	121305	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
104	जांजगीर	लाल बहादुर शास्त्री कालेज, हरदीबाजार रोड़, बलौदा जिला—जांजगीर चांपा	निजी	115306	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
105	बेमेतरा	समाधान कालेज, समृद्धि विहार एलोन्स पब्लिक स्कूल के पास बेरला रोड़, बेमेतरा	निजी	114335	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
106	जांजगीर चांपा	श्री कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय पिथमपुर चौक, खोखसा जांजगीर चांपा	निजी	115314	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
107	कोरबा	हसदेव एज्युकेशन कालेज आमापाली, तिलकेजा कोरबा	निजी	116304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
108	दुर्ग	बी.एम. कालेज, शासकीय आईटी.आई के सामने बालोदरोड, कोलिहापुरी दुर्ग	निजी	114336	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20

109	रायपुर	के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, रूंगटा एज्युकेशन केम्पस, वीर सावरकर नगर, नंदनवन के पास रायपुर	निजी	114337	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
110	रायपुर	दिशा कालेज ऑफ मेनेजमेन्ट एण्ड स्टडीज सत्यविहार विधानसभा चन्द्रखुरी मार्ग, रायपुर व्याहा-पचेड़ा, मंदिर हसौद	निजी	119331	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
111	रायपुर	दिशा कालेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स, बिल्डींग-2 दिशा पार्क, रामनगर, कोटा रोड रायपुर	निजी	119330	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
112	रायपुर	सेन्ट्रल कालेज ऑफ एज्युकेशन CCE, NH-6 राजू ढाबा के पास मन्दिर हसौद, रायपुर	निजी	119332	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
113	रायपुर	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एज्युकेशनस, नरदहा, पचेडाय रोड, एन.एच. गोयल स्कूल के पास नरदहा रायपुर	निजी	119333	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
114	रायपुर	सी.आई.टी.बी. एड कालेज, NH-43, भेलवाडीह, नया रायपुर	निजी	119334	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
115	जंजगीर चांपा	माँ एज्युकेशन कालेज, पोस्ट-पामगढ़ जिला-जांजगीर चांपा	निजी	115315	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
116	गरियाबंद	विरेंद्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय मेनरोड, जामगांव जिला-गरियाबंद	निजी	119335	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
117	रायपुर	श्रीराम कालेज सारागांव, खरोरा रोड, रायपुर	निजी	119336	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
118	महासमुंद	जयहिन्द कालेज, वार्ड नं. 20, मलेश्वर रोड, गैस गोदाम के पास, महासमुंद	निजी	118304	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
119	रायपुर	शम्भवी स्कूल ऑफ एज्युकेशन,	निजी	119337	छ.ग.के निवासी	80

		घुसेरा अभनपुर जिला – रायपुर			अखिल भारतीय	20
120	दुर्ग	देव संस्कृति कालेज ऑफ एज्युकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्राम-खपरी, पोस्ट-जेवरा जिला-दुर्ग	निजी	114309	छ.ग.के निवासी	80
					अखिल भारतीय	20
					योग	12588

नोट :-

1. उपरोक्त सूची में एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता सम्बन्धी लिए जाने वाले निर्णयों के तहत कुछ महाविद्यालयों के नाम हटाये जा सकते हैं तथा नये महाविद्यालयों के नाम जोड़े जा सकते हैं। अर्थात् महाविद्यालयों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
2. राज्य के शासकीय व निजी शिक्षा महाविद्यालय में संचालित बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश शुल्क छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा। शुल्क की जानकारी हेतु उक्त आदेश को एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में देख सकते हैं।
3. उपरोक्त सूची में टंकन त्रुटि हो सकती है, सही जानकारी SCERT के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में देख सकते हैं।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी, छ.ग. रायपुर

प्री.बी.एड. 2013 के लिए पाठ्यक्रम

भाग – 1

सामान्य मानसिक योग्यता

30 अंक

इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नांकित कार्य आते हैं:—

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि।

इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं – विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर क्षेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ चित्रों का मिलान, धन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि—आदि।

भाग – 2

सामान्य चेतना

20 अंक

इस प्रश्न पत्र में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे।

1. भारतीय इतिहास : भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएँ, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता
2. नागरिक शास्त्र/राजनीति विज्ञान मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा राज्य सभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान।
3. अर्थशास्त्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4. भूगोल प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के रात्य, उसकी भैगौलिक स्थिति।

5. सामान्य विज्ञान मुख्य आविष्कार एवं आविष्कार एवं जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या, चेतना जीवन की गुणवत्ता।
6. खेल और शिक्षा, योग, शिक्षा, मूल्य, भारत के विभिन्न आयोग, शिक्षा नीतियों, शिक्षा-नीति, समीक्षा, औपचारिक और शैक्षिक तकनीक शिक्षा/पूर्ण साक्षरता अभियान/सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण/प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण/सबके लिए शिक्षा/जिला, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/दूर शिक्षा/संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन।

भाग-3

शैक्षणिक अभिरूचि

30 अंक

शैक्षणिक अभिरूचि में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं: बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा।

भाग-4

सामान्य हिन्दी

अ. व्याकरण

10 अंक

- मानक भाषा : स्वरूप और लक्षण,
- संज्ञापद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यावहारिक प्रयोग
- समास-रचना एवं प्रकार,
- संधि नियम एवं प्रकार,
- अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार, एवं प्रयोग
- विनम्रता सूचक, विधि निषेध,
- काल बोध, स्थान एवं दिशा बोध

- कारक—कार्य संबंध, अनुक्रम,
- व्याकरणिक अशुद्धियां

ब. शब्द बोध

- शब्द—रचना उपसर्ग प्रत्यय एवं इनके अर्थ मूलक प्रभाव
- शब्द—प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, संकर, नवनिर्मित,
- शब्दार्थ—पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म
- अशुद्धि संशोधन,—उच्चारणगत, शब्द व शब्दार्थगत
- हिन्दी के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द पारिभाषिक शब्द निर्माण के आधार
- पारिभाषिक शब्द—प्रशासनिक, मानविकीय, वाणिज्यिक

PART –V**Communication Ability in General English 10 Marks****UNIT –I: GRAMMAR –**

- 1.1 Simple, Complex and Compound sentences.
- 1.2 Subordinate and co-ordinate clauses.
- 1.3 Transformation of sentences.
- 2 TENCE
- 2.1 Simple, present, progressive and present perfect
- 2.2 Simple past, progressive and past perfect.
- 2.3 Indication of futurity
- 3 CHANGE VOICE
- 4 Change of Narration
- 5 Modals (will, shall, should, ought to, must, have to, can-could, may-might and need)
- 6 Verb structures (Infinitive and gerundials)
- 7 Tag Questions
- 8 Preposition, I count and non-cont nouns

UNIT – II: VOCABULARY

1. Prefixes and Suffixes
2. One word substitution
3. Synonyms and Antonyms
4. Spellings
5. Derivations

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी, छ.ग. रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31.01.08

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6 -2/08/20 राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में डाइट/बी.टी.आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में द्विवर्षीय डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :** (1) इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ डी. एड. प्रवेश नियम 2007 होगा। (2) यह छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी डी. एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं पर लागू होंगे। (3) यह अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी।
2. **परिभाषाएँ** – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेत न हो—
 - (क) “राज्य शासन” से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन,
 - (ख) “श्रेणी” से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
 - (ग) “संवर्ग” से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक,
 - (घ) “प्री डी. एड. परीक्षा” से तात्पर्य है, डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा,

- (ड.) "संचालक" से तात्पर्य है, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
- (च) "अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय" से तात्पर्य है, ऐसी संस्था/महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन से किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल-अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय" का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा,
- (छ) "गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय" से अभिप्रेत है कि ऐसे संस्था/महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित हो।
- (ज) "डाइट" से तात्पर्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं "बी.टी.आई." से तात्पर्य बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।

¹(झ) "ऑनलाइन आबंटन" से अभिप्रेत है कि प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो डी. एड. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आबंटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्री.डी.एड.परीक्षा प्रावीण्यता, संस्था/महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये संस्थाओं/महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर संस्था/महाविद्यालय का आबंटन किया जाता है।

3. डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश –

- ²(क) **प्री डी. एड. परीक्षा:**—सामान्यतया डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री डी. एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए आनलाइन आबंटन के माध्यम से दिया जायेगा।
- (ख) **मूल निवासी** —राज्य के शासकीय तथा शासकीय अनुदान प्राप्त डाइट/बी.टी.आई. /महाविद्यालयों/संस्थाओं में डी. एड. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/ महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों की

20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(ग) **आयु सीमा** – डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु प्री डी.एड. परीक्षा वर्ष की 01 जुलाई को 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)

-
1. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
 2. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

4. **प्री डी. एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं** – डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी –

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) हायर सेकेण्डरी (कक्षा 12 वीं) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में 5 प्रतिशत छूट की व्यवस्था होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो + 2 परीक्षा में बैठे हैं प्री डी. एड. परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जाएगा। परन्तु उन्हें ¹आनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय + 2 परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

5. **डी. एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण** – डी. एड. पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगी, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

²(क) **वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी** वर्टिकल आरक्षण में जिलेवार आरक्षण लागू होगा अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षण का प्रतिशत जिलेवार आरक्षण सूची I के अनुसार होगा। इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले के डी.एड. संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, उसी जिले का निवासी अथवा उसी जिले से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

आबंटन सूची जिलेवार जारी होगी। यदि किसी डाइट / बी.टी.आई.में आबंटन के पश्चात् सीट रिक्त रह जाती है तो उसे अन्य जिले के अभ्यर्थियों से प्रावीण्यता के आधार पर भरी जा सकेगी। नये जिले जिसमें डाइट / बी.टी.आई.उपलब्ध नहीं है के अभ्यर्थी अपने पूर्व जिले की डाइट / बी.टी.आई. के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(ख) **क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य** है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

-
1. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
 2. नियम 5 (क) के स्थान पर छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत।
- (ग) शासकीय और अनुदान प्राप्त डाइट/बी.टी.आई. में गणित एवं विज्ञान समूह के लिए कम से कम 50% स्थान आरक्षित होगा। शेष स्थान अन्य समस्त समूह जैसे कला, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, ललित कला इत्यादि के लिए होंगे। किसी एक समूह के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य समूह के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (घ) उपरोक्त आरक्षण नियम "गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं/ महाविद्यालयों एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों" में लागू नहीं होंगे।

6. प्री डी. एड. परीक्षा –

- (क) प्रतिवर्ष डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री. डी. एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- (ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री. डी. एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।
- (ग) प्री. डी. एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा—
1. सामान्य मानसिक योग्यता 30 प्रतिशत ।
 2. सामान्य ज्ञान 20 प्रतिशत ।
 3. शिक्षण अभिरूचि 30 प्रतिशत ।
 4. सामान्य हिन्दी 10 प्रतिशत ।
 5. सामान्य अंग्रेजी 10 प्रतिशत ।

(घ) केवल बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ड.) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

(च) प्री. डी. एड. परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

7. **प्रावीण्य सूची**—प्री. डी. एड. परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जायेंगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य, सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। प्रावीण्य सूचियाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक बनाई जायेंगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा। समान प्राप्तांक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

¹ 8. ऑनलाइन आबंटन—

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आबंटन विधि से किया जावेगा।

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण – पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/- रु. (अक्षरी- तीन सौ रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी।

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।

(ड.) अभ्यर्थियों को संस्था/महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री. डी. एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता

क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

1. नियम 8 के स्थान पर छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

- (च) सीट आबंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी। सीट्स आबंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।
- (छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आबंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आबंटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।
- (ज) संस्था/ महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आबंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

9. आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –

आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

10. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश–

किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा–

- (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी।
- (ग) अनुसूचित जाति श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और इसके बाद भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- (ङ.) सभी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी।

11. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश—

इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी, परंतु यह नियम केवल निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं एवं गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में लागू होंगे।

12. प्रवेश का निरस्तीकरण—

यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के संस्था/ महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्वसूचना के

संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

13. संस्था / महाविद्यालय की फीस-

सभी संस्थाओं / महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा। परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौंपेंगे तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता की सूचना के लिए प्रदेश के कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे। परंतु यह भी कि संस्थाओं / महाविद्यालयों को प्री. डी. एड. परीक्षा का प्रास्पेक्ट्स छापने के पूर्व अपनी फीस प्री. डी. एड. परीक्षा एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेक्ट्स में छापी जा सके। परंतु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी।

14. नियमों की व्याख्या-

प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(नंदकुमार)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

अनुसूची-I

जिलेवार आरक्षण का प्रतिशत

क्र.	जिले का नाम	संबंधित डाइट/बी.टी.आई.	आरक्षण का प्रतिशत			
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	सरगुजा	अम्बिकापुर	25	06	55	14
2.	कोरिया	कोरिया	25	06	55	14
3.	बिलासपुर	पेण्ड्रा, बी.टी.आई.बिलासपुर	43	19	24	14
4.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	43	19	24	14
5.	कोरबा	कोरबा	43	19	24	14
6.	रायगढ़	धर्मजयगढ़	25	12	49	14
7.	जशपुर	जशपुर	25	12	49	14
8.	राजनांदगांव	खैरागढ़, बी.टी.आई. डोंगरगांव	49	11	26	14
9.	कबीरधाम	कबीरधाम	49	11	26	14
10.	दुर्ग	बेमेतरा	60	13	13	14
11.	रायपुर	रायपुर	52	15	19	14
12.	धमतरी	नगरी	52	15	19	14
13.	महासमुंद	महासमुंद	52	15	19	14
14.	बस्तर	बस्तर	12	06	68	14
15.	कांकेर	कांकेर	12	06	68	14
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	12	06	68	14

सचिव,

छ.ग.शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

// आवश्यक सूचना //

11. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की तिथि तथा केवल कार्यक्रम का विज्ञापन ही एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में तथा छ.ग. राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में ऑनलाइन आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के 3-4 दिवस पूर्व देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आबंटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश इस विवरणिका के साथ दिया गया है इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक कर लें।
12. आवश्यक दिशा निर्देश में ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित केन्द्रों की सूची भी दी गई है।
13. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आबंटन प्रक्रिया शुल्क 300/- चालान के माध्यम से ही लिया जायेगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ दिया गया है।
14. अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आबंटन की सूचना डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी आबंटन की जानकारी परिषद् के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में जाकर MKCL के साइट में जाने का लिंक का उपयोग कर MKCL के वेबसाइट में अपना विकल्प फार्म क्रमांक /प्री.डी.एड. रोल नम्बर Submit कर प्राप्त कर सकते हैं।
15. महाविद्यालय आबंटित होने के बाद अभ्यर्थी को अपने केन्द्र में जाकर अस्थाई सीट्स आबंटन पत्र (प्रवेश सूचना) केन्द्र समन्वयक के हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करने होंगे या MKCL के वेबसाइट oasis.mkcl.org/cgded2013 में अपना विकल्प फार्म/प्री. डी.एड. का रोल नम्बर Submit कर आबंटन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। आबंटन पत्र के बिना चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देगा। महाविद्यालय को भी चयनित अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश देना होगा ऐसा नहीं करने पर महाविद्यालय को आगामी सूची में सीटे रिक्त रहने पर भी छात्र आबंटित नहीं किये जायेगे।
16. महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश के समय उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, उसके उपरांत ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
17. 30 सितम्बर 2013के पश्चात् सत्र 2013-14 हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया नहीं की जावेगी।
7. समय-समय पर संशोधित नियम scert के वेबसाइट पर <http://scert.cg.gov.in> में देखे जा सकते हैं।
8. निजी एवं शासकीय संस्थाओं/महाविद्यालयों का प्रवेश शुल्क शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा। इसकी जानकारी scert के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> से प्राप्त कर सकते हैं।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़

डी.एड. संचालित संस्थाओं में स्वीकृत सीटों का विवरण

क्र.	जिला	संस्था का नाम एवं पता	महा- विद्यालय का प्रकार	सीटों की संख्या	सीटों का प्रकार	महा - विद्यालय का कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	223101
				—	अखिल भारतीय	
2	रायपुर	जी.एच. रायसोनी नेशनल कालेज मोवा, रायपुर	निजी	80	छ.ग.के निवासी	223302 (हिन्दी माध्यम के लिए कोड) 223303 (अंग्रेजी माध्यम के लिए कोड)
				20	अखिल भारतीय	
3	रायपुर	प्रगति कॉलेज सेंट्रल एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर	निजी	40	छ.ग.के निवासी	223301
				10	अखिल भारतीय	
4	रायपुर	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंसेज, गरियाबंद, रायपुर	निजी	40	छ.ग.के निवासी	223304
				10	अखिल भारतीय	
5	रायपुर	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, धनेली, रायपुर	निजी	40	छ.ग.के निवासी	223305
				10	अखिल भारतीय	
6	दुर्ग	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बेमेतरा	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	214101
				—	अखिल भारतीय	
7	दुर्ग	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, दुर्ग	निजी	40	छ.ग.के निवासी	214301
				10	अखिल भारतीय	
8	दुर्ग	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	निजी कन्या	40	छ.ग.के निवासी	214303
				10	अखिल भारतीय	
9	दुर्ग	जी.डी.रुंगटा शिक्षा एवं तकनीकी महाविद्यालय भिलाई दुर्ग	निजी	40	छ.ग.के निवासी	214304
				10	अखिल भारतीय	
10	बिलासपुर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पेण्ड्रा	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	211101
				—	अखिल भारतीय	
11	बिलासपुर	बी.टी.आई., बिलासपुर	शासकीय	50	छ.ग.के निवासी	211102
				—	अखिल भारतीय	
12	बिलासपुर	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर	निजी	40	छ.ग.के निवासी	211301
				10	अखिल भारतीय	
13	बिलासपुर	कॉलेज ऑफ एज्युकेशन मेडुका रोड, दर्री, पेण्ड्रा रोड, बिलासपुर	निजी	40	छ.ग.के निवासी	211302
				10	अखिल भारतीय	
14	बस्तर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बस्तर	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	210101
				—	अखिल भारतीय	
15	बस्तर	काइस्ट कॉलेज, जगदलपुर	अल्प संख्यक (निजी)	40	छ.ग.के निवासी	210301 (हिन्दी माध्यम के लिए कोड) 210302
				10	अखिल भारतीय	

						(अंग्रेजी माध्यम के लिए कोड)
16	दंतेवाड़ा	विश्वभारती इंस्टीट्यूट कोन्टा, दंतेवाड़ा	निजी	40	छ.ग.के निवासी	212301
				10	अखिल भारतीय	
17	राजनांदगांव	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैरागढ़	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	224101
				—	अखिल भारतीय	
18	राजनांदगांव	बी.टी.आई. डोगरगांव	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	224102
				—	अखिल भारतीय	
19	रायगढ़	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, धर्मजयगढ़	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	222101
				—	अखिल भारतीय	
20	जशपुर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जशपुर	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	216101
				—	अखिल भारतीय	
21	जशपुर	होली क्रॉस बी.टी.आई, पत्थलगांव (अनुदान प्राप्त)	अनुदान प्राप्त (निजी) अल्पसंख्यक	70	छ.ग.के निवासी	216201
				—	अखिल भारतीय	
22	धमतरी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी, (धमतरी)	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	213101
				—	अखिल भारतीय	
23	महासमुंद	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, महासमुंद	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	221101
				—	अखिल भारतीय	
24	कांकेर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कांकेर	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	217101
				—	अखिल भारतीय	
25	अम्बिकापुर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अम्बिकापुर	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	225101
				—	अखिल भारतीय	
26	जांजगीर—चांपा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जांजगीर — चांपा	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	215101
				—	अखिल भारतीय	
27	जांजगीर—चांपा	राहौद एज्यूकेशन सोसायटी राहौद, पामगढ़, जिला—जांजगीर	निजी	40	छ.ग.के निवासी	215301
				10	अखिल भारतीय	
28	कोरबा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	219101
				—	अखिल भारतीय	
29	कोरिया	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोरिया	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	220101
				—	अखिल भारतीय	
30	कबीरधाम	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कबीरधाम	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	218101
				—	अखिल भारतीय	
31	दंतेवाड़ा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दंतेवाड़ा	शासकीय	100	छ.ग.के निवासी	212101
				—	अखिल भारतीय	
32	दुर्ग	भिलाई मैत्री कॉलेज रिसाली भिलाई	निजी	40	छ.ग.के निवासी	214302
				10	अखिल भारतीय	
33	जांजगीर चांपा	पं. हरिशंकर कालेज ऑफ एज्यूकेशन नैला रोड़, सरखो, जिला—जांजगीर चांपा	निजी	40	छ.ग.के निवासी	223306
				10	अखिल भारतीय	
34	दुर्ग	कांती दर्शन महाविद्यालय,	निजी	40	छ.ग.के निवासी	214306

		कांतीदर्शन परिसर, कोसानगर, भिलाई		10	अखिल भारतीय	
35	दुर्ग	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आर्ट एवं कामर्स महाविद्यालय, रेल्वे क्रासिंग के पास, धनोरा रोड, रिसाली भिलाई	निजी	40	छ.ग.के निवासी	214305
				10	अखिल भारतीय	
योग				2670		

नोट:-

- उपरोक्त सूची में NCTE द्वारा मान्यता संबंधी लिये जाने वाले निर्णयों के तहत कुछ संस्थानों के नाम जोड़े जा सकते हैं अर्थात संस्थानों की संख्या घट बढ़ सकती है।
- उपरोक्त सूची में टंकन त्रुटि हो सकती है, सही जानकारी SCERT के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में देख सकते हैं।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग. रायपुर

.डी.एड. 2013 के लिए पाठ्यक्रम**सभी प्रश्न हायर सेकेन्डरी परीक्षा स्तर के पूछे जायेंगे****भाग – 1****सामान्य मानसिक योग्यता**

30 अंक

इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नांकित कार्य आते हैं:—

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि।

इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं – विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर क्षेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ चित्रों का मिलान, धन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि—आदि।

भाग – 2**सामान्य चेतना**

20 अंक

इस प्रश्न पत्र में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे।

2. भारतीय इतिहास : भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएँ, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता
2. नागरिक शास्त्र/राजनीति विज्ञान मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा राज्य सभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान।
3. अर्थशास्त्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4. भूगोल प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य, उसकी भौगोलिक स्थिति।

5. सामान्य विज्ञान मुख्य आविष्कार एवं आविष्कार एवं जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या, चेतना जीवन की गुणवत्ता।
6. खेल और शिक्षा, योग, शिक्षा, मूल्य, भारत के विभिन्न आयोग, शिक्षा नीतियों, शिक्षा-नीति, समीक्षा, औपचारिकतर शैक्षिक तकनीक शिक्षा/पूर्ण साक्षरता अभियान/सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण/प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण/सबके लिए शिक्षा/जिला, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/दूर शिक्षा/संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन।

भाग-3

शैक्षणिक अभिरूचि

30 अंक

शैक्षणिक अभिरूचि में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं: बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा।

भाग-4

सामान्य हिन्दी

अप. व्याकरण

10 अंक

- मानक भाषा : स्वरूप और लक्षण,
- संज्ञापद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यावहारिक प्रयोग
- समास-रचना एवं प्रकार,
- संधि नियम एवं प्रकार,
- अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार, एवं प्रयोग

- विनम्रता सूचक, विधि निषेध,
- काल बोध, स्थान एवं दिशा बोध
- कारक-कार्य संबंध, अनुक्रम,
- व्याकरणिक अशुद्धियां

क. शब्द बोध

- शब्द-रचना उपसर्ग प्रत्यय एवं इनके अर्थ मूलक प्रभाव
- शब्द-प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, संकर, नवनिर्मित,
- शब्दार्थ-पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म
- अशुद्धि संशोधन,-उच्चारणगत, शब्द व शब्दार्थगत

PART –V

Communication Ability in General English

10 Marks

UNIT – I: GRAMMAR – (6)

1) Part of Speech:

- a) Count Non-Count Nouns
- b) Pronouns - Relative Possessive
- c) Adjective (Attributive use)
- d) As+Adj+As
- e) Adverbs (End Position)
- f) Preposition (in, on, at) for Time and Place

2) Simple Sentences:

- a) Emprative Sentence
- b) Simple Senteces
- c) Infinitive
- d) Present Praticiple, Post Participle
- e) Gerund

3) Change of Sentence Conbination - (Co, pound Sentences)(And, But)

4) Determiners - Some, any, little, a little, few, a few

5) Tense - Present progressive Presint Simple

Past Simple

Use of Goving to for future Time

- 6) If Clause (Frist Condition)
If you work hard, you will pass.
- 7) Question Framing -
Wh-Question, Yes/No Tupe Question
- 8) Articles - A, An, The
- 9) Modals:
Can (Showing Capability)

May (Seeking Permission)

Should (Giving Advice)

Would (Showing Possibility)
- 10) Simple Preposition
(In, on, at, showing time and place)
- 11) Change of Voice -
(Simple present and past tense with Agent)
- 12) Narration
Simple Sentence (present past and future tense)

UNIT – II: VOCABULARY (4)

1. One word substitution
2. Spellings
3. Opposite words (Perfixes-un,dis-,in-)
4. Suffixes

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी, छ.ग. रायपुर

बी.एड./ डी.एड. आन लाइन आबंटन 2013 हेतु दिशा-निर्देश

राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों, अनुदान प्राप्त शिक्षा अशासकीय महाविद्यालयों / गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2013-14 तथा डाइट/ बी.टी.आई/अनुदान प्राप्त अशासकीय बी.टी.आई. व गैर अनुदान प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम 2013-14 में प्रवेश क्रमशः प्री. बी.एड. 2013 व प्री.डी.एड. 2013 की प्रावीण्य सूची के आधार पर ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाना है। ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया हेतु विस्तृत जानकारी इस विवरणिका के साथ दिया जा रहा है। प्री. डी.एड./प्री.बी.एड. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात् छ.ग. राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक अखबारों में केवल आबंटन प्रक्रिया का कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेगे। आबंटन कार्यक्रम की जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर के बेवसाइट <http://scert.cg.gov.in> में भी उपलब्ध होंगे।

आबंटन प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार है -

1. बी.एड./डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :-

(a) बी.एड. पाठ्यक्रम - बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नाकोत्तर या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था होगी। स्नातक में आनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को स्नातक में एकीकृत प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम की पात्रता दिया जायेगा।

(b) डी.एड. पाठ्यक्रम - बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्तर से (हायर सेकेण्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा) में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था होगी।

2. विकल्प फार्म भरने के आवश्यक दस्तावेज -

(A) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु :- बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विकल्प फार्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति व सत्यापित छायाप्रति के साथ अपने पास के तथा अपनी सुविधा के अनुसार MKCL केन्द्र में उपस्थित होंगे।

- I. 350/- की प्रक्रिया शुल्क का चालान की संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर की प्रति। प्रक्रिया शुल्क एस.सी.ई.आर.टी. के SBI पावर ज्योति एकाउन्ट क्रमांक 32402468895 में चालान के माध्यम से जमा होगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ दिया गया है। यह चालान एक बार जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में अर्थात् ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में एक बार सम्मिलित होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शुल्क अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा।
 - II. प्री. बी.एड. परीक्षा 2013 की अंकसूची (इंटरनेट वाली अंकसूची भी मान्य है)
 - III. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि की) एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो तीनों वर्षों का अंकसूची और यदि स्नाकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नाकोत्तर के दोनो वर्षों का अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
 - IV. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या सक्षम अधिकृत अधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
 - V. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
 - VI. छ.ग. शासन प्रवेश नियम 2006 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। इसके अभाव में अभ्यर्थी को अखिल भारतीय कोटे के लिए ही आबंटन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
 - VII. नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथपत्र।
 - VIII. एक पासपोर्ट साइज का फोटो।
 - IX. अभ्यर्थियों का मेनुअल विकल्प फार्म भरा हुआ जो कि विवरणिका के साथ दिया गया है।
- (B) डी.एड. पाठ्यक्रम –** डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विकल्प फार्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति व सत्यापित छायाप्रति के साथ अपने पास के MKCL केन्द्र में उपस्थित होंगे।
- I. 300/- की प्रक्रिया शुल्क का चालान की संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर की प्रति। प्रक्रिया शुल्क एस.सी.ई.आर.टी. के SBI पावर ज्योति एकाउन्ट क्रमांक 32402461389 में चालान के माध्यम से जमा होगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ संलग्न है। यह चालान एक बार जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में अर्थात् ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में एक बार सम्मिलित होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शुल्क अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा।
 - II. प्री. डी.एड. परीक्षा 2013 की अंकसूची (इंटरनेट वाली अंकसूची भी मान्य है)

- III. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची हायर सेकेण्डरी सर्टीफिकेट (10+2) परीक्षा की अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
- IV. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या समक्ष अधिकृत अधिकारी संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- V. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- VI. छ.ग. शासन प्रवेश नियम 2007 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र।
- VII. नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथपत्र।
- VIII. एक पासपोर्ट साइज का फोटो।
- IX. अभ्यर्थियों का मेनुअल विकल्प फार्म भरा हुआ जो कि विवरणिका के साथ दिया गया है।

3. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने का स्थान :- बी.एड. के लिए प्री.बी.एड.परीक्षा 2013 में तथा डी.एड. के लिए प्री.डी.एड. परीक्षा 2013 में बैठे ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु छ.ग. बी.एड. नियम 2006 तथा डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु छ.ग. डी.एड. प्रवेश नियम 2007 के अनुसार अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें बी.एड./डी.एड. (जो लागू हो) पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है, MKCL के निम्नलिखित केन्द्रों में ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित दिवसों में प्रातः 9.30 बजे से संध्या 5.30 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विकल्प फार्म भर सकते हैं।

क्र.	विकल्प फार्म भरने हेतु MKCL केन्द्र के नाम व पता	जिला	शहर	दूरभाष नंबर
1.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	07774-230799
2.	ग्लोबल मल्टीमीडिया हनुमान मंदिर के पास डी.सी. रोड़	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	07774-203096 97536-45205 78692-93997
3.	आदर्श एकेडमी ऑफ आई.टी. मुस्कान भवन, न्यू सरकंडा	बिलासपुर	बिलासपुर	88238-10489
4.	जी.टी.बी. एकेडमी, हनुमान मंदिर के पास नेहरू नगर बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-271311 93000-21347
5.	एम्स कम्प्यूटर, डी.पी.विप्र कॉलेज के पास हाईकोर्ट रोड	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-407578
6.	डी.टेक कम्प्यूटरर्स, बी.एस.एन.एल ऑफिस के सामने राजकिशोरानगर	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-427708 92298-28788
7.	अनिमेश कम्प्यूटर निरालानगर बस स्टेशन रोड़	बिलासपुर	बिलासपुर	07752404740 9302754329

				9827154329
8.	SPS Training & Technology (I) Pvt. Ltd. Kamla Kutir, Jamuna Prasad Verma Bhawan, Nehru Chowk Bilaspur	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-419144
9	आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी. ओस्जवी नर्सिंग होम के सामने गुलमोहर वाटिका ,रूद्री रोड	धमतरी	धमतरी	98264-32896 93028-32896 07722-236994
10	लॉजिक गेट, नंबर-1 स्टील कालोनी जी.ई. (बाई पास रोड) स्टील कॉलोनी, नेहरूनगर पश्चिम	दुर्ग	भिलाई	93293-50154 73548-83351
11	हिमांशु इनफोटेक, 108 न्यू सिविक सेंटर	दुर्ग	भिलाई	0788-4062445 99071-83175
12	भारतीय कॉलेज (बी.आई.आई.टी.) पुलगांव चौक दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	9826322230 93001-19838
13	पेस एकेडमी सिन्धी कालोनी डॉ सिद्धिकी क्लिनिक के उपर स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास	दुर्ग	दुर्ग	0788-4013474 78983-83772 98271-71227
14	अशरफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साई मंदिर के पास कसारीडीह	दुर्ग	दुर्ग	0788-2326540 93023-53905
15	क्रेडेन्स गर्ल्स कॉलेज पटेल कॉम्प्लेक्स पदमानाभपुर	दुर्ग	दुर्ग	0788-2329922 93018-36000
16	अपोलो कॉलेज ऑफ एज्युकेशन ;विटनरी कॉलेज के सामने अंजोरा	दुर्ग	अंजोरा	07882-623444 93028-34648
17	मनसा कॉलेज कोहका कुरुद रोड भिलाई	दुर्ग	भिलाई	0788-3201582 9893750431
18	भिलाई कॉलेज ऑफ आई.टी. जामुल भिलाई वार्ड 4, चंडी मंदिर वार्ड अहिरवारा	दुर्ग	भिलाई	0788-4031830 9993728325
19	रूगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी जी.ई.रोड गंजपारा, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग	0788-2322552 99930-10010 92293-44424
20	स्वामी स्वरूपानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन आमदीनगर हुडको भिलाई-दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	0788-2241600 96857-89815
21	एम.जे.कॉलेज कोहका जुनवानी रोड	दुर्ग	भिलाई	0788-2294055 98931-20381
22	कल्याण पी.जी. कालेज सेक्टर 07 भिलाई नगर	दुर्ग	दुर्ग	0788-223665 98271-06750
23	साइबर स्पार्ट बी.7 नेशनल हाईवे 12 ए. सुन्दरनगर रायपुर रोड बेमेतरा	दुर्ग	बेमेतरा	93002- 55631 07824-222098 93002-55623
24	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	07782-262267
25	यूनिक कम्प्यूटर ऑफ एजुकेशन जैन मंदिर रोड	बस्तर	जगदलपुर	07782-226632 94252-61196
26	सूर्या कॉलेज, गीदम रोड	बस्तर	जगदलपुर	97555-29670
27	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जशपुर	जशपुर	जशपुर	07763-223197

28	शर्मा कम्प्यूटर्स करबला चौक	जशपुर	जशपुर	07763-223600 94252-52975
29	देव कम्प्यूटर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास	जशपुर	जशपुर	94060-27963
30	फ्यूचर ब्राइट कम्प्यूटर एजुकेशन कुर्मी छात्रावास बस स्टेन्ड के पास कवर्धा	कवर्धा	कवर्धा	93004-29449 7566643699
31	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा	कोरबा	कोरबा	07759-225328
32	राहेन कम्प्यूटर निहारिका टॉकिज के पास	कोरबा	कोरबा	07759-226144 81035-23771
33	आईसेक (ISAAC) कम्प्यूटर एजुकेशन, 12 साउथ एवेन्यू, प्रथम तल, राजकुमार कॉलेज के सामने चौबे कॉलोनी	रायपुर	रायपुर	0771-4061441
34	शिवांता टेक्नालॉजी बिंदा सोनकर स्कूल के सामने, अश्वनी नगर	रायपुर	रायपुर	94079-02100 98061-06161
35	प्रिंसेस कालेज धमतरी रोड़ देवपुरी	रायपुर	रायपुर	0771-4090888 93018-36000
36	सेन्ट्रल कालेज ऑफ आई.टी. आर.आई.एफ. बिल्डिंग फाफाडीह मेनरोड, रायपुर	रायपुर	रायपुर	9425208200 9425208100
37	महात्मा गांधी कॉलेज गुस्दारा के पीछे स्टेशन रोड़	रायपुर	रायपुर	0771-4047124 94252-04469
38	रूगंटा एजुकेशन कैम्पस नंदनवन के पास वीरसावरकर नगर रायपुर	रायपुर	रायपुर	0771-6666666 92291-55566
39	गुरुकुल इंस्टीट्यूट केसोछोर रोड़ प्लाट नं. 991/1	गरियाबंद	गरियाबंद	07706220325 9893388446
40	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंस जनपद कार्यालय के पीछे	गरियाबंद	गरियाबंद	07706-241502 99815-21776 99932-43702
41	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा	बिलासपुर	बिलासपुर पेण्ड्रा	07751-224718
42	अपेक्स इंस्टीट्यूट टेली एकेडमी कस्तुरबा स्कूल परिसर पुराना रेस्ट हाउस रोड़	राजनांदगांव	राजनांदगांव	07744-409682 98261-90095 93297-45797
43	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़	राजनांदगांव	खैरागढ़	07820 & 234204
44	अरिहंत कम्प्यूटर एजुकेशन दिग्विजय कालेज रोड़ सोनार पारा त्रिपूरा किराना के सामने विजन इन्फोटेक के सामने	राजनांदगांव	राजनांदगांव	07744-409555 93292-52329
45	सी-टेक कम्प्यूटर एजुकेशन बालेराय स्टेडियम के सामने मेनरोड	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	07819-244288 93010-30379
46	जगरानी देवी शिक्षा महाविद्यालय बारद्वार	जांजगीर चांपा	बारद्वार	07757-278421 94790-38751
47	नोबल कम्प्यूटर, राजीव चौक, मेन रोड़	नारायणपुर	नारायणपुर	94255-18385

48	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांकेर	कांकेर	कांकेर	07868-224543
49	नेशनल कम्प्यूटरर्स चर्च के पास	कांकेर	कांकेर	98278-87087 94252-61817
50	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धर्मजयगढ़	रायगढ़	धर्मजयगढ़	07766-266250
51	डालफिन कम्प्यूटर एजुकेशन चक्रधर नगर चौक सरला विला के पास	रायगढ़	रायगढ़	07762-222999 90398-22411 97531-65888
52	प्रोग्रेसिव कम्प्यूटर गुरुनानक स्कूल के पास कोस्टापारा नयागंज	रायगढ़	रायगढ़	07762-225540 94252-52051 74897-15491
53	इण्डियन कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट स्टेशन रोड के पास	महासमुंद	महासमुंद	07723-222121 98265-17661 94252-15613
54	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद	07723-224781
55	ट्रैक कम्प्यूटर साडा काम्प्लेक्स ए-12 बस स्टैण्ड	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	07856-252324
56	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	07856-252283, 252284
57	VII Tech Computer College C/o नाईसटेक कम्प्यूटर कॉलेज, झगराखण्ड रोड, विवेकानंद कॉलेज के पास मनेन्द्रगढ़ कोरिया	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	07771-241927 93015-87039
58	एनेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन गायत्री मंदिर काम्प्लेक्स पैलेस रोड	रायगढ़	सांरगढ़	07768-233902 93009-60024
59	SAIT कम्प्यूटर मारिया कालोनी शासकीय अस्पताल के सामने पत्थलगांव	जशपुर	पत्थलगांव	07765-234000 94241-83777 9993443101
60	ज्ञानदीप हायर सेकेण्डरी स्कूल, जांजगीर	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	07817-222656 94252-30436

4. आवश्यक दिशा निर्देश –

- (A) अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश – ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया एस.सी.ई.आर.टी. <http://scert.cg.gov.in> एवं MKCL के वेबसाइट में होगी। डी.एड. के लिए MKCL का वेबसाइट <http://oasis.mkcl.org/cgded2013> व बी.एड. के लिए MKCL का वेबसाइट <http://oasis.mkcl.org/cgbed2013> है।
- 1- प्री.बी.एड./प्री. डी. एड. परीक्षा निर्देशिका में MKCL केन्द्र की सूची संलग्न है इसमें परिवर्तन होने की स्थिति में समाचार पत्रों में उल्लेख किया जायेगा। इसका अध्ययन अवश्य कर लेवे।
 - 2- विकल्प फार्म भरने के लिए समयसारणी की जानकारी प्री. बी.एड./प्री.डी.एड. के परिणाम घोषित होने के पश्चात् बाद में राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेगे।
 - 3- अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार नजदीकी MKCL केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भर सकेंगे।
 - 4- MKCL केन्द्र में उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज क्रमांक 2 के अनुसार अपने साथ रखना होगा।
 - 5- अभ्यर्थी के पुस्तिका में विकल्प फार्म का एक प्रति दिया जा रहा है।

(B) MKCL केन्द्र में जाने के बाद अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश –

- 1- विकल्प फार्म में दिये जाने वाले जानकारी को भरे तथा भरी हुई जानकारी का मिलान संलग्न प्रमाण पत्रों से कर लें।
- 2- विकल्प फार्म अभ्यर्थी के उपस्थिति में ही ऑनलाइन भरा जाना है इसके लिए केन्द्र समन्वयक का सहयोग ले।
- 3- प्री.बी.एड. एवं प्री. डी.एड. की अंक सूची में निम्नलिखित जानकारी व्यापम द्वारा दी जाती है जैसे- नाम, उपनाम, जाति, आरक्षित श्रेणी व स्नातक के प्राप्तांक को देख लेवे सही है तो विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया करें अन्यथा इस जानकारी में परिवर्तन MKCL के केन्द्र नहीं कर सकते अगर अभ्यर्थी को अपनी जानकारी सुधारनी है तो MKCL केन्द्र में under taking letter दें और अनुरोध करके एस.सी.ई.आर.टी. के उच्च स्तरीय समिति से संपर्क कर सुधार कर लें तथा सुधार कर ली गई है यह निश्चित कर लेवे।
- 4- इसके पश्चात् MKCL केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी तथा भरे गये विकल्प फार्म की ऑनलाइन एन्ट्री करेंगे। अभ्यर्थी की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद 2 प्रिन्ट आउट निकाले दोनो प्रिन्ट आउट का अभ्यर्थी को अवलोकन कराये।
- 5- किसी प्रकार की त्रुटि होने के स्थिति में ऑनलाइन उसे ठीक करने के पश्चात् दुबारा प्रिन्ट आउट निकलवाये।
- 6- अभ्यर्थी के सन्तुष्ट होने के पश्चात् दोनों प्रिन्ट आउट पर MKCL केन्द्र के प्रभारी व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करेंगे।
- 7- विकल्प फार्म के एक प्रति केन्द्र अपने पास रखेंगे तथा एक अभ्यर्थी को देंगे।
- 8- अभ्यर्थियों को यह सलाह दिया जाता है कि वे उन्ही महाविद्यालयों का विकल्प देवे जहाँ वे प्रवेश लेने के लिए इच्छुक है। क्योंकि महाविद्यालय आबंटित होने के बाद केवल एक बार आबंटन निरस्त कराकर पुनः विकल्प फार्म भरने का प्रावधान है। प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
- 9- अभ्यर्थी को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अपनी चयन की सूचना वे निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
 - I. निर्धारित दिवस को केन्द्र में पहुंचकर जहां विकल्प फार्म भरा है वहाँ सूची देखकर।
 - II. MKCL के एस.एम.एस. से या एस.सी.ई.आर.टी. के Websit : <http://scert.cg.gov.in> में तथा बी.एड. के लिए MKCL के websit <http://oasis.mkcl.org/cgbed2013>, डी.एड. के

लिए <http://oasis.mkcl.org/cgded2013> मे अपना विकल्प फार्म क्रमांक **submit** कर देख सकते है।

10- आबंटन साफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है।

11- आबंटन की सूची वेबसाइट में देखी जा सकती है। इसके पश्चात् अपना आबंटन पत्र MKCL के साइट में आबंटन पत्र के विकल्प में जाकर अपना Application No. या बी.एड./डी.एड. रोल नम्बर डालकर अपना अस्थाई आबंटन पत्र प्राप्त कर सकते है। अस्थाई आबंटन पत्र इंटरनेट से कही भी निकाला जा सकता है। आपने अपना मोबाइल नं. डाला हो तो एस.एम.एस. द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है मगर एस.एम.एस. न आने पर इसकी जवाबदारी एस.सी.ई.आर.टी. की नही होगी।

(C) चयनित अभ्यर्थी का महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित होने की प्रक्रिया –

1. अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं जिन दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति विकल्प फार्म के साथ संलग्न किए थे उसके मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में प्रवेश लेना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो जायेगे।
2. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर निर्धारित अवधि में उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
3. अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल दस्तावेज सही पाये जाने पर अभ्यर्थी से निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को MKCL के वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है तथा ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद नही होने की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
4. महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. चयनित अभ्यर्थी यदि निर्धारित अवधि (प्रवेश के लिए) में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता तथा चयन निरस्त कराने की सूचना भी नहीं देता है तो उसका चयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा और उसे आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
- 7- MKCL के साइट पर महाविद्यालय अपना कॉलेज आई डी. व पासवर्ड इंटर कर log in करें तथा प्रवेशित

अभ्यर्थियों की जानकारी निरंतर अपडेट करते रहेंगे। संबंधित महाविद्यालय में सीटों की रिक्तियों के आधार पर दूसरे चरण का सीट्स आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

5. द्वितीय चरण की काउंसलिंग –

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिए द्वितीय चरण में वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो प्रथम चरण में थी। इसके प्रकार निम्नलिखित है –

5.1 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् आबंटित महाविद्यालय/ MKCL केन्द्र में जाकर प्रवेश निरस्त करा चुके हैं –

1. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित महाविद्यालय बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है। परन्तु यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय/ MKCL केन्द्र में जाकर अपना प्रवेश निरस्त कराना होगा। ऐसा करने पर द्वितीय चरण के आबंटन हेतु प्रथम चरण में आबंटित महाविद्यालय शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विकल्प फार्म एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह अवसर अभ्यर्थी को एक ही बार दिया जाएगा।

2. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपने पूर्व आबंटित महाविद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें एक बार विकल्प परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को उसी MKCL केन्द्र में पुनः जाकर विकल्प फार्म भरना एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाना अनिवार्य है।

5.2 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परन्तु आबंटन नहीं हुआ था –

ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें निर्धारित राशि का बैंक चालान जमा करना होगा। यदि विकल्प नहीं बदलना चाहते हैं तो उन्हें चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे।

5.3 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे –

ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को प्रथम चरण के निर्देशों का पालन करना होगा।

6. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

7. बी.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में लागू आरक्षण नियम के तहत होगा।

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

अध्याय – 3

(मैन्यूअल-2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य ।

Description	Authority competent Exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1.To sanction purchase of books and technical periodicals for libraries	1. Director, State Council of Educational Research and Training /Principals of college of Education	Full Power	1.Subject to the condition that at least 75% of the purchases are from the list of books and periodicals for the student's library
	2. Principals of School complexes and Basic Training Institutes	Full Power	2. The books and periodicals are to be selected by the administrative department.
2. To sanction purchase of equipment and stores	Director S.C.E.R.T./Principals of Colleges of Education	Up to Rs.10,000 for their own officers and up to Rs.5000 for each school complex and Basic Training Institutes within their jurisdiction.	
3. To exempt pupils from payment of hostel fees for the month of schools term during which they are actually in residence, where poverty and special circumstance justify the exemption.	Gazetted Heads of Institution	Full Powers	For very special reasons, to be recorded, in the case of pupil leaving or joining the hostel in midsession
4. To grant remission of re-admission fees for the period of breaks in enrollment.	Gazetted Heads of Institution	Full Powers	In their own schools or Colleges within their jurisdiction.

<p>5. To raise and maintain the following recognized funds in Government institutions/schools in addition to the amalgamated fund:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hostel mess fund 2. Co-operative shop fund 3. Science club fund 4. Other funds approved by the Head of Department. 	<p>1. Gazetted Heads of Institution</p>	<p>Full Powers Can raise and maintain funds at 1 to 4 with the prior permission of Govt.</p>	<p>Provided that a list of funds maintained is to be submitted to the Controlling Officer every year in September.</p>
<p>6. To approve extra curricular activities (other than games, gymnastic tournaments and other athletic</p>	<p>Director S.C.E.R.T./Principal of Colleges of education</p>	<p>Full Powers</p>	<p>In respect of their own Institution and Institution in their jurisdiction</p>

अध्याय – 4

(मैन्यूअल-3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख – परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संचालक द्वारा निर्देशित कार्य किए जाकर संबंधित अभिलेख रखे जाते हैं।

अध्याय – 5

(मैन्यूअल-4)

कृत्यों के निर्वहन हेतु स्थापित मापदण्डों का निर्धारण।

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण – इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

अध्याय – 6

(मैन्यूअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Category) के अनुसार विवरण

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के (categories) अनुसार विवरण – असंबंधित

अध्याय – 7

(मैन्यूअल-6)

बोर्ड परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण – निरंक

अध्याय – 8

(मैन्यूअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ

जनसूचना अधिकारी, सहायक जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के संबंध में जानकारी –

क्रं.		जनसूचना अधिकारी	सहायक जनसूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	नाम	श्री पी. आर. साहू	श्री के.के. साहू	श्री अनिल राय
2	पद	सहायक प्राध्यापक	व्याख्याता	संचालक
3	कार्यालय	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छ.ग. रायपुर	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छ.ग. रायपुर	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छ.ग. रायपुर
4	पता	बी.टी.आई. मैदान शंकरनगर रायपुर छ.ग. पिन-492007	बी.टी.आई. मैदान शंकरनगर रायपुर छ.ग. पिन-492007	बी. टी. आई. मैदान शंकरनगर रायपुर छ.ग. पिन-492007
5	फोन नं.	0771-2442241	0771-2442241	0771-2443496 0771-2773596
6	ई-मेल	scertcg@gmail.com	scertcg@gmail.com	scertcg@gmail.com

अध्याय— 9

(मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये संस्था में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? (सचिवालय मैनुअल और बिजनेस मैनुअल के नियमों आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है।)

संबंधित प्रकोष्ठ, जिससे विषय संबंधित है द्वारा परीक्षण कर प्रस्ताव दिया जाता है जिसके आधार पर निर्णय सक्षम अधिकारी के स्तर पर लिया जाता है।

विभिन्न स्तर पर किन-किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है?— परिषद् के प्रकोष्ठ के संबंधित अधिकारी द्वारा टीप प्रस्तुत की जाती है जिस पर प्रकोष्ठ प्रभारी अपना अभिमत देते हैं। यदि निर्णय विभागाध्यक्ष स्तर का है तो संचालक निर्णय लेते हैं अन्यथा विभागस्तर से निर्णय लिया जाता है।

अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी — संचालक परिषद्

अध्याय – 10

(मैन्यूअल-9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

स. क.	नाम	पदनाम	दूरभाष		फैक्स	ई. मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	ANIL RAI	Director	0771-2443596		0771-2443496	scertcg@gmail.com	एस. सी.ई. आर. टी. शंकर नगर रायपुर
2	R.N.Singh	Deputy Director					
3	R.C.SAHU	Deputy Director					
4	Yogesh Sheohare	Deputy Director					
5	N.K.Pradhan	Asst. Director					
6	Dr.Sudhir Shrivastava	Asst. Professor					
7	B.P.Tiwari	Asst. Professor					
8	U.K.Chakraborty	Asst. Professor					
9	Jyoti Chakraborty	Asst. Professor					
10	A.Nalgundwar	Asst. Professor					
11	D.Bhowmik	Asst. Professor					
12	S.N.Ali	Asst. Professor					
13	C.B. Bagaria	Asst. Professor					
14	T.P.DEWANGAN	Asst. Professor					
15	Neelam Arora	Asst. Professor					
16	Radhe Shyam Baghel	Asst. Professor					

17	Alok Kumar Sharma	Asst. Professor				
18	R.K.VERMA	Asst. Professor				
19	I Sandhya Rani	Asst. Professor				
20	J. K. Prasad	Asst. Professor				
21	Vidyavati Chandrakar	Asst. Professor				
22	Ku. Anita Shrivastava	Asst. Professor				
23	C. Bakhla	Asst. Professor				
24	KALPANA DESHMUKH	Asst. Professor				
25	Pardeshi RamSahu	Asst. Professor				
26	PURNA SHRI RAOUT	Asst. Professor				
27	ABHA JHA	Asst. Professor				
28	Jolly Jones	Asst. Professor				
29	Sachchidanand Shastri	Lecturer				
30	K.K.SAHU	Lecturer				
31	Ku Deepa Das	Lecturer				
32	Vidya dange	Lecturer				
33	R. K. Tiwari	Lecturer				
34	M. Sudhish	Lecturer				
35	Prasun Sarkar	Lecturer				
36	Santosh Kumar Tamboli	Lecturer				
37	Hemant Kumar Sao	Lecturer				
38	N.K.TALOKAR	Lecturer				
39	SUSHIL KUMAR RATHOD	Lecturer				
40	Darash Ji Darshan	Lecturer				
41	BOPANNA RAGHU KUMAR	Lecturer				

42	Sunil Mishra	Asstt. Teacher					
43	B.L.Nishad	Accountant					
44	N. K. Verma	Accountant					
45	N.A.Eraqui	Asst. Gr. II					
46	Satish Vishwakarma	Asst. Gr. II					
47	D. SINGH	Asst. Gr. II					
48	Virendra Singh Thakur	Asst. Gr. III					
49	Sarla Jha	Asst. Gr. III					
50	Rani Bhargava	Asst. Gr. III					
51	Suraj Samantrai	Asst. Gr. III					
52	R.K.Ratde	Asst. Gr. III					

अध्याय-11

(मैन्यूअल-10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

एस.सी.ई.आर.टी. व उसके साथ संलग्न आंग्ल भाषा शिक्षण संस्था व सीमेट हेतु स्वीकृत पद व उसके वेतनमान निम्नानुसार है -

अनु. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	1	प्रथम श्रेणी	37,400-67000 ग्रेड वेतन - 8,900	शासन
2.	1. संयुक्त संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 2. प्राध्यापक, प्रवर श्रेणी, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) 3. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 4. प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय,	2 3 1 1	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 ग्रेड वेतन - 7600	शासन
3.	1. प्राध्यापक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 2. प्राध्यापक, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान 3. प्राध्यापक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 4. प्राध्यापक, शिक्षा महाविद्यालय	3 3 3 3	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 ग्रेड वेतन - 6600	शासन

	5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	16			
4.	1. सहा. प्राध्यापक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 2. सहा. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 3. सहा. प्राध्यापक, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान 4. सहा. प्राध्यापक, ऑग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, 5. सहा. प्राध्यापक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 6. सहायक प्राध्यापक, शिक्षा महाविद्यालय 7. समन्वयक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 8. समन्वयक, शिक्षा महाविद्यालय 9. उप प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 10. प्राचार्य, बुनियादी प्रशिक्षण संस्था 11. सहा. प्राध्यापक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 12. चीफ ट्यूटर, जिला आंग्ल भाषा शिक्षण केन्द्र	13 1 3 3 11 11 1 1 16 2 80 3	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 ग्रेड वेतन – 5400	शासन

5.	संयुक्त संचालक (वित्त)	1	प्रथम श्रेणी	15,600—39,100 ग्रेड वेतन — 7600	राज्य शासन लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा
	वित्त अधिकारी (सीमेट)	1	द्वितीय श्रेणी	15,600—39,100 ग्रेड वेतन — 5400	राज्य शासन लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा
6.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (सीमेट)	1	द्वितीय श्रेणी	15,600—39,100 ग्रेड वेतन — 5400	
7	1. व्याख्याता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	9	द्वितीय श्रेणी	9300—34800 ग्रेड वेतन — 4300	शासन
	2. व्याख्याता, ऑग्ल भाषा शिक्षण संस्थान,	2			
	3. व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	192			
	4. व्याख्याता, बुनियादी प्रशिक्षण संस्था	12			
	5. ट्यूटर, जिला आंग्ल भाषा शिक्षण केन्द्र	9			

अध्याय—12
(मैन्यूअल—11)
प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

(सभी योजनाओं व्यय प्रसगों तथा धन वितरण की सूचना) निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक अधिकरण के लिए)

{2202} मांग संख्या. 27 – स्कूल शिक्षा				2004- संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी)							
विभागीय लेखा	बजट अनुमान	12 माह के वास्तविक आंकड़े		योग	पुनरीक्षित अनुमान 2012-13	शीर्ष		बजट अनुमान 2013-14		अभियुक्ति	संदर्भ क्रमांक
2011.12	2012.13	8 माह 2011-2012	4 माह 2012-13		प्रस्तावित	अनुमोदित		प्रस्तावित	अनुमोदित		
							एक-राजस्व				
							2202-सामान्य शिक्षा				
							[01]-प्राथमिक शिक्षा				
							{105}-औपचारिक शिक्षा				
Dev. Head 11014	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)						101-राज्य आयोजना (सामान्य)				
Segment 0101	राज्य आयोजना (सामान्य)	11014 - स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)					(6956) - प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा				
							03 यात्रा भत्ता				
90	600	50	30	80	600		003 यात्रा भत्ता प्रशिक्षण	600			781
							# 04-कार्यालय व्यय				
1190	2200	970	30	1000	2200		008-अन्य आकस्मिक व्यय	2200			106
							# 05 प्रशिक्षण				
1130	1700	880	50	930	1700		001-अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	1700			107
							25 वस्तु आपूर्ति				
4540	3500	4540	0	4540	3500		006 अन्य व्यय	3500			780
6950	8000	6440	110	6550	8000		मतदेय - योग योजना (6956)	8000			
13900.00	16000.00	6440.00	110.00	6550	8000.00		घटाईए पुर्नप्राप्तियां.....उंचत				
							उपकर निधियां				
							अन्य				
6950	8000	6440	110	6550	8000		मतदेय योग लघु शीर्ष {105}	8000			
							{107}-शिक्षकों को प्रशिक्षण				
Dev. Head 11014	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)						0101-राज्य आयोजना (सामान्य)				
Segment 0101	राज्य आयोजना (सामान्य)	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)					(5708)-योग प्रशिक्षण				
							# 05 प्रशिक्षण				
4240	6000	4150	0	3310	6000		001-अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	6000			428
4240	6000	4150	0	4150	6000		मतदेय - योग योजना (5708)	6000			
							घटाईए पुर्नप्राप्तियां.....उंचत				
							उपकर निधियां				
							अन्य				
Segment 0101	राज्य आयोजना (सामान्य)	11014 स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)					(8646) राज्य प्रशिक्षण योजना				
							# 05 प्रशिक्षण				
0	3000	0	0	0	3000		001-अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	10			817
0	3000	0	0	0	3000		002-अन्य प्रशिक्षण	10			818
0	6000	0	0	0	6000		मतदेय - उद्देश्य 05 (5708)				
0	0	0	0	0	0		# 10 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	10000			
0	4000	0	0	0	4000		27 लघु निर्माण कार्य	10			819
0	10000	0	0	0	10000		मतदेय - योग योजना (8646)	10030			
							घटाईए पुर्नप्राप्तियां.....उंचत				
							उपकर निधियां				
							अन्य				

Segment 0101	राज्य आयोजना (सामान्य) 11014 स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)					(8647)	विज्ञान एवं गणित शिक्षा का प्रसार			
						# 11	छात्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ, एवं अन्य हितलाभ			
0	5000	0	0	0	5000	001-	शिष्य वृत्ति	10000		820
0	5000	0	0	0	5000	मतदेय	- योग योजना (8647)	10000		
							घटाईए पुर्नप्राप्तियां.....उंचत			
							उपकर निधियां			
							अन्य			
v. Head 1101	मूल शिक्षा (प्राथमिक)									
Segment 0701	केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य - स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)					(0701)	केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य			
						(1502)	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये			
						#01	वेतन भत्ते, आदि			
82220	84000	49890	23310	73200	84000	001-	वेतन	90000		130
60	100	60	30	90	100	002-	महंगाई वेतन	100		639
29580	50400	19830	12080	31910	50400	003-	महंगाई भत्ता	75600		131
170	300	100	70	170	300	005-	आदिवासी क्षेत्र भत्ता	300		132
2610	1450	2160	450	2610	2400	06-	मकान किराया भत्ता	2600		133
2230	1000	1860	340	2200	1000	014-	अन्य भत्ते	1200		134
310	600	210	100	310	600	015-	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	600		135
100	200	100	0	100	200	020-	त्यौहार अग्रिम	200		136
-100	-200	-100	0	-100	-200	021-	घटाइये वापसियां	-200		137
200	400	200	0	200	400	022-	अनाज अग्रिम	400		138
-200	-400	-200	0	-200	-400	23	घटाइये अग्रिम	-400		139
0	200	0	0	0	200	024-	चिकित्सा अग्रिम	200		140
0	-200	0	0	-200	-200	025-	घटाइये वापसियां	-200		141
1330	1400	840	310	1150	1400	026-	नियमित कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना	1500		142
118510	139250	74950	36690	111640	140200	मतदेय	- योग उद्देश्य # 01	171900		
						# 02	मजदूरी			
0	150	0	20	20	150	004	अन्य आकस्मिक मजदूरी	150		598
0	150	0	10	10	150	005	दैनिक वेतन भोगी	150		599
0	300	0	30	30	300	मतदेय	- योग उद्देश्य # 02	300		
						# 03	यात्रा भत्ता			
1490	1500	1340	150	1490	1500	001	यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	1800		143
30	100	30	0	30	100	002	यात्रा भत्ता स्थानांतर पर	100		144
760	800	670	70	740	800	003	यात्रा भत्ता प्रशिक्षण पर	1000		145
0	100	0	0	0	100	006	अवकाश यात्रा सुविधा	100		413
2280	2500	2040	220	2260	2500	मतदेय	- योग उद्देश्य # 03	3000		
						# 04	कार्यालय व्यय			
100	160	90	10	100	160	001-	डाकतार पर व्यय	160		146
160	270	90	70	160	270	002-	दूरभाष पर व्यय	300		147
560	600	500	100	600	600	003-	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	600		148
450	600	440	30	470	600	004-	पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	600		149
1550	2400	1250	560	1810	2400	005-	बिजली एवं जल प्रभार	3200		150
60	150	130	20	150	150	006-	बर्दिया	180		151
540	600	480	60	540	600	007-	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	600		152

1790	2400	1140	760	1900	2400		008-	अन्य आकस्मिक व्यय	4000		153
10	800	10	130	140	8950		009-	सूचना प्रौद्योगिकी	10700		154
0	10	0	0	0	10		013-	किराया, महसूल कर	10		405
5220	7990	4130	1740	5870	16140		मतदेय	– योग उद्देश्य # 04	20350		
							# 10	व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ			
0	50	0	0	0	50		009-	विशेष सेवायें हेतु व्यय	50		155
							# 99-	प्रवर्तित योजनायें			
18900	22500	12170	5800	17970	39800		001-	राज्य शासन का हिस्सा	48980		156
126010	150090	81120	38680	119800	159150		मतदेय	– योग योजना (1502)	195600		
107110	127590	68950	32880	101830	119350						
								घटाईए पुर्नप्राप्तियां.....उंचत	146920		
								उपकर निधियां			
								अन्य			
dv. Head 1101	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)										
Segment 0801	केन्द्र क्षेत्रीय योज-	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)					0801	केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य			
							(1502)	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये			
							# 04	कार्यालय व्यय			
0	10	0	0	0	10		003-	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	10		426
3400	5000	3260	140	3400	5000		008-	अन्य आकस्मिक व्यय	10		157
3400	5010	3260	140	3400	5010		मतदेय	– योग उद्देश्य # 04	20		
							# 05	प्रशिक्षण			
25200	27200	24520	430	24950	27200		001-	अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	48000		425
1470	1600	1440	50	1490	1600		002-	अन्य प्रशिक्षण	8000		158
26670	28800	25960	480	26440	28800		मतदेय	– योग उद्देश्य # 05	56000		
							# 14	सहायक अनुदान			
0	10	0	0	0	16000		004-	अधोसंरचना अनुदान	10		406
							# 97-	निर्माण कार्य			
0	10	0	0	0	3000		001-	भवन	10		159
30070	33830	29220	620	29840	52810		मतदेय	– योग योजना (1502)	56040		
								घटाईए पुर्नप्राप्तियां.....उंचत			
								उपकर निधियां			
								अन्य			
160320	204920	114490	39300	153790	154440		मतदेय	– लघु शीर्ष -{107}	175310		
							[02]	माध्यमिक शिक्षा			
							{105}	शिक्षकों को प्रशिक्षण			
dv. Head 1101	स्कूल शिक्षा (माध्यमिक)						0101-	राज्य आयोजना (सामान्य)			
Segment 0101	आयोजना (सामान्य)										
	11015 – स्कूल शिक्षा (माध्यमिक)						(3694)	राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस.सी.ई.आर.टी.) का पुनर्गठन			
							#01	वेतन भत्ते, आदि			
4270	5500	2540	1290	3830	4500		001-	वेतन	4950		430
160	100	100	0	100	100		002-	महंगाई वेतन	100		642
1970	2700	1380	730	2110	2700		003-	महंगाई भत्ता	4160		431
170	280	120	80	200	280		006-	मकान किराया भत्ता	280		432
150	120	100	50	150	150		014-	अन्य भत्ते	150		194

Segment 010	आयोजना (साम)	स्कूल शिक्षा (माध्यमिक)				(5569)	सीमेट का गठन			
						#01	वेतन भत्ते, आदि			
3780	4000	1910	1010	2920	4000	001-	वेतन	4000		217
10	0	0	0	0	0	002-	महंगाई वेतन	0		643
1340	2400	750	560	1310	2400	003-	महंगाई भत्ता	3360		218
270	300	160	80	240	300	006-	मकान किराया भत्ता	300		219
20	20	10	10	20	20	014-	अन्य भत्ते	20		220
0	10	0	0	0	10	015-	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	10		221
0	10	0	0	0	10	020-	त्यौहार अग्रिम	10		222
0	-10	0	0	0	-10	021-	घटाइये वापसियां	-10		223
0	20	0	0	0	20	022-	अनाज अग्रिम	20		224
0	-20	0	0	0	-20	023-	घटाइये वापसियां	-20		225
5420	6730	2830	1660	4490	6730		मतदेय - योग उद्देश्य # 01	7690		
						# 02-	मजदूरी			
150	150	100	0	100	150	005-	दैनिक वेतन भोगी	150		226
						# 03	यात्रा भत्ता			
0	10	0	10	10	10	001	यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	10		227
0	10	0	0	0	10	002	यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर	10		228
0	20	0	10	10	20		मतदेय - योग उद्देश्य # 03	20		
						# 04	कार्यालय व्यय			
50	50	50	0	50	50	008-	अन्य आकस्मिक व्यय	50		682
5620	6950	2980	1670	4650	6950		मतदेय - योग योजना -(5569)	7910		
							घटाईए पुर्नप्राप्तियां.....उंचत			
							उपकर निधियां			
							अन्य			
Segment 010	आयोजना (साम)	स्कूल शिक्षा (माध्यमिक)				(67)-	अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई संस्थान			
						#01	वेतन भत्ते, आदि			
3290	3400	1700	1090	2790	3400	001-	वेतन	3400		179
0	0	0	0	0	0	002-	महंगाई वेतन	0		644
1210	2050	760	600	1360	2050	003-	महंगाई भत्ता	2860		180
10	20	10	10	20	20	005-	आदिवासी क्षेत्र भत्ता	20		407
160	190	130	60	190	190	006-	मकान किराया भत्ता	190		181
10	20	10	10	20	20	014-	अन्य भत्ते	20		714
10	20	10	0	10	20	015-	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	20		715
0	10	0	0	0	10	020-	त्यौहार अग्रिम	10		716
0	-10	0	0	0	-10	021-	घटाइए वापसियां	-10		717
0	10	0	0	0	10	022-	अनाज अग्रिम	10		718
0	-10	0	0	0	-10	023-	घटाइए वापसियां	-10		719
0	10	0	0	0	10	024-	चिकित्सा अग्रिम	10		720
0	-10	0	0	0	-10	025-	घटाइए वापसियां	-10		721
4690	5700	2620	1770	4390	5700		मतदेय - योग उद्देश्य # 01	6510		

मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा																		
स्कूल शिक्षा विभाग		2004-संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.)																
विभागीय लेखा	बजट अनुमान	12 माह के वास्तविक आंकड़े		योग	पुनरीक्षित अनुमान 2011-12		शीर्ष							बजट अनुमान 2012-2013		अभियुक्ति	संदर्भ क्र.	
2010-2011	2011-2012	8 माह 2010-11	4 माह 2011-12		प्रस्तावित	अनुमोदित		प्रस्तावित	अनुमोदित									प्रस्तावित
								एक - राजस्व अनुभाग										
								2202 - सामान्य शिक्षा										
								[01] - प्राथमिक शिक्षा										
								{107} - शिक्षकों को प्रशिक्षण										
11011-स्कूल शिक्षा (अन्य)		(3024) - बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएं-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए																
								# 01- वेतन भत्ते, आदि										
6950	7800	3800	3660	7460	7800			001-	वेतन						8600		108	
0	10	0	0	0	10			002-	महंगाई वेतन						10		638	
1620	3500	990	1160	2150	3500			003-	महंगाई भत्ता						5160		109	
410	300	370	200	570	300			006-	मकान किराया भत्ता						440		110	
70	50	60	10	70	50			014-	अन्य भत्ते						50		111	
20	100	10	10	20	100			015-	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति						100		112	
0	20	0	0	0	20			020-	त्यौहार अग्रिम						20		113	
0	-20	0	0	0	-20			021-	घटाइये-वापसियां						-20		114	
0	40	0	0	0	40			022-	अनाज अग्रिम						40		115	
0	-40	0	0	0	-40			023-	घटाइये-वापसियां						-40		116	
0	50	0	0	0	50			024-	चिकित्सा अग्रिम						50		117	
0	-50	0	0	0	-50			025-	घटाइये-वापसियां						-50		118	
0	500	0	0	0	500			026-	नियमित कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना						500		628	
9070	12260	5230	5040	10270	12260			मतदेय	योग उद्देश्य # 01						14860			

10	20	0	0	0	20		001-	डाक तार पर व्यय					20		583
40	50	30	10	40	50		002-	दूरभाष पर व्यय					50		584
10	10	10	0	10	10		003-	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण					10		585
20	20	10	10	20	20		004-	पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं					20		586
140	310	110	50	160	310		005-	बिजली एवं जल प्रभार					370		587
10	20	10	0	10	20		006-	वर्दियां					20		588
80	80	60	10	70	80		007-	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई					80		589
80	80	40	20	60	80		008-	अन्य आकस्मिक व्यय					80		590
30	50	20	10	30	50		011-	पेट्रोल तेल आदि					50		591
420	640	290	110	400	640		मतदेय	योग उद्देश्य # 04					700		
							# 24-	अनुरक्षण कार्य							
40	40	40	0	40	40		001-	मोटर गाड़ी					50		666
35630	38780	23650	14780	38430	39900		मतदेय	योग योजना (4402)					53250		
								घटाइये पुर्नप्राप्तियां	उचंत						
									उपकर निधियां						
									अन्य						
11015- स्कूल शिक्षा (माध्यमिक)							0101- राज्य आयोजना (सामान्य)								
0101- राज्य आयोजना (सामान्य)							(3694)- राज्य शिक्षा संस्थान एवं एस.सी.ई.आर.टी. का पुनर्गठन 5 %								
							# 01-	वेतन भत्ते, आदि							
9700	11000	5710	4560	10270	11000		001-	वेतन					11000		430
10	200	10	0	10	200		002-	महंगाई वेतन					100		642
2340	4900	1280	1160	2440	4900		003-	महंगाई भत्ता					6600		431
620	400	550	200	750	400		006-	मकान किराया भत्ता					950		432
30	30	20	10	30	30		014-	अन्य भत्ते					30		194
40	100	20	10	30	100		015-	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति					100		195

0	20	0	0	0	20		024-	चिकित्सा अग्रिम				20		200
0	-20	0	0	0	-20		025-	घटाइये-वापसियां				-20		201
12740	16630	7590	5940	13530	16630		मतदेय	योग उद्देश्य # 01				18780		
				0			# 03-	यात्रा भत्ता						
50	50	40	10	50	50		001-	यात्रा भत्ता दौरे आदि पर				50		203
0	10	0	0	0	10		002-	यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर				10		204
10	30	10	0	10	30		003-	यात्रा भत्ता प्रशिक्षण पर				30		414
0	10	0	0	0	10		006-	अवकाश यात्रा सुविधा				10		415
60	100	50	10	60	100		मतदेय	योग उद्देश्य # 03				100		
				0			# 04-	कार्यालय व्यय						
20	20	10	0	10	20		001-	डाक तार पर व्यय				20		205
40	80	60	20	80	80		002-	दूरभाष पर व्यय				80		206
80	80	20	0	20	80		003-	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण				80		207
0	20	0	0	0	10		004-	पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं				20		208
300	370	210	150	360	370		005-	बिजली एवं जल प्रभार				450		209
0	10	0	0	0	10		006-	वर्दियां				10		210
60	60	30	60	90	60		007-	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई				60		211
40	60	30	10	40	60		008-	अन्य आकस्मिक व्यय				60		212
0	10	0	0	0	10		009-	सूचना प्रौद्योगिकी				10		213
130	100	70	20	90	100		011-	पेट्रोल तेल आदि				100		214
670	810	430	260	690	800		मतदेय	योग उद्देश्य # 04				890		
							# 05-	प्रशिक्षण						
0	100	0	0	0	100		001-	अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रशिक्षण				100		
								भारित 15- डिक्री धन का भुगतान (भारित)						
0	10	0	0	0	10							10		215

BUDGET UNDER DIFFERENT HEADS (IN THOUSANDS)**In Thousands**

DDOCODE: 9902004 DESIGNATION: SCERT FINANCIAL YEAR: 2013_14

DDOCode	DM-MH-SMH-MH-SEG-SCH- OB-DH-VC	Total Budget Allocated	Total Budget Distributed	Self Expenditure	Balance	Total Expenditure Of DDO's	Total Expenditure (self exp.+ exp of ddo's)
9902004	27-2202-01-105-0101-6956-03-003-V	450	449.2	0	0.8	109.228	109.228
9902004	27-2202-01-105-0101-6956-04-008-V	1650	1646.87	0	3.13	1041.134	1041.134
9902004	27-2202-01-105-0101-6956-05-001-V	1275	1275	0	0	749.406	749.406
9902004	27-2202-01-105-0101-6956-25-006-V	2625	2625	0	0	2600	2600
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-001-V	8000	7000	0	1000	3874.72	3874.72
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-002-V	10	0	0	10	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-003-V	6520	5880	0	640	3377.761	3377.761
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-006-V	500	400	0	100	251.93	251.93
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-014-V	50	45	0	5	126.6	126.6
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-015-V	280	270	0	10	88.606	88.606
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-020-V	20	20	0	0	80	80
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-021-V	-20	0	0	-20	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-022-V	40	40	0	0	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-023-V	-40	0	0	-40	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-024-V	50	50	0	0	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-025-V	-50	0	0	-50	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-01-026-V	200	160	0	40	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-02-004-V	100	95	0	5	73.575	73.575
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-03-001-V	90	60	0	30	29.528	29.528
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-03-002-V	10	0	0	10	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-03-003-V	20	20	0	0	0	0

9902004	27-2202-01-107-0000-3024-03-006-V	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	10	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-04-001-V	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-04-002-V	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	0	19.814	19.814
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-04-003-V	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-04-004-V	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-04-005-V	<u>190</u>	<u>160</u>	<u>0</u>	30	34.24	34.24
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-04-006-V	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	0	0.943	0.943
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-04-007-V	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	0	8.949	8.949
9902004	27-2202-01-107-0000-3024-04-008-V	<u>80</u>	<u>60</u>	<u>0</u>	20	36.241	36.241
9902004	27-2202-01-107-0101-5708-05-001-V	<u>4500</u>	<u>4500</u>	<u>0</u>	0	385.701	385.701
9902004	27-2202-01-107-0101-8646-10-009-V	<u>7500</u>	<u>7500</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-01-107-0101-8647-11-001-V	<u>7500</u>	<u>4500</u>	<u>0</u>	3000	2211.15	2211.15
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-001-V	<u>90000</u>	<u>74000</u>	<u>0</u>	16000	49444.136	49444.136
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-002-V	<u>100</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	80	0	0
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-003-V	<u>75600</u>	<u>62160</u>	<u>0</u>	13440	38677.614	38677.614
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-005-V	<u>300</u>	<u>275</u>	<u>0</u>	25	176.386	176.386
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-006-V	<u>2600</u>	<u>1630</u>	<u>0</u>	970	2377.353	2377.353
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-014-V	<u>1200</u>	<u>920</u>	<u>0</u>	280	2335.606	2335.606
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-015-V	<u>600</u>	<u>333</u>	<u>0</u>	267	201.93	201.93
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-020-V	<u>200</u>	<u>160</u>	<u>0</u>	40	336	336
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-021-V	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-200	0	0
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-022-V	<u>400</u>	<u>320</u>	<u>0</u>	80	0	0
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-023-V	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-400	0	0
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-024-V	<u>200</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	50	0	0
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-025-V	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-200	0	0
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-01-026-V	<u>1500</u>	<u>1000</u>	<u>0</u>	500	366.661	366.661
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-02-004-V	<u>150</u>	<u>55</u>	<u>0</u>	95	18	18
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-02-005-V	<u>150</u>	<u>65</u>	<u>0</u>	85	38.41	38.41
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-03-001-V	<u>1800</u>	<u>1350</u>	<u>0</u>	450	218.72	218.72
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-03-002-V	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	100	0	0

	27-2202-01-107-0701-1502-03-003-V	<u>1000</u>	<u>736</u>	<u>0</u>	264	31.792	31.792
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-03-006-V	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	100	0	0
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-04-001-V	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>0</u>	0	35	35
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-04-002-V	<u>300</u>	<u>230</u>	<u>0</u>	70	139.176	139.176
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-04-003-V	<u>600</u>	<u>448</u>	<u>0</u>	152	74.175	74.175
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-04-004-V	<u>600</u>	<u>448</u>	<u>0</u>	152	55.57	55.57
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-04-005-V	<u>3200</u>	<u>1700</u>	<u>0</u>	1500	788.486	788.486
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-04-006-V	<u>180</u>	<u>135</u>	<u>0</u>	45	31.148	31.148
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-04-007-V	<u>600</u>	<u>448</u>	<u>0</u>	152	105.439	105.439
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-04-008-V	<u>8000</u>	<u>6000</u>	<u>0</u>	2000	2826.17	2826.17
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-04-009-V	<u>800</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	200	164.082	164.082
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-04-013-V	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	10	0	0
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-05-001-V	<u>48000</u>	<u>36000</u>	<u>0</u>	12000	7478.455	7478.455
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-05-002-V	<u>8000</u>	<u>6000</u>	<u>0</u>	2000	509.974	509.974
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-10-004-V	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	100	0	0
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-10-009-V	<u>50</u>	<u>22.4</u>	<u>0</u>	27.6	1.4	1.4
9902004	27-2202-01-107-0701-1502-14-004-V	<u>19000</u>	<u>7200</u>	<u>0</u>	11800	1623.063	1623.063
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-01-001-V	<u>11000</u>	<u>11000</u>	<u>0</u>	0	6373.383	6373.383
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-01-002-V	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-01-003-V	<u>9200</u>	<u>9200</u>	<u>0</u>	0	5167.024	5167.024
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-01-006-V	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	0	400.662	400.662
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-01-014-V	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>0</u>	0	101.835	101.835
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-01-015-V	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	0	27.323	27.323
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-01-024-V	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-01-025-V	<u>-20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-20	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-03-001-V	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	0	149.782	149.782
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-03-002-V	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-03-003-V	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-03-006-V	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-04-001-V	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	0	0	0

	27-2202-02-105-0000-3694-04-002-V	80	80	0	0	25.634	25.634
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-04-003-V	80	80	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-04-004-V	100	100	0	0	1.58	1.58
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-04-005-V	500	500	0	0	133.76	133.76
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-04-006-V	10	10	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-04-007-V	100	100	0	0	99.229	99.229
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-04-008-V	60	60	0	0	59.801	59.801
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-04-009-V	1100	1100	0	0	433.531	433.531
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-04-011-V	200	200	0	0	116.899	116.899
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-05-001-V	100	100	0	0	15.813	15.813
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-15-000-C	10	0	0	10	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-24-001-V	60	60	0	0	27.377	27.377
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-24-011-V	100	100	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-3694-34-001-V	500	500	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-001-V	33000	29000	0	4000	13730.504	13730.504
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-002-V	100	80	0	20	17.1	17.1
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-003-V	27400	24650	0	2750	11059.662	11059.662
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-006-V	2300	1800	0	500	857.383	857.383
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-014-V	180	160	0	20	331.309	331.309
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-015-V	700	510	0	190	150.24	150.24
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-020-V	30	30	0	0	120	120
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-021-V	-30	0	0	-30	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-022-V	60	60	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-023-V	-60	0	0	-60	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-024-V	50	50	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-025-V	-50	0	0	-50	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-01-026-V	500	200	0	300	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-02-004-V	100	80	0	20	62.841	62.841
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-03-001-V	50	50	0	0	8.256	8.256
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-03-002-V	20	20	0	0	0	0

	27-2202-02-105-0000-4402-03-003-V	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-03-006-V	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-04-001-V	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-04-002-V	<u>50</u>	<u>40</u>	<u>0</u>	10	25.805	25.805
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-04-003-V	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-04-004-V	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	0	6.479	6.479
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-04-005-V	<u>370</u>	<u>270</u>	<u>0</u>	100	170.157	170.157
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-04-006-V	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-04-007-V	<u>80</u>	<u>60</u>	<u>0</u>	20	8.901	8.901
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-04-008-V	<u>80</u>	<u>60</u>	<u>0</u>	20	21.584	21.584
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-04-011-V	<u>60</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	10	23.444	23.444
9902004	27-2202-02-105-0000-4402-24-001-V	<u>50</u>	<u>40</u>	<u>0</u>	10	24.696	24.696
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-001-V	<u>3400</u>	<u>2300</u>	<u>0</u>	1100	1475.11	1475.11
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-003-V	<u>2860</u>	<u>1930</u>	<u>0</u>	930	1288.866	1288.866
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-005-V	<u>20</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	13	0.805	0.805
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-006-V	<u>190</u>	<u>130</u>	<u>0</u>	60	103.012	103.012
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-014-V	<u>20</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	6	43.2	43.2
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-015-V	<u>20</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	6	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-020-V	<u>10</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	3	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-021-V	<u>-10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-10	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-022-V	<u>10</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	3	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-023-V	<u>-10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-10	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-024-V	<u>10</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	3	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-01-025-V	<u>-10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-10	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-03-001-V	<u>22.5</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	14.5	0.67	0.67
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-03-002-V	<u>15</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	9	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-03-003-V	<u>15</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	9	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-04-001-V	<u>30</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	10	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-04-003-V	<u>45</u>	<u>18</u>	<u>0</u>	27	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-04-004-V	<u>45</u>	<u>18</u>	<u>0</u>	27	0	0

	27-2202-02-105-0101-0067-04-005-V	<u>20</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>0.85</u>	<u>0.85</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-04-006-V	<u>7.5</u>	<u>4.5</u>	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-04-007-V	<u>22.5</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>14.5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-0067-04-008-V	<u>45</u>	<u>18</u>	<u>0</u>	<u>27</u>	<u>3.15</u>	<u>3.15</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-01-001-V	<u>4950</u>	<u>4950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2818.03</u>	<u>2818.03</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-01-002-V	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-01-003-V	<u>4084</u>	<u>4084</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2198.175</u>	<u>2198.175</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-01-006-V	<u>280</u>	<u>280</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>145.747</u>	<u>145.747</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-01-014-V	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>143.253</u>	<u>143.253</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-01-015-V	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-01-020-V	<u>96</u>	<u>96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96</u>	<u>96</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-01-021-V	<u>-20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20</u>	<u>-3.2</u>	<u>-3.2</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-01-022-V	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-01-023-V	<u>-40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-02-004-V	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>438.547</u>	<u>438.547</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-02-005-V	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-03-001-V	<u>52.5</u>	<u>52.5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.693</u>	<u>4.693</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-03-002-V	<u>7.5</u>	<u>7.5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-03-003-V	<u>7.5</u>	<u>7.5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-03-006-V	<u>7.5</u>	<u>7.5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-04-001-V	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-04-002-V	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.024</u>	<u>22.024</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-04-004-V	<u>37.5</u>	<u>37.5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-04-005-V	<u>560</u>	<u>560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>401.746</u>	<u>401.746</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-04-007-V	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.268</u>	<u>26.268</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-04-009-V	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-05-001-V	<u>7.5</u>	<u>7.5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-10-009-V	<u>8250</u>	<u>8250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>133.783</u>	<u>133.783</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-10-010-V	<u>262.5</u>	<u>262.5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>248.61</u>	<u>248.61</u>
9902004	27-2202-02-105-0101-3694-10-011-V	<u>262.5</u>	<u>262.5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>259.339</u>	<u>259.339</u>

	27-2202-02-105-0101-5569-01-001-V	4000	4000	0	0	2211.494	2211.494
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-01-003-V	3350	3350	0	0	1460.801	1460.801
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-01-006-V	300	300	0	0	119.972	119.972
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-01-014-V	20	20	0	0	62.244	62.244
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-01-015-V	20	20	0	0	13.034	13.034
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-01-020-V	10	10	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-01-021-V	-10	0	0	-10	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-01-022-V	20	20	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-01-023-V	-20	0	0	-20	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-02-005-V	150	150	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-03-001-V	7.5	7.5	0	0	3.222	3.222
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-03-002-V	7.5	7.5	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-5569-04-008-V	37.5	37.5	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-6744-01-016-V	500	500	0	0	318.88	318.88
9902004	27-2202-02-105-0101-6744-04-008-V	75	75	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-6744-24-002-V	150	150	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0101-6744-28-001-V	9225	9225	0	0	4900	4900
9902004	27-2202-02-105-0101-6744-97-001-V	1800	1800	0	0	1625.178	1625.178
9902004	27-2202-02-105-0701-3694-04-003-V	1000	1000	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0701-3694-05-001-V	1500	1500	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0701-3694-05-002-V	4500	4500	0	0	507.605	507.605
9902004	27-2202-02-105-0701-3694-10-004-V	10	10	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0701-3694-10-009-V	300	300	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0701-3694-14-004-V	5000	5000	0	0	0	0
9902004	27-2202-02-105-0701-4402-04-003-V	2400	1620	0	780	0	0
9902004	27-2202-02-105-0701-4402-04-004-V	10	0	0	10	0	0
9902004	27-2202-02-105-0701-4402-04-008-V	2080	2028	0	52	0	0
9902004	27-2202-02-105-0701-4402-05-001-V	4000	3000	0	1000	89.939	89.939
9902004	27-2202-02-105-0701-4402-14-004-V	2000	900	0	1100	0	0
9902004	27-2202-02-105-0801-5647-01-001-V	1600	1600	0	0	1091.23	1091.23

	27-2202-02-105-0801-5647-01-003-V	<u>1340</u>	<u>1340</u>	<u>0</u>	0	947.667	947.667
9902004	27-2202-02-105-0801-5647-01-006-V	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>0</u>	0	80.62	80.62
9902004	27-2202-02-105-0801-5647-01-014-V	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	0	24.825	24.825
9902004	27-2202-02-105-0801-5647-01-015-V	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	0	0	0
9902004	27-2202-02-800-0101-6796-10-002-V	<u>1500</u>	<u>1304.729</u>	<u>0</u>	195.271	8.2	8.2
9902004	27-4202-01-201-0101-5647-97-001-V	<u>7.5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	7.5	0	0
	Total	470967.5	390813.199	0		186689.855	186689.855

[GO TO HOME PAGE](#)

[Go Top](#)

BUDGET UNDER DIFFERENT HEADS (IN THOUSANDS)**In Thousands**

DDOCODE: 1120160 DESIGNATION: DIRECTOR C.G.STATE COUNCIL OF EDUCATION RESEARCH FINANCIAL YEAR: 2013_14
 TRAINING CENTRE RAIPUR

DDOCode	DM-MH-SMH-MH-SEG-SCH- OB-DH-VC	Total Budget Allocated	Total Budget Distributed	Self Expenditure	Balance	Total Expenditure Of DDO's	Total Expenditure (self exp.+ exp of ddo's)
1120160	27-2202-01-101-0101-4396-25-001-V	0	0	0	0	0	0
1120160	27-2202-01-105-0101-6956-03-003-V	395	0	109.228	285.772	0	109.228
1120160	27-2202-01-105-0101-6956-04-008-V	955	0	527.271	427.729	0	527.271
1120160	27-2202-01-105-0101-6956-05-001-V	503.13	0	271.673	231.457	0	271.673
1120160	27-2202-01-105-0101-6956-25-006-V	2625	0	2600	25	0	2600
1120160	27-2202-01-107-0101-5708-05-001-V	4381.8	0	377.876	4003.924	0	377.876
1120160	27-2202-01-107-0101-8646-10-009-V	7500	0	0	7500	0	0
1120160	27-2202-01-107-0101-8647-11-001-V	63	0	0	63	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-01-001-V	11000	0	6373.383	4626.617	0	6373.383
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-01-002-V	100	0	0	100	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-01-003-V	9200	0	5167.024	4032.976	0	5167.024
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-01-006-V	700	0	400.662	299.338	0	400.662
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-01-014-V	40	0	101.835	-61.835	0	101.835
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-01-015-V	100	0	27.323	72.677	0	27.323
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-01-024-V	20	0	0	20	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-01-025-V	0	0	0	0	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-03-001-V	200	0	149.782	50.218	0	149.782
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-03-002-V	10	0	0	10	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-03-003-V	30	0	0	30	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-03-006-V	100	0	0	100	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-04-001-V	20	0	0	20	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-04-002-V	80	0	25.634	54.366	0	25.634
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-04-003-V	80	0	0	80	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-04-004-V	100	0	1.58	98.42	0	1.58

1120160	27-2202-02-105-0000-3694-04-005-V	500	0	133.76	366.24	0	133.76
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-04-006-V	10	0	0	10	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-04-007-V	100	0	99.229	0.771	0	99.229
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-04-008-V	60	0	59.801	0.199	0	59.801
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-04-009-V	1100	0	433.531	666.469	0	433.531
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-04-011-V	200	0	116.899	83.101	0	116.899
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-05-001-V	100	0	15.813	84.187	0	15.813
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-24-001-V	60	0	27.377	32.623	0	27.377
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-24-011-V	100	0	0	100	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-3694-34-001-V	500	0	0	500	0	0
1120160	27-2202-02-105-0000-4402-01-001-V	0	0	177.219	-177.219	0	177.219
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-01-001-V	4950	0	2818.03	2131.97	0	2818.03
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-01-002-V	100	0	0	100	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-01-003-V	4084	0	2198.175	1885.825	0	2198.175
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-01-006-V	280	0	145.747	134.253	0	145.747
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-01-014-V	150	0	143.253	6.747	0	143.253
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-01-015-V	100	0	0	100	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-01-020-V	96	0	96	0	0	96
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-01-021-V	0	0	-3.2	3.2	0	-3.2
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-01-022-V	40	0	0	40	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-01-023-V	0	0	0	0	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-02-004-V	700	0	438.547	261.453	0	438.547
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-02-005-V	100	0	0	100	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-03-001-V	52.5	0	4.693	47.807	0	4.693
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-03-002-V	7.5	0	0	7.5	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-03-003-V	7.5	0	0	7.5	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-03-006-V	7.5	0	0	7.5	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-04-001-V	20	0	20	0	0	20
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-04-002-V	30	0	22.024	7.976	0	22.024
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-04-004-V	37.5	0	0	37.5	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-04-005-V	560	0	401.746	158.254	0	401.746
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-04-007-V	45	0	26.268	18.732	0	26.268
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-04-009-V	750	0	450	300	0	450
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-05-001-V	7.5	0	0	7.5	0	0

1120160	27-2202-02-105-0101-3694-10-009-V	8250	0	133.783	8116.217	0	133.783
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-10-010-V	262.5	0	248.61	13.89	0	248.61
1120160	27-2202-02-105-0101-3694-10-011-V	262.5	0	259.339	3.161	0	259.339
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-01-001-V	4000	0	2211.494	1788.506	0	2211.494
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-01-003-V	3350	0	1460.801	1889.199	0	1460.801
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-01-006-V	300	0	119.972	180.028	0	119.972
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-01-014-V	20	0	62.244	-42.244	0	62.244
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-01-015-V	20	0	13.034	6.966	0	13.034
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-01-020-V	10	0	0	10	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-01-021-V	0	0	0	0	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-01-022-V	20	0	0	20	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-01-023-V	0	0	0	0	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-02-005-V	150	0	0	150	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-03-001-V	7.5	0	3.222	4.278	0	3.222
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-03-002-V	7.5	0	0	7.5	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-5569-04-008-V	37.5	0	0	37.5	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-6744-01-016-V	500	0	318.88	181.12	0	318.88
1120160	27-2202-02-105-0101-6744-04-008-V	75	0	0	75	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-6744-24-002-V	150	0	0	150	0	0
1120160	27-2202-02-105-0101-6744-28-001-V	9225	0	4900	4325	0	4900
1120160	27-2202-02-105-0101-6744-97-001-V	1570	0	1500	70	0	1500
1120160	27-2202-02-105-0701-3694-04-003-V	1000	0	0	1000	0	0
1120160	27-2202-02-105-0701-3694-05-001-V	1500	0	0	1500	0	0
1120160	27-2202-02-105-0701-3694-05-002-V	4500	0	507.605	3992.395	0	507.605
1120160	27-2202-02-105-0701-3694-10-004-V	10	0	0	10	0	0
1120160	27-2202-02-105-0701-3694-10-009-V	300	0	0	300	0	0
1120160	27-2202-02-105-0701-3694-14-004-V	5000	0	0	5000	0	0
1120160	27-2202-02-105-0801-5647-01-001-V	1600	0	1091.23	508.77	0	1091.23
1120160	27-2202-02-105-0801-5647-01-003-V	1340	0	947.667	392.333	0	947.667
1120160	27-2202-02-105-0801-5647-01-006-V	130	0	80.62	49.38	0	80.62
1120160	27-2202-02-105-0801-5647-01-014-V	10	0	24.825	-14.825	0	24.825
1120160	27-2202-02-105-0801-5647-01-015-V	10	0	0	10	0	0
1120160	27-2202-02-109-0101-7363-05-002-V	4500	4500	0	0	4370.056	4370.056
1120160	27-2202-02-800-0101-6796-10-002-V	600	0	0	600	0	0

Total	101775.43	4500	37841.509	4370.056	42211.565
-------	-----------	------	-----------	----------	-----------

[GO TO HOME PAGE](#)

[Go Top](#)

अध्याय – 13

(मैन्यूअल-12)

अनुदान/ राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति – असंबंधित

अध्याय – 14

(मैन्यूअल-13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण – निरंक

अध्याय – 15

(मैनुअल-14)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रानिक्स फारमेट में हो।

<http://scert.cg.gov.in>

अध्याय – 16

(मैनुअल-15)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

अखबरों के द्वारा

सूचना पटल

उपलब्ध विभागीय मैनुअल

वेबसाईट – <http://scert.cg.gov.in>

अध्याय – 17

(मैन्यूअल-16)

जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण

क्रं.		जनसूचना अधिकारी	सहायक जनसूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	नाम	श्री पी. आर. साहू	श्री के.के. साहू	श्री अनिल राय
2	पद	सहायक प्राध्यापक	व्याख्याता	संचालक
3	कार्यालय	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छ.ग. रायपुर	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छ.ग. रायपुर	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छ.ग. रायपुर
4	पता	बी.टी.आई. मैदान शंकरनगर रायपुर छ.ग. पिन-492007	बी.टी.आई. मैदान शंकरनगर रायपुर छ.ग. पिन-492007	बी. टी. आई. मैदान शंकरनगर रायपुर छ.ग. पिन-492007
5	फोन नं.	0771-2442241	0771-2442241	0771-2443496 0771-2773596
6	ई-मेल	scertcg@gmail.com	scertcg@gmail.com	scertcg@gmail.com

अध्याय – 18

(मैन्यूअल-17)

सरकार द्वारा प्रावधान की गई अन्य कोई सूचना

अन्य उपयोग की जानकारियाँ –

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र –

नवीन शिक्षक प्रशिक्षण संस्था खोलने हेतु आवेदनकर्ता एन.सी.टी.ई. के निर्धारित प्रपत्र में एन.सी.टी.ई. को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करता है एवं ऑनलाईन आवेदन की प्रति परिषद् में जमा करता है। परिषद् द्वारा राज्य शासन से शिक्षक प्रशिक्षण संस्था खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत दो एकादमिक व्यक्तियों की टीम बना कर आवेदित संस्था का निरीक्षण करवाये जाकर निरीक्षणकर्ताओं की टीप राज्य शासन को भेजी जाती है। राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात उस अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदनकर्ता एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित प्रपत्र एन.सी.टी.ई. भोपाल को प्रेषित करता है। एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा दो सदस्यों की टीम बनाकर संस्था का निरीक्षण करवाया जाता है व उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मान्यता की कार्यवाही की जाती है।

विज्ञान मेला

पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्रतिवर्ष बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करती है। सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के समस्त विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, परमाणु ऊर्जा आयोग के केन्द्रीय विद्यालय, सी.बी.एस.ई. से संबंधित पब्लिक विद्यालय (स्वतंत्र विद्यालय), तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्रमाणिक बहुदेशीय विद्यालय इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेते हैं। यह राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा ब्लाक स्तर,, जिले स्तर जोनल स्तर और अंत में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित कथानक एवं उपकथानकों के आधार पर आयोजित की जाती है।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा –

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की प्रथम चयन परीक्षा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से प्रवीण्यता के आधार पर चुने गये विद्यार्थी एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित तिथि में ली जाने वाली द्वितीय स्तर के चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।

द्वितीय स्तर की परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार से चयनित विद्यार्थियों को अखिल भारतीय स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी.नई दिल्ली द्वारा 11 वीं से लेकर पी. एच. डी. तक अथवा व्यवसायिक शिक्षा के द्वितीय स्तरीय उपाधि तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

विज्ञान सेमीनार

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कोलकाता द्वारा प्रति वर्ष छात्र – छात्राओं के लिए राष्ट्रीय विज्ञान सेमीनार का आयोजन किया जाता है। इस सेमीनार में राष्ट्र के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित राज्य भाग लेते हैं। यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न स्तरों पर आयोजित की जाती है –

1. ब्लाक स्तर
2. जिला स्तर
3. जोन स्तर
4. राज्य स्तर



क्र. / एम.एड.प्रवेश / 2013-14 /

रायपुर, दिनांक

प्रति,

प्राचार्य,

1. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
2. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर
3. कल्याण महाविद्यालय, सेक्टर-7, भिलाई

विषय :- एम.एड.प्रवेश सत्र 2013-14 बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान बिलासपुर, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में एम.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2013-14 हेतु प्रवेश नियम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

विवरणिका के अनुसार चयन समिति का गठन कर एम.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करें एवं परिषद् को अवगत करावें। अध्यापन कार्य दिनांक 17.06.13 से अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

संलग्न :- एम.एड.प्रवेश नियम एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. / एम.एड.प्रवेश / 2013-14 /

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:

1. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. आयुक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पं.रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
4. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
5. संचालक, नगरीय नियोजन विभाग, रायपुर।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर



एम.एड. 2013-14 हेतु प्रवेश नियम

1. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) बिलासपुर (शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर) शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में शैक्षिक सत्र 2013-14 में एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेश हेतु निम्नांकित वर्गों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं :-

(अ) स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक, समकक्ष वर्ग के अन्य कार्यरत पदाधिकारी, (सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं में कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) तथा शिक्षक (पंचायत) तथा प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला।

(ब) आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक, समकक्ष वर्ग के अन्य कार्यरत पदाधिकारी (सहायक संचालक/विकासखंड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) तथा शिक्षक (पंचायत) तथा प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला।

(स) अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक।

(द) सीधी भर्ती हेतु पात्रताधारी आवेदक (जो सेवा में नहीं है)।

2. निर्धारित स्थान:-

संस्था का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग	आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	अशासकीय संस्था (अनुदान प्राप्त)	सीधी भर्ती	कुल योग
	प्राचार्य/व्याख्याता/ व्याख्याता (पंचायत)/ प्र.पा.पूर्व.मा.शा./ उ.श्रे.शि./ शिक्षक (पंचायत) / प्र.पा.प्रा. शा.	प्राचार्य/व्याख्याता/ व्याख्याता (पंचायत)/ प्र.पा.पूर्व.मा.शा./ उ.श्रे.शि./ शिक्षक (पंचायत)/ प्र.पा.प्रा. शा.	प्राचार्य/ व्याख्याता / शिक्षक		
1. शास.शि.महा.रायपुर	15	13	3	04	35
2. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर	15	13	3	04	35
3. कल्याण महावि. सेक्टर-6, भिलाईनगर	—	—	—	35	35
कुल योग	30	26	06	43	105

टीपः

- I. क्रमांक 01 (अ) तथा 01 (ब) के अनुसार वरीयता क्रम में प्राचार्य/व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत)/प्रधान पाठक. पूर्व.मा.शा./उ.श्रे.शि./शिक्षक (पंचायत)/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का चयन किया जायेगा।
 - II. 01(स) के अनुसार छत्तीसगढ़ के अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं के प्राचार्यों, व्याख्याताओं, उच्च श्रेणी शिक्षकों तथा समकक्ष वर्ग में कार्यरत अन्य पदाधिकारियों के लिए दोनों शासकीय महाविद्यालय में तीन-तीन स्थान निर्धारित है। पात्र आवेदकों के आवेदन निर्धारित संख्या में उपलब्ध न होने पर रिक्त पद सीधी भर्ती वाले आवेदकों से भरे जायेंगे।
 - III. शिक्षा विभाग/आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेतु निर्धारित सीटों का पदवार बंटवारा पूर्ववह रहेगा।
3. न्यूनतम अर्हताएँ: उपरोक्त वर्ग 'अ', 'ब', 'स' के लिए—
- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
 - 2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक सम्मिलित रूप से कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक एम.एड. प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
 - 3) बी.एड. की परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो।
 - 4) आवेदक की आयु दिनांक 01.07.13 को 55 वर्ष से अधिक न हो।
 - 5) पत्राचार पाठ्यक्रम के बी.एड. उपाधि प्राप्त करने वाले भी एम.एड. में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
4. न्यूनतम अर्हताएँ उपरोक्त वर्ग 'द' के लिए :—
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक खण्डों में सम्मिलित रूप से कम से कम 55 प्रतिशत अंक हो अर्थात् बी.एड. 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक एम.एड. प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
 2. पत्राचार पाठ्यक्रम से बी.एड. उपाधि प्राप्त करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे।
 3. बी.एड. परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण होने का बंधन इस वर्ग के लिए नहीं होगा।
 4. आवेदक की आयु शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार मान्य होगी।
 5. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
 6. आचरण प्रमाण—पत्र अंतिम संस्था के प्राचार्य का प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. प्रवेश हेतु शर्तें :—
1. स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं के आवेदकों का चयन प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों को अपनी वरिष्ठता संबंधी जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) को प्रथम नियुक्ति का आदेश, प्रथम नियुक्ति का दिनांक (पदभार ग्रहण करने का दिवस) के सत्यापन हेतु सेवा पुस्तिका की छायाप्रति तथा पदोन्नति होने की स्थिति में उनके आदेश की प्रति आवेदन में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में आवेदन निरस्त किये जायेंगे।
 2. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) बिलासपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के चयन किये गये आवेदकों को प्रशिक्षण अवधि में कार्यरत मानकर नियमानुसार वेतन दिया जावेगा लेकिन शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में एम.एड. के चयनित छात्राध्यापकों हेतु वेतन व्यवस्था पूर्व संस्था से

ही की जाएगी। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) की वेतन व्यवस्था पूर्ववत् यथावत् रहेगी।

3. आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के चयनित आवेदकों के वेतन आदि की व्यवस्था उनके विभाग द्वारा पूर्व वर्षों की भांति ही की जाएगी। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) की वेतन व्यवस्था पूर्ववत् यथावत् ही रहेगी।

4. (क) अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं के आवेदकों को संस्था की प्रबंध समिति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण काल में आवेदकों को अध्ययन अवकाश तथा पूरा वेतन दिया जावेगा।

(ख) अनुदान प्राप्त शालाओं से प्रशिक्षण में भेजे गये प्राचार्यों/व्याख्याताओं शिक्षक के स्थान पर यदि कोई स्थानापन्न नियुक्ति की जाती है, तब उक्त संस्था द्वारा इस नियुक्ति हेतु पृथक से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण पश्चात् शिक्षक को कम से कम दो वर्ष की सेवा उसी संस्था में देनी होगी।

5. आवेदकों के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं होगा।

6. चयनित समस्त आवेदकों को संबंधित शिक्षा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।

7. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. प्रवेश लेने के उपरांत एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण की मांग नहीं की जावेगी।

9. चयन होने एवं प्रवेश न लेने अथवा प्रशिक्षण बीच में छोड़ देने पर आगामी दो वर्षों तक आवेदकों को चयन हेतु अपात्र माना जावेगा।

10. सीधी भर्ती के स्थानों में नियमानुसार अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जाति के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। महिलाएँ/विकलांग/विधवा/परित्यक्ता भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पाल्यों के लिए आरक्षित स्थान शासन के नियमानुसार रहेंगे। आरक्षित वर्ग के पात्र आवेदकों के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति छ.ग.बी.एड.प्रवेश नियम के अनुसार सीटों को परस्पर परिवर्तन कर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। 4 सीट्स के लिए सीटों का आबंटन निम्नानुसार किया जाये :-

	ST	SC	OBC	UR	कुल सीट्स
	32% (1.28)	12% (.48)	14% (.56)	(1.68)	04
यदि सत्र 2013-14 तो	1	1	—	2	4
अगले सत्र 2014-15 में	1	—	1	2	4

(नोट – उपरोक्त सीटों में से किसी भी संवर्ग की कम से कम एक सीट यथा स्थिति नियमानुसार

महिला वर्ग से भरा जाये।)

11. वर्ग (अ), (ब) एवं (स) के आवेदकों ने विगत तीन वर्षों में तीन माह से अधिक समयावधि का एक से अधिक प्रशिक्षण शासकीय खर्च पर न लिया हो। परीवीक्षा अविधि में कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) के आवेदन का प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

12. चयन का आधार सीधी भर्ती के लिए बी.एड. के प्राप्तांक एवं विभागीय आवेदकों के लिए वरिष्ठता रहेगी। उम्मीदवारों के वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी। आयु की समानता होने की स्थिति में बी.एड. के प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जायेगा। सीधी भर्ती हेतु प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।

13. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए उनके द्वारा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र देना होगा तभी उनके आवेदन को मान्य किया जायेगा।

14. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक अपने संस्था प्रमुख से स्टाम्प पेपर पर कार्यरत है इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-

(1) वर्ग (अ) एवं (ब) के लिए -

स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आवेदकों को प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र अपनी संस्था प्रमुख से अग्रेषित करना होगा। संस्था प्रमुख आवेदन को अग्रेषित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 15.05.13 तक भेजेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आवेदन को चेकलिस्ट अनुसार परीक्षण कर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को दिनांक 30.05.13 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे। आवेदकों द्वारा एक अग्रिम प्रति सीधे महाविद्यालय भेजा जा सकता है परन्तु जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त से अग्रेषित आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। शासकीय शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यरत आवेदक अपने संस्था प्रमुख के द्वारा आवेदन को अग्रेषित कराकर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त के माध्यम से ही आवेदन पत्र संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करेंगे।

व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) अपने आवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा करने से पहले आवेदन को संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित करायेंगे तथा मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/जिला पंचायत (जो लागू हो) से प्रति हस्ताक्षर करायेंगे।

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर के संबद्ध शिक्षा जिला :-

1. रायपुर
2. महासमुंद
3. दुर्ग
4. राजनांदगांव
5. कवर्धा
6. बस्तर
7. दंतेवाड़ा
8. धमतरी
9. कांकेर
10. बेमेतरा
11. बलौदाबाजार
12. बालोद
13. गरियाबंद
14. सुकमा
15. बीजापुर
16. कोण्डागांव
17. नारायणपुर ।

उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर के संबद्ध शिक्षा जिला :-

1. बिलासपुर
2. कोरबा
3. जांजगीर
4. रायगढ़
5. जशपुर
6. सरगुजा
7. सूरजपुर
8. बलरामपुर
9. कोरिया
10. मुंगेली

एम.एड. में प्रवेश हेतु शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित जिलों से प्राप्त आवेदनों को वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध सीटों पर चयन किया जावेगा।

(2) वर्ग (स) के लिए :-

अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं/संस्थाओं के आवेदक अपना आवेदन पत्र अपनी संस्था के प्राचार्य से अग्रेषित कराकर दिनांक 15.05.13 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजें। जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करके उपरोक्तानुसार संबंधित शिक्षा महाविद्यालय की ओर दिनांक 30.05.13 तक भेजेंगे।

(3) वर्ग (द) के लिए :-

सीधी भर्ती हेतु आवेदक जिस भी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं वे बी.एड. की वि.वि. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 7 दिवस के अंदर संबंधित संस्था के प्राचार्य को अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे।

- (4)** आवेदन पत्र के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. तथा आयु संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ भी आवेदकों को संलग्न करनी है। सीधी भर्ती के आवेदकों को सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार से अनिम्न पद का हो,द्वारा प्रमाणित छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) आचरण प्रमाण पत्र एवं टी.सी. मूलतः संलग्न करना है।

- (5) कार्यालय संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को सीधे भेजे गये किसी भी श्रेणी के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (6) प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्र के आवेदकों से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा।
- (7) विभागीय सीटों के लिए निर्धारित दिनांक 15.05.13 के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं सीधी भर्ती के लिए बी.एड. विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित होने के सात दिवस के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (8) चयन समिति में संचालक, के द्वारा नामित दो प्रतिनिधि होंगे शेष प्रतिनिधि में से एक – एक आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (सहायक विकास आयुक्त से अन्यून), शिक्षा विभाग से स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी सम्मिलित किये जायेंगे।
- (9) चयन सूची को एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में जारी करने के लिए चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची को चयन सूची जारी करने के दिवस को ही एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर को भेजना होगा तथा ई-मेल पता scertcg@gmail.com पर ई-मेल करना होगा। शिक्षक अपना चयन SCERT के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में भी देख सकते हैं।

(10) अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेक लिस्ट –

- आवेदक के आयु 01.07.2013 तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
- लगातार शासकीय व्यय पर 06 माह से अधिक का प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो।
- एक स्कूल से एक से अधिक शिक्षकों /पंचायत विभाग के शिक्षकों का आवेदन प्राप्त होने पर पात्र वरिष्ठ का आवेदन अग्रेषित करें।
- आवेदक के विरुद्ध कोई जांच /आपराधिक मामला /दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर अग्रेषण न करें। इस हेतु आदेश तथा सेवा पुस्तिका की उस पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें पदभार ग्रहण करने का दिवस अंकित हो संलग्न करना आवश्यक है।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर आवेदन का अग्रेषित न करें।
- पंचायत विभाग के शिक्षकों वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
- बी.एड. में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण ही प्रात्र होंगे।
- SC/ST/OBC वर्ग जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- परीविक्षा अविधि में कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित नहीं करना है।

प्रवेश के समय चाहे गये प्रमाण-पत्र पूर्ण सही व नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। मूल प्रमाण-पत्र की जाँच प्रवेश देते समय संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा। जाँच के दौरान प्रमाण-पत्र सही व नियमानुसार न पाये जाने पर आवेदक को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी और संबंधित प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

(अनिल राय)

संचालक


एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर

एम.एड. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र
सत्र 2013-14

प्रति,

प्राचार्य,

01. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
02. उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर
03. कल्याण महाविद्यालय, से0-7, भिलाई नगर



विषय: एम.एड.प्रवेश हेतु सत्र 2013-14 आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम (उपनाम सहित) :
2. ई मेल :
3. टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर :
4. पद (यदि सेवारत हो तो) :
5. विभाग स्कूल शिक्षा/ आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग /अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/अन्य:
6. कार्यरत संस्था का नाम व पता :
- फोन नंबर :
7. क्या आप सीधी भर्ती के आवेदक हैं? हाँ/नहीं :
8. (अ) क्या आप अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला/संस्थान में सेवारत हैं? हाँ/नहीं
- (ब) यदि हाँ तो क्या आप ने अपनी संस्था की प्रबंधन समिति का विज्ञापन की कंडिका क्रमांक 5-4 (क) में वर्णित प्रमाण-पत्र संलग्न हैं? हाँ/नहीं :
9. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उपाधि का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	मा.शि.मं./वि.वि. का नाम एवं जहां से उपाधि प्राप्त की है	विशेष
1.	माध्यमिक					
2.	उच्चतर माध्यमिक					
3.	स्नातक					
4.	स्नातकोत्तर					
5.	बी.एड.					
6.	पी.एच.डी./अन्य					

(अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

10. शासकीय सेवा के आवेदकों के लिए—
(अ) वर्तमान पद :
- (ब) पद पर नियमित/स्थायी है अथवा नहीं (स्पष्ट करें):
11. जन्म तिथि (अंकों में): (शब्दों में) :
- (जन्म तिथि हेतु आयु संबंधी प्रमाण-पत्र)
12. दिनांक 01.07.13 को आयु: वर्षमाह.....दिन.....
13. नियुक्ति दिनांक :(अ) प्रथम नियुक्ति दिनांकपद.....
(ब) वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांकपद

प्रथम नियुक्ति व वर्तमान पद में नियुक्ति का आदेश की छाया प्रति आवश्यक रूप से आवेदन में संलग्न करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करने पर पर आपके आवेदन को निरस्त किया जावेगा तथा यदि सीधी भर्ती से नियुक्त है तो पदभार ग्रहण करने का दिनांक अंकित करें।

सेवा पुस्तिका की उस पृष्ठ की छायाप्रति भी संलग्न करें जिसमें पदभार ग्रहण करने का दिनांक अंकित हो।

14. विभागीय आवेदकों के लिए कंडिका 5 (11) के अनुसार विगत तीन वर्षों में शासकीय व्यय पर किये प्रशिक्षण की अवधि एवं विवरण:

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	स्थल

15. क्या एम.एड.पाठ्यक्रम के लिए 5 (9) के अनुसार विगत दो वर्षों की अवधि में प्रवेश हेतु चयन किया था?

यदि हाँ तो चयन के पश्चात् प्रवेश न लेने अथवा प्रवेश लेकर पाठ्यक्रम अपूर्ण छोड़ देने के कारणों का विवरण दें।

16. निम्नलिखित में से जिसका सत्य प्रतिलिपि संलग्न हो उनके सामने सही का चिन्ह (✓) लगायें।

- (1) माध्यमिक शाला की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (2) उच्चतर माध्यमिक शाला की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (3) स्नातक की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (4) स्नातकोत्तर की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (5) बी.एड. की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (6) पी.एच.डी. की उपाधि की सत्य प्रतिलिपि।
- (7) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
- (8) जाति प्रमाण-पत्र [(केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के सीधी भर्ती के आवेदकों के लिए)] की सत्य प्रतिलिपि।
- (9) विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/पूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पाल्य होने का प्रमाण-पत्र।
- (10) आचरण प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि। (विभागीय शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।)
- (11) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
- (12) नियुक्ति आदेश शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए।
- (13) सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें पदभार ग्रहण करने दिवस अंकित हो।

17. क्षेत्र की संस्था का नाम जहाँ के लिए पात्र हैं:

18. दी गई जानकारी की सत्यता का प्रमाणीकरण:

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। गलत पाये जाने पर मुझे प्रवेश से वंचित किया जाना स्वीकार है। मैं संस्था तथा विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूँगा/करूँगी। मैंने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन पत्र में संलग्न कर दी हैं। यदि एम.एड. प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन होता है तो मैं निर्धारित संस्था में पूरे सत्र प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम

पद

पता

(जिस पर पत्र व्यवहार किया जा सके)

19. शिक्षक आवेदक के लिए अग्रेषणकर्ता का प्रमाण-पत्र :
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों का उसके अभिलेख से मिलान कर लिया गया है और वे सही पायी गई है। आवेदक संस्था में गत वर्ष से पद पर पदांकित है। आवेदक का कार्य व व्यवहार हैं।

दिनांक

अग्रेषणकर्ता के हस्ताक्षर
पद मुद्रा

20. स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय के आवेदक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र:
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करती है। आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं/संस्थान में पद पर कार्यरत हैं तथा नियमित पद पर हैं।

दिनांक

प्रति हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
पद मुद्रा

21. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालयों के आवेदकों के लिए:
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक अजा, अजजा, अपिव एवं अ.क.विभाग में पद पर कार्यरत हैं।

प्रति हस्ताक्षर
सहायक आयुक्त
अ.जा., अ.ज.जा., पि.वर्ग एवं अ.क.विभाग
पद मुद्रासंभाग (छ.ग.)

22. पंचायत विभाग के कर्मचारी के लिए प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन द्वारा दी गई जानकारीयां विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक पंचायत विभाग के अन्तर्गतशाला मेंपद पर कार्यरत है तथा उक्त पद पर नियुक्ति दिनांकहै।

प्रति हस्ताक्षर
मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला /जनपद पंचायत
पद मुद्रा

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
पद मुद्रा

23. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए निम्नलिखित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। (शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर देना अनिवार्य होगा)

मैं पिता उम्र दिनांक
 से तक संस्था में
 पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद 6 साल तक इसी संस्था में कार्य करता रहूंगा। एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर तथा शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर के सदस्य इस 6 साल की अवधि में मेरे संस्था में आकर इसकी जांच कर सकेंगे। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर एवं पता

गवाह के हस्ताक्षर तथा पता

1.

2.

24. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था के आवेदक के संस्था प्रमुख से निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता ..
 पता मेरी संस्था में
 से तक कार्यरत है। मेरी संस्था को सत्र से शासन से अनुदान प्राप्त है।

उक्त आवेदक एम.एड.प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लगातार 6 वर्षों तक मेरी संस्था में कार्य करते रहेंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम

पता



क्र. / बी.एड.(विभागीय) / प्रवेश / 2013-14 /

रायपुर, दिनांक

प्रति,

1. प्राचार्य,
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
2. प्राचार्य,
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर

विषय :- बी.एड.प्रवेश (विभागीय) 2013-14 का प्रवेश प्रक्रिया बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत बी.एड.विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण 2013-14 हेतु प्रवेश प्रक्रिया परिषद् द्वारा पिछले वर्षों की भाँति निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

1. आप अपने कार्यक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से शिक्षकों के आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 30.05.13 तक प्राप्त करेंगे। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) यदि स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूल में कार्यरत है तो वे अपने आवेदन को मुख्यकार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत/जनपद पंचायत) से प्रति हस्ताक्षर कराकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे और यदि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्कूल में कार्यरत है तो वे अपने आवेदन को मुख्यकार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत/जनपद पंचायत) से प्रति हस्ताक्षर उपरान्त सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, /सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग शिक्षकों से 15.05.13 तक इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन प्राप्त करेंगे। प्राप्त आवेदनों को पद व वरिष्ठता के आधार पर अग्रेषित कर नामीनल रोल सहित संबंधित शिक्षा महाविद्यालय को भेजेंगे। आप जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रवेश प्रक्रिया से तत्काल पत्र द्वारा सूचित करें। उन्हें यह भी निर्देशित करें कि वे बी.एड. प्रवेश प्रक्रिया 2013-14 हेतु समय पर सूचना एवं आवेदन का प्रारूप प्रसारित करें तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करें। आवेदन पत्र तथा निर्देश एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> पर भी उपलब्ध है इसकी जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी देवें तथा सूचना बोर्ड पर भी चस्पा करें। अनुदान प्राप्त अशासकीय मान्यता प्राप्त शालाओं के शिक्षकों के आवेदनों का नामीनल रोल पृथक से बनाया जावे। एम.एड. (विभागीय) प्रवेश नियम के अनुसार गठित चयन समिति ही बी.एड.प्रवेश के लिए होगी।

उपरोक्तानुसार चयन समिति गठित करें तथा चयन की कार्यवाही पूरा कर चयन सूची को दिनांक 10.06.2013 तक जारी करें तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को देवें जिससे वे संबंधित को निर्धारित अवधि में प्रवेश हेतु कार्यमुक्त कर सकें, ताकि अध्यापन कार्य 17.06.13 से अनिवार्यतः सुनिश्चित हो। चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची की प्रति सूची जारी करने के ही दिवस परिषद् को आवश्यक रूप से भेजे तथा ई-मेल scertcg@gmail.com पर ई-मेल करें ताकि इसे एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

2. बी.एड.विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण हेतु सीटों का आबंटन करने हेतु पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार है—
- 2.1 आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अप्रशिक्षित व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत)/प्रधानपाठक, उच्च प्राथमिक शाला/उ.श्रेणी शिक्षक/शिक्षक (पंचायत)/प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) जो NCTE के नाम्स अनुसार अर्थात् 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्तांक के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पात्रता रखते हैं। SC/ST/OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्ग के लिए इस न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। बी.एड. पात्रता के लिए स्नातक स्तर की उपाधि मान्य हैं, परन्तु स्नातक में प्राप्तांक निर्धारित प्राप्तांक से कम है तो स्नातकोत्तर के प्राप्तांक यदि निर्धारित प्राप्तांक अथवा इससे अधिक है तो स्नाकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता होगी। चयन हेतु पद का वरियता क्रम उपर में दिये गये क्रम अनुसार ही होगा।
 - 2.2 उक्त पदों पर कार्यरत शिक्षक जो कि निर्धारित प्राप्तांक के साथ स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण है तथा स्नातक डी.एड. प्रशिक्षित हो तो उसे भी बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता होगी।
 - 2.3 प्रवेश हेतु चयन वरिष्ठता के आधार पर होगा। वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्रवेश दिया जाएगा।
 - 2.4 परीवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे।
 - 2.5 आवेदक की अधिकतम आयु दिनांक 01.07.13 तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
 - 2.6 स्कूल शिक्षा विभाग / अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के व्याख्याता/शिक्षक हेतु निर्धारित कुल रिक्त पदों को जोड़ कर उन पदों हेतु पंचायत विभाग के शिक्षकों की संयुक्त सूची (शिक्षा विभाग/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शालाओं में कार्यरत) बनाकर वरिष्ठता क्रम अनुसार चयन किया जाएगा।
 - 2.7 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के लिए संवर्गवार आरक्षित सीट में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त सीटों को उन्हीं संवर्ग में आपस में परिवर्तित कर प्रवेश प्रक्रिया किया जाएगा इसके पश्चात् भी रिक्त रहने पर पंचायत विभाग के उन्ही संवर्ग को प्रवेश दिया जावेगा। इसके पश्चात् भी रिक्त रहने पर वरिष्ठता क्रम नीचे उक्त प्रक्रिया से पूर्ति की जायेगी।
 - 2.8 समस्त आवेदकों को आवेदन के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति /पदोन्नति आदेश की छायाप्रति तथा सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का दिवस अंकित हो जमा करना होगा अन्यथा उनके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।
 - 2.9 अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को संलग्न प्रारूप में 10 रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक के लिए उनके द्वारा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र देना होगा, तभी उनके आवेदन को मान्य किया जाएगा। इसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित कराना अनिवार्य होगा।
 - 2.10 अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक, संस्था प्रमुख से अपने कार्यरत होने का प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप, नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करेंगे।
 - 2.11 विभागीय आवेदकों से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।
3. अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेकलिस्ट निम्नानुसार होगा –
- आवेदक की आयु 01.07.2013 तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
 - लगातार शासकीय व्यय पर 06 माह से अधिक का प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो।
 - एक स्कूल से एक से अधिक शिक्षकों /पंचायत विभाग के शिक्षकों का आवेदन अग्रेषित न करें।

- आवेदक के विरुद्ध कोई जांच/आपराधिक मामला/न्यायालयीन प्रकरण/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
 - परीवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित न करें।
 - आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर अग्रेषण न करें।
 - आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित सेवा पुस्तिका में अंकित पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न नहीं करने पर आवेदन को अग्रेषित न करें।
 - संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
 - स्नातक/स्नातकोत्तर में से किसी एक में अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा अनु.जाति./अनु.जन.जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेय को छोड़कर) के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर ही आवेदन का अग्रेषण करें छूट के लिए SC/ST तथा OBC (क्रिमीलेय को छोड़कर) वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. चयन के समय यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि अग्रेषणकर्ता अधिकारी आवेदन का अग्रेषण चेक लिस्ट अनुसार किये है अथवा नहीं। आवेदक उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> से भी प्राप्त कर सकते हैं।
5. दोनो शिक्षा महाविद्यालयों में सीटों का बटवारा निम्नानुसार है :-

क्र	संस्था का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		अशास.संस्था अनुदान प्राप्त	कुल योग
		व्याख्याता / व्याख्याता (पंचायत)	प्र.पाठक पूर्व. माध्यमिक शाला / उ.श्रे.शि. / शिक्षक (पंचायत) / प्र. पाठक प्राथमिक शाला / सहा. शि. / सहा.शि. (पंचायत)	व्याख्याता / व्याख्याता (पंचायत)	प्र.पाठक पूर्व. माध्यमिक शाला / उ.श्रे. शि / शिक्षक (पंचायत) / प्र. पाठक प्राथमिक शाला / सहा.शि. / सहा.शि. (पंचायत)		
01	शास.शिक्षा महावि.रायपुर	20	22	20	22	03	87
02	शास. शिक्षा महावि. बिलासपुर	20	22	18	22	03	85

6. प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक भी आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से ही संबंधित शिक्षा महाविद्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक

पृ.क्र./बी.एड.(विभागीय)/प्रवेश/2013-14/

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, पेंशनबाड़ा, रायपुर।

संचालक


एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर

बी.एड. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र
सत्र 2013-14

प्रति,

प्राचार्य,

.....
.....



विषय: बी.एड. सत्र 2013-14 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदक का नाम (उपनाम सहित) :
2. ई मेल :
3. टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर :
4. विभाग स्कूल शिक्षा/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग/
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/अनुदान प्राप्त
अशासकीय शाला/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/अन्य
5. कार्यरत संस्था का नाम :
6. I. जन्म तिथि (अंकों में) :
- (शब्दों में) :
- (जन्म तिथि हेतु आयु संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
- II. वर्ग – SC/ST/OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/UR वर्ग (प्राप्तांक में छूट के लिए
जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
7. नियुक्ति दिनांक
(अ) प्रथम नियुक्ति दिनांक
- पद (पदभार ग्रहण करने का दिनांक)
- (ब) वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक
- व पद
- (वर्तमान पद पर नियुक्ति आदेश की छायाप्रति तथा सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें सीधी
भर्ती की स्थिति में पदभार ग्रहण करने का दिनांक अंकित हो संलग्न करें अन्यथा ऐसा नहीं करने पर
आपके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।)
8. शैक्षणिक योग्यता

क्र.	उपाधि का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	मा.शि.मं./वि.वि. का नाम एवं जहां से उपाधि प्राप्त की है	विशेष
1.	माध्यमिक					
2.	उच्चतर माध्यमिक					
3.	स्नातक					
4.	स्नातकोत्तर					
5.	पी.एच.डी./अन्य					

(अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

9. दी गई जानकारी की सत्यता का प्रमाणीकरण –

मैंयह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। गलत पाये जाने पर मुझे प्रवेश से वंचित किया जाना स्वीकार है। मैं संस्था तथा विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूँगा/करूँगी। मैंने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन पत्र में संलग्न कर दी हैं। यदि बी.एड. प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन होता है तो मैं निर्धारित संस्था में पूरे सत्र प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम

पद

पता

(जिस पर पत्र व्यवहार किया जा सके)

10. अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेकलिस्ट निम्नानुसार होगा –

- आवेदक के आयु 01.07.2013 तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
- लगातार शासकीय व्यय पर 06 माह से अधिक का प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो।
- एक स्कूल से एक से अधिक शिक्षकों /पंचायत विभाग के शिक्षकों का आवेदन अग्रेषित न करें।
- आवेदक के विरुद्ध कोई जांच/आपराधिक मामला/न्यायालयीन प्रकरण/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
- परीवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित न करें।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर अग्रेषण न करें।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित सेवा पुस्तिका में अंकित पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न नहीं करने पर आवेदन को अग्रेषित न करें।
- संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
- स्नातक/स्नातकोत्तर में से किसी एक में अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अनु.जाति./अनु.जन.जाति तथा पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर आवेदन का अग्रेषण करें छूट के लिए SC/ST तथा OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11. शिक्षक आवेदक के लिए अग्रेषणकर्ता का प्रमाण-पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों का उसकी सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख से मिलान कर लिया गया है और वे सही पायी गई है। आवेदक संस्था में गत वर्ष सेपद पर पदांकित है। आवेदक का कार्य व व्यवहार हैं।

दिनांक

अग्रेषणकर्ता के हस्ताक्षर

पद मुद्रा

12. स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय के आवेदक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र:

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करती है। आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग/अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं/प्रशिक्षण संस्थान में पद पर कार्यरत हैं तथा नियमित पद पर हैं। चेक लिस्ट के अनुरूप जांच की जा चुकी है।

दिनांक

प्रति हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
पद मुद्रा

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालयों के आवेदकों के लिए –

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक अजा, अजजा, अपिव एवं अ.क.विभाग में पद पर कार्यरत हैं।

प्रति हस्ताक्षर
सहायक आयुक्त
अ.जा., अ.ज.जा., पि.वर्ग एवं अ.क.विभाग
पद मुद्रासंभाग (छ.ग.)

- 14 . पंचायत विभाग के व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत), सहा. शिक्षक (पंचायत) हेतु – प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयों का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं का सेवा पुस्तिका से मिलान से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक पद पर कार्यरत है। आवेदक का इस पद पर नियुक्ति दिनांक.....है। (सीधी भर्ती के प्रकरण में पदभार ग्रहण करने का दिनांक भी अंकित करें।)

प्रति हस्ताक्षर
मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला /जनपद पंचायत
पद मुद्रा

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
पद मुद्रा

15. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के आवेदक के लिए से सत्यापित निम्नलिखित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। (शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर देना अनिवार्य होगा)

मैंपिता.....उम.....
दिनांकसेतकसंस्था में
पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद 6 साल तक इसी संस्था में कार्य करता रहूंगा। एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर तथा शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर के सदस्य इस 6 साल की अवधि में मेरे संस्था में आकर इसकी जांच कर सकेंगे। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर एवं पता

गवाह के हस्ताक्षर तथा पता

1.

2.

16. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था के आवेदक के संस्था प्रमुख से निम्नलिखित प्रारूप में प्रमाण पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता
.....पता मेरी संस्था में सेतक
कार्यरत है। मेरी संस्था को..... सत्र से शासन से अनुदान प्राप्त है।

उक्त आवेदक बी.एड.प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लगातार 6 वर्षों तक मेरी संस्था में कार्य करते रहेंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम

पता

नोट – व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत), सहा. शिक्षक (पंचायत) के आवेदनों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी व विकासखण्ड अधिकारी के पश्चात् संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त जो (लागू हों) में अग्रेषण हेतु जमा करेंगे। बिन्दु क्रमांक 09 अनुसार संस्था प्रमुख से भी अग्रेषण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन-नया रायपुर
// संशोधित आदेश //

रायपुर, दिनांक / / 2013

क्रमांक एफ 5-5/2005/20-तीन :- राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.04.2005 द्वारा शासकीय महाविद्यालय रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम में शुल्क निर्धारित की गई है। उक्त आदेश दिनांक 08.04.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा शिक्षा सत्र 2013-14 से राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी0एड0/बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रमों में सीधी एवं विभागीय सीटों में प्रवेश के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करती है :-

1.	डी0एड0 प्रथम वर्ष	3500 रू0	6500 रू0
2.	डी0एड0 द्वितीय वर्ष	3000 रू0	(दो वर्षों का)
3.	छात्रावास हो तो	3500 रू0	
1.	बी0एड0		
	संस्थागत शुल्क	8500 रू0	8500 रू0
2.	छात्रावास हो तो	3500 रू0	
1.	एम0एड0		
	संस्थागत शुल्क	10,000 रू0	10,000 रू0
2.	छात्रावास हो तो	3500 रू0	

३

क्रमशः...2

शिक्षा सत्र 2013-14 से राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी0एड0/बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रमों में निर्धारित शुल्क का विवरण

डी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु

स0क0	संस्थागत फीस का मद	शुल्क प्रति छात्र प्रति पाठ्यक्रम	
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1.	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा/वि.वि. क्रीड़ा अंशदान	300/-	द्वितीय वर्ष में काशनमनी देय नहीं होगा। शेष शुल्क प्रथम वर्ष की तरह देय होगा। अतः द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क की राशि 3000/- होगी।
2.	साहित्यिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियों/क्षेत्रीय सांस्कृतिक साहित्यिक प्रतियोगिता अंशदान	300/-	
3.	मूल्यांकन एवं स्थानीय परीक्षा	300/-	
4.	विज्ञान क्लब, विज्ञान फीस, मनोविज्ञान गणित क्लब	200/-	
5.	कार्यानुभव/बागवानी/काफ्ट/कला शिक्षा	200/-	
6.	शालानुभव कार्यक्रम/शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण	200/-	
7.	समाचार पत्र/पत्रिकाएँ/बुलेटिन/वाचनालय	200/-	
8.	सामुदायिक जीवन एवं समाज के साथ कार्य	150/-	
9.	सेमीनार, वर्कशाप व शैक्षणिक भ्रमण	500/-	
10.	स्काउट	30/-	
11.	रेडक्रास	20/-	
12.	स्टेशनरी एवं अन्य	300/-	
13.	ICT	300/-	
14.	काशनमनी (केवल प्रथम वर्ष में देय प्रमाण पत्र प्राप्ति बाद राशि वापस होगी)	500/-	
	योग (प्रथम वर्ष)	3500/-	
छात्रावास फीस (प्रतिवर्ष)			
1.	विकास शुल्क	1000/-	
2.	मेस एडवांस	2000/-	
3.	सफाई शुल्क	500/-	
	योग	3500/-	

//3//

बी0एड0 पाठ्यक्रम के लिए शुल्क

स0क0	संस्थागत शुल्क का मद	शुल्क प्रति छात्र प्रति पाठ्यक्रम
1.	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा/वि.वि. क्रीड़ा अंशदान	1000/-
2.	मूल्यांकन/जांच परीक्षा	500/-
3.	साहित्यिक/सांस्कृतिक क्रियाकलाप	1000/-
4.	समाज सेवा/सामुदायिक जीवन संबंधी क्रियाकलाप	500/-
5.	विज्ञान/मनोविज्ञान	300/-
6.	कार्यानुभव/बागवानी/क्राफ्ट	500/-
7.	पत्रिका एवं प्रकाशन/बुलेटिन/वाचनालय	500/-
8.	विविध	300/-
9.	छात्र कल्याण निधि	500/-
10.	सेमिनार,वर्कशाप व शैक्षणिक भ्रमण	1000/-
11.	प्रशिक्षार्थियों के लिए स्टेशनरी	600/-
12.	शिक्षण अधिगम सामग्री	500/-
13.	ICT	300/-
14.	काशनमनी (डिग्री प्राप्ति उपरान्त राशि वापस होगी)	1000/-
	योग (प्रतिसत्र)	8500/-
1.	विकास शुल्क	1000/-
2.	मेस एडवांस	2000/-
3.	सफाई शुल्क	500/-
	योग	3500/-

एम0एड0 पाठ्यक्रम के लिए शुल्क

स0क0	संस्थागत शुल्क का मद	शुल्क प्रति छात्र प्रति पाठ्यक्रम
1.	खेलकूद / शारीरिक शिक्षा / वि.वि. क्रीड़ा / सांस्कृतिक कार्य फीस	1000 / -
2.	मूल्यांकन / जांच परीक्षा	500 / -
3.	साहित्यिक / सांस्कृतिक क्रियाकलाप	1000 / -
4.	समाज सेवा / सामुदायिक जीवन	500 / -
5.	विज्ञान / मनोविज्ञान	300 / -
6.	कार्यानुभव / बागवानी / काफ्ट	500 / -
7.	पत्रिका एवं प्रकाशन / बुलेटिन / वाचनालय	1500 / -
8.	विविध	300 / -
9.	छात्र कल्याण निधि	500 / -
10.	सेमिनार, वर्कशाप व शैक्षणिक भ्रमण	1300 / -
11.	प्रशिक्षार्थियों के लिए स्टेशनरी शैक्षणिक भ्रमण	600 / -
12.	शिक्षण अधिगम सामग्री	500 / -
13.	शोध एवं अनुसंधान	1000 / -
14.	ICT	500 / -
15.	काशनमनी (डिग्री प्राप्ति उपरान्त राशि वापस होगी)	1000 / -
	योग (प्रतिसत्र)	10,000 / -
छात्रावास फीस		
1.	विकास शुल्क	1000 / -
2.	मेस एडवांस	2000 / -
3.	सफाई शुल्क	500 / -
	योग	3500 / -

फीस संबंधी निर्देश :-

- (1) संबंधित शासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का (बोर्ड/विश्वविद्यालय के परीक्षा/नामांकन शुल्क के अतिरिक्त) कोई शुल्क प्रशिक्षणार्थियों से सत्र में नहीं लिया जाएगा।
- (2) विद्युत, पानी एवं अन्य खर्च वास्तविक व्यय के आधार पर छात्रावासी प्रशिक्षार्थियों से पृथक से प्रतिमाह वसूली किया जायेगा।
- (3) जिस महाविद्यालय में नवीन छात्रावास है वहां की आंतरिक व्यवस्था एवं मासिक व्यय की वसूली हेतु प्राचार्य, छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावासी सदस्यों की सहमति से कर सकते हैं।
- (4) मेस चार्ज प्रतिमाह छात्र से वसूल किया जायेगा। मेस एडवांस की राशि का अंतिम माह में व्यय समायोजित किया जायेगा।
- (5) क्रियाकलाप हेतु प्राप्त राशि प्राचार्य के द्वारा संचालित की जाएगी। एकाउंट शिक्षा महाविद्यालय में खुला है।
- (6) सत्रारंभ के समय महाविद्यालय का कैलेण्डर निर्माण किया जावे एवं सभी प्रस्तावित गतिविधियों का आयोजन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन सत्रांत के पश्चात् परिषद् को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (7) राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, को अपने कार्य क्षेत्र में डाइट/बी.टी.आई. का क्षेत्रीय क्रीड़ा, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं शिक्षा सम्मेलन आयोजित करना होगा। इस हेतु संबंधित संस्थाओं के लिए फीस की स्वीकृति दी जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एन. राजूरकर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//6//

पू0क्रमांक एफ 5-3/2005/20-तीन

रायपुर, दिनांक 26/03/2013

प्रतिलिपि:-

- (1) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकरनगर, रायपुर। कृपया सर्व संबंधितों की ओर आदेश की प्रति भेजने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- (2) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, पेंशनवाड़ा, छत्तीसगढ़ रायपुर।
- (3) आयुक्त, आदिम जाति/अनु.जाति/अल्पसंख्यक विकास विभाग रायपुर छ0ग0।
- (4) गार्ड फाईल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

**State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur**



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पू. क्रमांक/बी.एड./विभागीय/प्रवेश शुल्क/2013-14/

रायपुर दिनांक

.....


प्रतिलिपि -

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, पेंशनबाड़ा छ.ग. रायपुर।
3. आयुक्त, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक विकास विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर।
4. प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर/रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. प्राचार्य डाइट/बी.टी.आई.
..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर



पत्र क्र./बी.एड./डी.एड./आनलाइन आबंटन/2013-14 2102 रायपुर दिनांक 03.06.13

डी.एड. व बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आनलाइन आबंटन
कार्यक्रम 2013 की सूचना

राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों, अनुदान प्राप्त निजी शिक्षा महाविद्यालयों/गैर अनुदान प्राप्त एवं अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2013-14 में प्रवेश प्री.बी.एड. परीक्षा 2013 की प्रावीण्यता सूची के आधार पर तथा डाइट, बी.टी.आई., अनुदान प्राप्त बी.टी.आई., अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त निजी महाविद्यालयों एवं गैर अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालयों में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.डी.एड. परीक्षा 2013 की प्रावीण्यता एवं महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों के आधार पर आनलाइन आबंटन संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाना है।

प्री.बी.एड./प्री.डी.एड. परीक्षा 2013 के प्रावीण्य सूची में शामिल बी.एड. प्रवेश नियम 2006 /डी.एड. प्रवेश नियम 2007 के अनुसार क्रमशः बी.एड. व डी.एड. के लिए योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी MKCL के निर्धारित केन्द्रों में जाकर आनलाइन आबंटन कार्यक्रम में वणित अवधि में प्रातः 9.30 बजे से संध्या 5.30 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विकल्प फार्म भर सकते हैं -

आबंटन कार्यक्रम निम्नानुसार है -

आनलाइन आबंटन कार्यक्रम (डी.एड.)

क्रं.	विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
1	प्रथम चरण विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि।	17.06.2013	24.06.2013
2	दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण के आबंटन सूची जारी करना।	26.06.2013	28.06.2013
3	प्रथम चरण की आबंटन सूची जारी करना	01.07.2013	
4	प्रथम चरण में आबंटित छात्रों द्वारा महावि. में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	02.07.2013	08.07.2013
5	द्वितीय चरण के लिए विकल्प फार्म आनलाइन जमा करने के लिए तिथि (इन तिथियों में प्रथम चरण में सम्मिलित छात्र विकल्प परिवर्तन शुल्क जमा करके कर सकेंगे)	10.07.2013	12.07.2013
6	दावा आपत्ति के लिए दूसरे चरण की आबंटन सूची जारी करना	15.07.2013	17.07.2013
7	दूसरे चरण की आबंटन सूची जारी करना	20.07.2013	
8	द्वितीय चरण में आबंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि	22.07.2013	29.07.2013
9	डी.एड. के लिए तीसरे चरण की आबंटन प्रक्रिया।	आबंटन प्रक्रिया एवं तिथि पृथक से घोषित की जायेगी।	

आनलाइन आबंटन कार्यक्रम (बी.एड.)

क्रं.	विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
1	प्रथम चरण विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि।	01.07.2013	10.07.2013
2	दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण के आबंटन सूची जारी करना।	13.07.2013	16.07.2013
3	प्रथम चरण की आबंटन सूची जारी करना	19.07.2013	
4	प्रथम चरण में आबंटित छात्रों द्वारा महावि. में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	20.07.2013	26.07.2013
5	द्वितीय चरण के लिए विकल्प फार्म आनलाइन जमा करने के लिए तिथि (इन तिथियों में प्रथम चरण में सम्मिलित छात्र विकल्प परिवर्तन शुल्क जमा करके कर सकेंगे)	29.07.2013	01.08.2013
6	दावा आपत्ति के लिए दूसरे चरण की आबंटन सूची जारी करना	05.08.2013	06.08.2013
7	दूसरे चरण की आबंटन सूची जारी करना	08.08.2013	
8	द्वितीय चरण में आबंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि	10.8.2013	16.08.2013
9	बी.एड. के लिए तीसरे चरण की आबंटन प्रक्रिया।	आबंटन प्रक्रिया एवं तिथि पृथक से घोषित की जायेगी।	

1. दावा आपत्ति एस.सी.ई.आर.टी. में दस्तावेजों एवं प्रमाण के साथ उपस्थित होकर ही करने पर स्वीकार किये जायेगे।
2. प्रथम चरण में जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आबंटित हुआ है और यदि वे अपने आबंटित महाविद्यालय या MKCL केन्द्र में निशुल्क: आबंटन निरस्त करा सकते हैं और यदि विकल्प परिवर्तन करना चाहते हैं तो पुनः शुल्क चालान से जमा कर पुनः विकल्प फार्म भर सकते हैं। यह सुविधाय केवल एक बार के लिए होगा।
3. किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश न लेने पर उनका आबंटन स्वयमेव निरस्त हो जाएगा।
4. किसी महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों को आनलाइन प्रवेश प्रविष्टि नहीं करने से रिक्त रहने वाली सीट्स के लिए संबंधित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। इन सीटों को एस.सी. ई.आर.टी. रायपुर द्वारा अगले चरण की आबंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
5. आरक्षित वर्ग के सीटे यदि रिक्त रहती है तो छ.ग. डी.एड. प्रवेश नियम 2007 छ.ग. बी.एड. प्रवेश नियम 2006 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार परस्पर सीटों में परिवर्तन प्रथम चरण के आबंटन प्रक्रिया के पश्चात् दूसरे चरण के आबंटन प्रक्रिया के समय किया जायेगा।

6. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आनलाइन आबंटन प्रक्रिया की विस्तृत नियमों, निर्देशों शुल्क के संबंध में जानकारी, MKCL केन्द्रों की सूची तथा महाविद्यालयों की सूची की जानकारी प्री.बी.एड./प्री.डी.एड. विवरणिका 2013 में तथा एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में दिया गया है कृपया इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ही आबंटन प्रक्रिया में सम्मिलित हों।
7. आबंटन प्रक्रिया शुल्क चालान के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे प्री.बी.एड./प्री.डी.एड. विवरणिका में दिये गये चालान प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं।
- 8- अभ्यर्थी महाविद्यालय आबंटन की जानकारी MKCL के वेबसाइट में प्राप्त कर सकते हैं। डी. एड. के MKCL का वेबसाइट <http://oasis.mkcl.org/cgded2013> व बी.एड. के लिए MKCL का वेबसाइट <http://oasis.mkcl.org/cgbed2013> है।
9. निजी व शासकीय महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश में SC/ST/OBC अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति के पत्र क्रमांक PA/ए-एफ.आर.सी./2013/1514 दिनांक 08.03.2013 के द्वारा परिषद् को दिये गये निर्देश एवं छ.ग. शासन द्वारा 19 फरवरी 2013 को राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।


(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

बी.एड./ डी.एड. आन लाइन आबंटन 2013 हेतु दिशा-निर्देश

राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों, अनुदान प्राप्त शिक्षा अशासकीय महाविद्यालयों / गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2013-14 तथा डाइट/ बी.टी. आई/अनुदान प्राप्त अशासकीय बी.टी.आई. व गैर अनुदान प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम 2013-14 में प्रवेश क्रमशः प्री. बी.एड. 2013 व प्री.डी.एड. 2013 की प्रावीण्य सूची के आधार पर ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाना है। ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया हेतु विस्तृत जानकारी इस विवरणिका के साथ दिया जा रहा है। प्री. डी.एड./प्री.बी. एड. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात् छ.ग. राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक अखबारों में केवल आबंटन प्रक्रिया का कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। आबंटन कार्यक्रम की जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में भी उपलब्ध होंगे।

आबंटन प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार है –

1. बी.एड./डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :-

(a) बी.एड. पाठ्यक्रम – बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नाकोत्तर या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था होगी। स्नातक में आनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को स्नातक में एकीकृत प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम की पात्रता दिया जायेगा।

(b) डी.एड. पाठ्यक्रम – बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्तर से (हायर सेकेंडरी सर्टीफिकेट परीक्षा) में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था होगी।

2. विकल्प फार्म भरने के आवश्यक दस्तावेज –

(A) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु :- बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विकल्प फार्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति व सत्यापित छायाप्रति के साथ अपने पास के तथा अपनी सुविधा के अनुसार MKCL केन्द्र में उपस्थित होंगे।

1. 350/- की प्रक्रिया शुल्क का चालान की संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर की प्रति। प्रक्रिया शुल्क एस.सी.ई.आर.टी. के SBI पावर ज्योति एकाउन्ट क्रमांक **32402468895** में चालान के माध्यम से जमा होगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ दिया गया है। यह चालान एक बार जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में अर्थात् ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में एक बार सम्मिलित होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शुल्क अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा।

- II. प्री. बी.एड. परीक्षा 2013 की अंकसूची (इंटरनेट वाली अंकसूची भी मान्य है)
- III. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि की) एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो तीनों वर्षों का अंकसूची और यदि स्नाकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नाकोत्तर के दोनो वर्षों का अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
- IV. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या सक्षम अधिकृत अधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- V. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- VI. छ.ग. शासन प्रवेश नियम 2006 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। इसके अभाव में अभ्यर्थी को अखिल भारतीय कोटे के लिए ही आबंटन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
- VII. नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथपत्र।
- VIII. एक पासपोर्ट साइज का फोटो।
- IX. अभ्यर्थियों का मेनुअल विकल्प फार्म भरा हुआ जो कि विवरणिका के साथ दिया गया है।

(B) डी.एड. पाठ्यक्रम — डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विकल्प फार्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति व सत्यापित छायाप्रति के साथ अपने पास के MKCL केन्द्र में उपस्थित होंगे।

- I. 300/- की प्रक्रिया शुल्क का चालान की संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर की प्रति। प्रक्रिया शुल्क एस.सी.ई.आर.टी. के SBI पावर ज्योति एकाउन्ट क्रमांक **32402461389** में चालान के माध्यम से जमा होगा। चालान का प्रारूप इस विवरणिका के साथ संलग्न है। यह चालान एक बार जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में अर्थात ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में एक बार सम्मिलित होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शुल्क अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा।
- II. प्री. डी.एड. परीक्षा 2013 की अंकसूची (इंटरनेट वाली अंकसूची भी मान्य है)
- III. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची हायर सेकेण्डरी सर्टीफिकेट (10+2) परीक्षा की अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
- IV. जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या समक्ष अधिकृत अधिकारी संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- V. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- VI. छ.ग. शासन प्रवेश नियम 2007 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र।
- VII. नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथपत्र।
- VIII. एक पासपोर्ट साइज का फोटो।
- IX. अभ्यर्थियों का मेनुअल विकल्प फार्म भरा हुआ जो कि विवरणिका के साथ दिया गया है।

3. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने का स्थान :- बी.एड. के लिए प्री.बी.एड.परीक्षा 2013 में तथा डी.एड. के लिए प्री.डी.एड. परीक्षा 2013 में बैठे ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु छ.ग. बी.एड. नियम 2006 तथा डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु छ.ग. डी.एड. प्रवेश नियम 2007 के अनुसार अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें बी.एड./डी.एड. (जो लागू हो) पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है, MKCL के निम्नलिखित केन्द्रों में ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित दिवसों में प्रातः 9.30 बजे से संध्या 5.30 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विकल्प फार्म भर सकते हैं।

क्र.	विकल्प फार्म भरने हेतु MKCL केन्द्र के नाम व पता	जिला	शहर	दूरभाष नंबर
1.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	07774-230799
2.	ग्लोबल मल्टीमीडिया हनुमान मंदिर के पास डी.सी. रोड	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	07774-203096 97536-45205 78692-93997
3.	आदर्श एकेडमी ऑफ आई.टी. मुस्कान भवन, न्यू सरकंडा	बिलासपुर	बिलासपुर	88238-10489
4.	जी.टी.बी. एकेडमी, हनुमान मंदिर के पास नेहरू नगर बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-271311 93000-21347
5.	एम्स कम्प्यूटर, डी.पी.विप्र कॉलेज के पास हाईकोर्ट रोड	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-407578
6.	डी.टेक कम्प्यूटरर्स, बी.एस.एन.एल ऑफिस के सामने राजकिशोरानगर	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-427708 92298-28788
7.	अनिमेश कम्प्यूटर निरालानगर बस स्टेशन रोड	बिलासपुर	बिलासपुर	07752404740 9302754329 9827154329
8.	SPS Training & Technology (I) Pvt. Ltd. Kamla Kutir, Jamuna Prasad Verma Bhawan, Nehru Chowk Bilaspur	बिलासपुर	बिलासपुर	07752-419144
9.	आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी. ओस्जवी नर्सिंग होम के सामने गुलमोहर वाटिका ,रुद्री रोड	धमतरी	धमतरी	98264-32896 93028-32896 07722-236994
10.	लॉजिक गेट, नंबर-1 स्टील कालोनी जी.ई. (बाई पास रोड) स्टील कॉलोनी, नेहरूनगर पश्चिम	दुर्ग	भिलाई	93293-50154 73548-83351
11.	हिमांशु इनफोटेक, 108 न्यू सिविक सेंटर	दुर्ग	भिलाई	0788-4062445 99071-83175
12.	भारतीय कॉलेज (बी.आई.आई.टी.) पुलगांव चौक दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	9826322230 93001-19838
13.	पेस एकेडमी सिन्धी कालोनी डॉ सिद्धिकी क्लिनिक के उपर स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास	दुर्ग	दुर्ग	0788-4013474 78983-83772 98271-71227
14.	अशरफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साई मंदिर के पास कसारीडीह	दुर्ग	दुर्ग	0788-2326540 93023-53905
15.	क्रेडेन्स गर्ल्स कॉलेज पटेल कॉम्प्लेक्स पदमानाभपुर	दुर्ग	दुर्ग	0788-2329922 93018-36000
16.	अपोलो कॉलेज ऑफ एजुकेशन ;विटनरी कॉलेज के सामनेद्व अंजोरा	दुर्ग	अंजोरा	07882-623444 93028-34648
17.	मनसा कॉलेज कोहका कुरुद रोड भिलाई	दुर्ग	भिलाई	0788-3201582

				9893750431
18	भिलाई कॉलेज ऑफ आई.टी. जामुल भिलाई वार्ड 4, चंडी मंदिर वार्ड अहिरवारा	दुर्ग	भिलाई	0788-4031830 9993728325
19	रूगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी जी.ई.रोड गंजपारा, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग	0788-2322552 99930-10010 92293-44424
20	स्वामी स्वरूपानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन आमदीनगर हुडको भिलाई-दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	0788-2241600 96857-89815
21	एम.जे.कॉलेज कोहका जुनवानी रोड	दुर्ग	भिलाई	0788-2294055 98931-20381
22	कल्याण पी.जी. कालेज सेक्टर 07 भिलाई नगर	दुर्ग	दुर्ग	0788-223665 98271-06750
23	साइबर स्पार्ट बी.7 नेशनल हाईवे 12 ए. सुन्दरनगर रायपुर रोड बेमेतरा	दुर्ग	बेमेतरा	93002-55631 07824-222098 93002-55623
24	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	07782-262267
25	यूनिक कम्प्यूटर ऑफ एजुकेशन जैन मंदिर रोड	बस्तर	जगदलपुर	07782-226632 94252-61196
26	सूर्या कॉलेज, गीदम रोड	बस्तर	जगदलपुर	97555-29670
27	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जशपुर	जशपुर	जशपुर	07763-223197
28	शर्मा कम्प्यूटर्स करबला चौक	जशपुर	जशपुर	07763-223600 94252-52975
29	देव कम्प्यूटर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास	जशपुर	जशपुर	94060-27963
30	फयूचर ब्राइट कम्प्यूटर एजुकेशन कुर्मी छात्रावास बस स्टेन्ड के पास कवर्धा	कवर्धा	कवर्धा	93004-29449 7566643699
31	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा	कोरबा	कोरबा	07759-225328
32	राहेन कम्प्यूटर निहारिका टॉकिज के पास	कोरबा	कोरबा	07759-226144 81035-23771
33	आईसेक (ISAAC) कम्प्यूटर एजुकेशन, 12 साउथ एवेन्यू, प्रथम तल, राजकुमार कॉलेज के सामने चौबे कॉलोनी	रायपुर	रायपुर	0771-4061441
34	शिवांता टेक्नालॉजी बिंदा सोनकर स्कूल के सामने, अश्वनी नगर	रायपुर	रायपुर	94079-02100 98061-06161
35	प्रिंसेस कालेज धमतरी रोड देवपुरी	रायपुर	रायपुर	0771-4090888 93018-36000
36	सेन्ट्रल कालेज ऑफ आई.टी. आर.आई.एफ. बिल्डिंग फाफाडीह मेनरोड, रायपुर	रायपुर	रायपुर	9425208200 9425208100
37	महात्मा गांधी कॉलेज गुस्द्वारा के पीछे स्टेशन रोड	रायपुर	रायपुर	0771-4047124 94252-04469
38	रूगंटा एजुकेशन कैम्पस नंदनवन के पास वीरसावरकर नगर रायपुर	रायपुर	रायपुर	0771-6666666 92291-55566
39	गुरुकुल इंस्टीट्यूट केसोछोर रोड प्लाट नं. 991/1	गरियाबंद	गरियाबंद	07706220325 9893388446
40	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंस जनपद कार्यालय के पीछे	गरियाबंद	गरियाबंद	07706-241502 99815-21776 99932-43702
41	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा	बिलासपुर	बिलासपुर पेण्ड्रा	07751-224718
42	अपेक्स इंस्टीट्यूट टेली एकेडमी	राजनांदगांव	राजनांदगांव	07744-409682

	कस्तुरबा स्कूल परिसर पुराना रेस्ट हाउस रोड			98261—90095 93297—45797
43	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़	राजनांदगांव	खैरागढ़	07820 & 234204
44	अरिहंत कम्प्यूटर एजुकेशन दिग्विजय कालेज रोड सोनार पारा त्रिपूरा किराना के सामने विजन इन्फोटेक के सामने	राजनांदगांव	राजनांदगांव	07744—409555 93292—52329
45	सी-टेक कम्प्यूटर एजुकेशन बालेराय स्टेडियम के सामने मेनरोड	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	07819—244288 93010—30379
46	जगरानी देवी शिक्षा महाविद्यालय बारद्वार	जांजगीर चांपा	बारद्वार	07757—278421 94790—38751
47	नोबल कम्प्यूटर, राजीव चौक, मेन रोड	नारायणपुर	नारायणपुर	94255—18385
48	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांकेर	कांकेर	कांकेर	07868—224543
49	नेशनल कम्प्यूटरर्स चर्च के पास	कांकेर	कांकेर	98278—87087 94252—61817
50	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धर्मजयगढ़	रायगढ़	धर्मजयगढ़	07766—266250
51	डालफिन कम्प्यूटर एजुकेशन चक्रधर नगर चौक सरला विला के पास	रायगढ़	रायगढ़	07762—222999 90398—22411 97531—65888
52	प्रोग्रेसिव कम्प्यूटर गुरुनानक स्कूल के पास कोस्तापारा नयागंज	रायगढ़	रायगढ़	07762—225540 94252—52051 74897—15491
53	इण्डियन कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट स्टेशन रोड के पास	महासमुंद	महासमुंद	07723—222121 98265—17661 94252—15613
54	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद	07723—224781
55	ट्रैक कम्प्यूटर साडा काम्पलेक्स ए-12 बस स्टैण्ड	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	07856—252324
56	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	07856—252283, 252284
57	VII Tech Computer College C/o नाईसटेक कम्प्यूटर कॉलेज, झगराखण्ड रोड, विवेकानंद कॉलेज के पास मनेन्द्रगढ़ कोरिया	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	07771—241927 93015—87039
58	एनेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन गायत्री मंदिर काम्पलेक्स पैलेस रोड	रायगढ़	सांरगढ़	07768—233902 93009—60024
59	SAIT कम्प्यूटर मारिया कालोनी शासकीय अस्पताल के सामने पत्थलगांव	जशपुर	पत्थलगांव	07765—234000 94241—83777 9993443101
60	ज्ञानदीप हायर सेकेण्डरी स्कूल, जांजगीर	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	07817—222656 94252—30436

4. आवश्यक दिशा निर्देश —

(A) अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश — ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया एस.सी.ई.आर.टी. <http://scert.cg.gov.in> एवं MKCL के वेबसाइट में होगी। डी.एड. के लिए MKCL का वेबसाइट <http://oasis.mkcl.org/cgded2013> व बी.एड. के लिए MKCL का वेबसाइट <http://oasis.mkcl.org/cgbed2013> है।

- 1- प्री.बी.एड./प्री. डी. एड. परीक्षा निर्देशिका में MKCL केन्द्र की सूची संलग्न है इसमें परिवर्तन होने की स्थिति में समाचार पत्रों में उल्लेख किया जायेगा। इसका अध्ययन अवश्य कर लेवे।
- 2- विकल्प फार्म भरने के लिए समयसारणी की जानकारी प्री. बी.एड./प्री.डी.एड. के परिणाम घोषित होने के पश्चात् बाद में राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेगे।
- 3- अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार नजदीकी MKCL केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भर सकेंगे।
- 4- MKCL केन्द्र में उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज क्रमांक 2 के अनुसार अपने साथ रखना होगा।
- 5- अभ्यर्थी के पुस्तिका में विकल्प फार्म का एक प्रति दिया जा रहा है।

(B) MKCL केन्द्र में जाने के बाद अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश –

- 1- विकल्प फार्म में दिये जाने वाले जानकारी को भरे तथा भरी हुई जानकारी का मिलान संलग्न प्रमाण पत्रों से कर लें।
- 2- विकल्प फार्म अभ्यर्थी के उपस्थिति में ही ऑनलाइन भरा जाना है इसके लिए केन्द्र समन्वयक का सहयोग ले।
- 3- प्री.बी.एड. एवं प्री. डी.एड. की अंक सूची में निम्नलिखित जानकारी व्यापम द्वारा दी जाती है जैसे- नाम, उपनाम, जाति, आरक्षित श्रेणी व स्नातक के प्राप्तांक को देख लेवे सही है तो विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया करें अन्यथा इस जानकारियों में परिवर्तन MKCL के केन्द्र नहीं कर सकते अगर अभ्यर्थी को अपनी जानकारी सुधारनी है तो MKCL केन्द्र में under taking letter दें और अनुरोध करके एस.सी.ई. आर.टी. के उच्च स्तरीय समिति से संपर्क कर सुधार कर लें तथा सुधार कर ली गई है यह निश्चित कर लेवे।
- 4- इसके पश्चात् MKCL केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी तथा भरे गये विकल्प फार्म की ऑनलाइन एन्ट्री करेंगे। अभ्यर्थी की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद 2 प्रिन्ट आउट निकाले दोनो प्रिन्ट आउट का अभ्यर्थी को अवलोकन करायें।
- 5- किसी प्रकार की त्रुटि होने के स्थिति में ऑनलाइन उसे ठीक करने के पश्चात् दुबारा प्रिन्ट आउट निकलवाये।
- 6- अभ्यर्थी के सन्तुष्ट होने के पश्चात् दोनों प्रिन्ट आउट पर MKCL केन्द्र के प्रभारी व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करेंगे।
- 7- विकल्प फार्म के एक प्रति केन्द्र अपने पास रखेंगे तथा एक अभ्यर्थी को देंगे।
- 8- अभ्यर्थियों को यह सलाह दिया जाता है कि वे उन्ही महाविद्यालयों का विकल्प देवे जहाँ वे प्रवेश लेने के लिए इच्छुक है। क्योंकि महाविद्यालय आबंटित होने के बाद केवल एक बार आबंटन निरस्त कराकर पुनः विकल्प फार्म भरने का प्रावधान है। प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
- 9- अभ्यर्थी को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अपनी चयन की सूचना वे निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
 - I. निर्धारित दिवस को केन्द्र में पहुंचकर जहां विकल्प फार्म भरा है वहाँ सूची देखकर।
 - II. MKCL के एस.एम.एस. से या एस.सी.ई.आर.टी. के **Websit : <http://scert.cg.gov.in>** में तथा बी.एड. के लिए **MKCL के websit <http://oasis.mkcl.org/cgbed2013>**, डी.एड. के लिए **<http://oasis.mkcl.org/cgded2013>** में अपना विकल्प फार्म क्रमांक **submit** कर देख सकते है।
- 10- आबंटन साफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है।
- 11- आबंटन की सूची वेबसाइट में देखी जा सकती है। इसके पश्चात् अपना आबंटन पत्र MKCL के साइट में आबंटन पत्र के विकल्प में जाकर अपना Application No. या बी.एड./डी.एड. रोल नम्बर डालकर अपना अस्थाई आबंटन पत्र प्राप्त कर सकते है। अस्थाई आबंटन पत्र इंटरनेट से कहीं भी निकाला जा सकता है। आपने अपना मोबाइल नं. डाला हो तो एस.एम.एस. द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है मगर एस.एम.एस. न आने पर इसकी जवाबदारी एस.सी.ई.आर.टी. की नहीं होगी।

(C) चयनित अभ्यर्थी का महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित होने की प्रक्रिया –

1. अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं जिन दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति विकल्प फार्म के साथ संलग्न किए थे उसके मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में प्रवेश लेना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो जायेगे।
2. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर निर्धारित अवधि में उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
3. अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल दस्तावेज सही पाये जाने पर अभ्यर्थी से निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को MKCL के वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है तथा ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद नही होने की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
4. महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. चयनित अभ्यर्थी यदि निर्धारित अवधि (प्रवेश के लिए) में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता तथा चयन निरस्त कराने की सूचना भी नहीं देता है तो उसका चयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा और उसे आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
- 7- MKCL के साइट पर महाविद्यालय अपना कॉलेज आई डी. व पासवर्ड इंटर कर log in करें तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की जानकारी निरंतर अपडेट करते रहेंगे। संबंधित महाविद्यालय में सीटों की रिक्तियों के आधार पर दूसरे चरण का सीट्स आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

5. द्वितीय चरण की काउंसलिंग –

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिए द्वितीय चरण में वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो प्रथम चरण में थी। इसके प्रकार निम्नलिखित है –

5.1 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् आबंटित महाविद्यालय/ MKCL केन्द्र में जाकर प्रवेश निरस्त करा चुके हैं –

1. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित महाविद्यालय बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है। परन्तु यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय/ MKCL केन्द्र में जाकर अपना प्रवेश निरस्त कराना होगा। ऐसा करने पर द्वितीय चरण के आबंटन हेतु प्रथम चरण में आबंटित महाविद्यालय शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विकल्प फार्म एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह अवसर अभ्यर्थी को एक ही बार दिया जाएगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपने पूर्व आबंटित महाविद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें एक बार विकल्प परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को उसी MKCL केन्द्र में पुनः जाकर विकल्प फार्म भरना एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाना अनिवार्य है।

5.2 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परन्तु आबंटन नहीं हुआ था –

ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें निर्धारित राशि का बैंक चालान जमा करना होगा। यदि विकल्प नहीं बदलना चाहते हैं तो उन्हें चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे।

5.3 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे –

ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को प्रथम चरण के निर्देशों का पालन करना होगा।

6. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
7. बी.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में लागू आरक्षण नियम के तहत होगा।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

इसका उपयोग बी.एड. हेतु चालान बनवाने के लिए कर सकते है।

<p>CHALLAN FOR Pre B.Ed COUNSELLING</p> <p><u>CANDIDATE COPY</u></p>	<p>CHALLAN FOR Pre B.Ed COUNSELLING</p> <p><u>SCERT COPY</u></p>	<p>CHALLAN FOR Pre B.Ed COUNSELLING</p> <p><u>BANK COPY</u></p>
<p>State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur</p> <p>SBI Power Jyoti A/c No 32402468895</p> <p>Date</p> <p>Pre B.Ed.2013 Roll. No.</p> <p>Name of Applicant</p> <p>.....</p> <p>Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 350/- (Rs. Three Hundred Fifty Only)</p> <p>Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Only) to be deposited separately</p> <p>Signature of Depositor</p> <p>SBI Branch Name</p> <p>Amount deposited</p> <p>SBI Reference/Transaction No.....</p> <p>(To be Filled by Bank)</p> <p>Bank's Seal & Authorized Signature</p>	<p>State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur</p> <p>SBI Power Jyoti A/c No 32402468895</p> <p>Date</p> <p>PreB.Ed.-2013 Roll No.</p> <p>Name of Applicant</p> <p>.....</p> <p>Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 350/- (Rs. Three Hundred Fifty Only)</p> <p>Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Only) to be deposited separately</p> <p>Signature of Depositor</p> <p>SBI Branch Name</p> <p>Amount deposited</p> <p>SBI Reference/Transaction No.....</p> <p>(To be Filled by Bank)</p> <p>Bank's Seal & Authorized Signature</p>	<p>State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur</p> <p>SBI Power Jyoti A/c No 32402468895</p> <p>Date</p> <p>PreB.Ed.-2013 Roll No.</p> <p>Name of Applicant</p> <p>.....</p> <p>Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 350/- (Rs. Three Hundred Fifty Only)</p> <p>Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Only) to be deposited separately</p> <p>Signature of Depositor</p> <p>SBI Branch Name</p> <p>Amount deposited</p> <p>SBI Reference/Transaction No.....</p> <p>(To be Filled by Bank)</p> <p>Bank's Seal & Authorized Signature</p>

इसका उपयोग डी.एड. हेतु चालान बनवाने के लिए कर सकते है।

<p>CHALLAN FOR Pre D.Ed COUNSELLING</p>	<p>CHALLAN FOR Pre D.Ed COUNSELLING</p>	<p>CHALLAN FOR Pre D.Ed COUNSELLING</p>
<p align="center"><u>CANDIDATE COPY</u></p> <p>State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur</p> <p>SBI Power Jyoti A/c No 32402461389</p> <p>Date</p> <p>Pre D.Ed - 2013 Roll. No.</p> <p>Name of Applicant</p> <p>.....</p> <p>Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 300/- (Rs. Three Hundred Only)</p> <p>Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately</p> <p>Signature of Depositor</p> <p>SBI Branch Name</p> <p>Amount deposited</p> <p>SBI Reference/Transaction No.....</p> <p>(To be Filled by Bank)</p> <p>Bank's Seal & Authorized Signature</p>	<p align="center"><u>SCERT COPY</u></p> <p>State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur</p> <p>SBI Power Jyoti A/c No 32402461389</p> <p>Date</p> <p>PreD.Ed.-2013 Roll No.</p> <p>Name of Applicant</p> <p>.....</p> <p>Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 300/- (Rs. Three Hundred Only)</p> <p>Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately</p> <p>Signature of Depositor</p> <p>SBI Branch Name</p> <p>Amount deposited</p> <p>SBI Reference/Transaction No.....</p> <p>(To be Filled by Bank)</p> <p>Bank's Seal & Authorized Signature</p>	<p align="center"><u>BANK COPY</u></p> <p>State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur</p> <p>SBI Power Jyoti A/c No 32402461389</p> <p>Date</p> <p>PreD.Ed.-2013 Roll No.</p> <p>Name of Applicant</p> <p>.....</p> <p>Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 300/- (Rs. Three Hundred Only)</p> <p>Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately</p> <p>Signature of Depositor</p> <p>SBI Branch Name</p> <p>Amount deposited</p> <p>SBI Reference/Transaction No.....</p> <p>(To be Filled by Bank)</p> <p>Bank's Seal & Authorized Signature</p>



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़

राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) (कक्षा 10वीं में अध्ययनरत) एवं
राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति (NMMS) परीक्षा (कक्षा 8वीं में अध्ययनरत)
सत्र 2013 – 2014

विज्ञापन

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 31 अगस्त 2013

छत्तीसगढ़ राज्य में सत्र 2013-14 के लिए 1 राज्य स्तरीय-राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) 2 राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति (NMMS) परीक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2013 दिन रविवार को आयोजित की जावेगी।

(A) 1. राज्य स्तरीय-राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) द्वारा चयनित विद्यार्थियों की द्वितीय स्तर की परीक्षा NCERT, नई दिल्ली द्वारा ली जावेगी। द्वितीय स्तर परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को NCERT के नियमों के तहत रु. 500=00 प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पात्रता – सत्र 2013-14 के कक्षा 10वीं में अध्ययनरत वे सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो-छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्र शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हों।

2. राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति (NMMS) परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को रु. 500=00 प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। NMMS परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों की द्वितीय स्तर की परीक्षा नहीं होती है।

पात्रता – सत्र 2013-14 के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत वे विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो –

- विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय कुल रु 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार) से अधिक न हो।
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय (State Government) विद्यालय में अध्ययनरत हो या
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय (Private Aided) विद्यालय में अध्ययनरत हो या
- नगरीय निकाय (Local Body)-नगर निगम/नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालय में अध्ययनरत हों।

➤ केन्द्र शासन(Central Govt.) द्वारा संचालित/प्राइवेट शाला के विद्यार्थी NMMS परीक्षा में भाग नहीं ले सकते।

(B) आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र का प्रारूप – 1. आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र का प्रारूप SCERT, रायपुर की वेबसाइट www.scert.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त सहा आयुक्त अ.जा.क. विकास विभाग एवं संलग्न समस्त परीक्षा केन्द्रों में आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र का प्रारूप भेजा जा चुका है। जिसका PHOTO COPY करवा कर उपयोग किया जा सकता है।

(C) आवेदन एवं प्रवेश पत्र विद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि-परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र सह प्रमाण पत्रों (7 वीं/9 वीं उत्तीर्ण अंक सूची, जाति, विकलांगता, आय प्रमाण पत्र) एवं प्रवेश पत्र अपने अध्ययनरत विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के पास दिनांक 31 अगस्त 2013 तक जमा करें। बिना प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र संस्था प्रमुख द्वारा स्वीकार न करें।

(D) परीक्षा प्रवेश पत्र – परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र उनके जिले के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा। विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष से परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र प्राप्त कर संबंधित परीक्षार्थी को प्रदान करेंगे।

(E) नामिनल रोल, आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र विद्यालय द्वारा केन्द्र में जमा करने की अंतिम तिथि –

1. विद्यालय के संस्था प्रमुख बिना प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र स्वीकार न करें। आवेदन पत्र एवं प्रमाण-पत्रों की जाँच कर प्रमाणित करें। NTS एवं NMMS के लिए पृथक-पृथक संलग्न-नामिनल रोल प्रारूप में चाही गई जानकारीयों भर कर आवेदन पत्रों के साथ संबंधित केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के पास 10 सितम्बर 2013 तक जमा करें। विलम्ब की स्थिति में प्रतिभागी यदि उक्त परीक्षा से वंचित होता है तो संबंधित संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

2. केन्द्राध्यक्ष बिना प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र स्वीकार न करें। एकीकृत नामिनल रोल (दोनों परीक्षाओं के लिए अलग-अलग) तैयार कर रोल नं.में सरल क्र. (Serial No.) 001 से क्रमशः 999 तक ही आबंटित किया जाना है। संबंधित विद्यार्थी के प्रवेश पत्र में भी Roll No. अंकित कर संबंधित विद्यालयों को प्रदान करें। एकीकृत नामिनल रोल एवं CD (NTS एवं NMMS के लिए पृथक-पृथक) संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., शंकर नगर, रायपुर को 25 सितम्बर 2013 तक अनिवार्यतः जमा करें। विलम्ब की स्थिति में प्रतिभागी परीक्षा से वंचित होता है एवं प्रमाण पत्रों के अभाव में चयन सूची से वंचित होता है तो केन्द्राध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(F) परीक्षा शुल्क – इन परीक्षाओं के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।

(G) परीक्षा का माध्यम – NMMS हिन्दी एवं NTS हिन्दी अथवा अंग्रेजी।

(H) पाठ्यक्रम-NMMS परीक्षा के लिए कक्षा 8 वीं तक एवं NTS परीक्षा के लिए कक्षा 10 वीं तक पाठ्यक्रम।

(I) प्रश्न पत्र – NTSE तथा NMMS दोनों परीक्षाओं के लिए दो प्रश्न पत्र होंगे।

प्रश्न-पत्र प्रथम		कुल प्रश्न	अंक	समय
NTSE	भाग I - बाह्यिक योग्यता परीक्षण (MAT)	50	50	प्रातः 10.00
	भाग II - भाषा: हिन्दी या अंग्रजी (दोनों में से किसी एक को हल करना है)	40	40	से
NMMS	बाह्यिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90	90	11.30 तक
प्रश्न-पत्र द्वितीय		कुल प्रश्न	अंक	समय
NTSE एवं NMMS	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)			दोपहर
	– गणित	20	20	12.30
	– विज्ञान (भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान)	35	35	से
	– सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र)	35	35	2.00 तक

(J) परीक्षा केन्द्र का नाम व केन्द्र का कोड नम्बर (दोनों परीक्षाओं NTSE तथा NMMS के लिए जिलेवार केन्द्र)–

परीक्षा केन्द्र का नाम	कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	कोड
प्रो. जे.एन.पाण्डे शा.बहु.उ.मा.वि., रायपुर	0101	शा.उ.मा.वि., दन्तेवाड़ा	0901
जे. आर.दानी शा.कन्या उ.मा.वि., रायपुर	0102	शा.बहु.उ.मा.वि., जगदलपुर	1001
शा.हिन्दु उ.मा.वि., रायपुर	0103	एम.एल.बी.शा.कन्या बहु.उ.मा.वि., जगदलपुर	1002
मा.सु.शा.कन्या.उ.मा.वि., चौबे कालोनी, रायपुर	0104	शा. बहु.उ.मा.वि., बिलासपुर	1101
शा.कन्या.उ.मा.वि., शांतिनगर, रायपुर	0105	शा.एम.एल.बी कन्या उ.मा.वि., बिलासपुर	1102
शा.उ.मा.वि., रविग्राम, रायपुर	0106	शा. नागोरावशेष उ.मा.वि.,जूना, बिलासपुर	1103
शा.उ.मा.वि., डूमरतराई, रायपुर	0107	शा.बहु.उ.मा.वि., क्रमांक – 2, जॉजगीर	1201
शा.उ.मा.वि., महासमुन्द	0201	शा.उ.मा.वि., क्रमांक – 1, जॉजगीर	1202
शा.आदर्श कन्या उ.मा.वि., महासमुन्द	0202	शा.उ.मा.वि., कोरबा	1301
शा. बालक उ.मा.वि., धमतरी	0301	शा. कन्या (साडा) उ.मा.वि., कोरबा	1302
शा. कन्या उ.मा.वि., धमतरी	0302	शा. बालक उ.मा.वि., बालको, कारबा	1303
शा. नवीन कन्या उ.मा.वि., धमतरी	0303	शा. उ.मा.वि.,एन.टी.पी.सी.,जमनीपाली,कोरबा	1304
नूतन उ.मा.वि., धमतरी	0304	शा.बहु.उ.मा.वि., अम्बिकापुर	1401
नगर पालिका उ.मा.वि., धमतरी	0305	शा.कन्या.उ.मा.वि., अम्बिकापुर	1402
मेनोनाईट हिन्दी उ.मा.वि., धमतरी	0306	शा. आदर्श बालक उ.मा.वि., सूरजपुर	1501
दाजी मरिठी उ.मा.वि., धमतरी	0307	शा. कन्या उ.मा.वि., सूरजपुर	1502
मेनोनाईट इंग्लिश उ.मा.वि., धमतरी	0308	शा.आदर्श रामानुज उ.मा.वि., बैकुण्ठपुर	1601
मॉडल इंग्लिश उ.मा.वि., धमतरी	0309	शा. कन्या उ.मा.वि., मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर	1602
सर्वोदय उ.मा.वि., धमतरी	0310	शा. उ.मा.वि., बलरामपुर	1701
सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि., धमतरी	0311	शा. आदर्श नटवर उ.मा.वि., रायगढ़	1801
शा.बहु.उ.मा.वि., दुर्ग	0401	शा. नवीन कन्या उ.मा.वि., रायगढ़	1802
शा.आदर्श कन्या उ.मा.वि., दुर्ग	0402	शा. कन्या उ.मा.वि., रायगढ़	1803
शा. तिलक कन्या उ.मा.वि., दुर्ग	0403	शा. उ.मा.वि., चक्रधर नगर, रायगढ़	1804
शा.उ.मा.वि., दीपक नगर,, दुर्ग	0404	नगर पालिक निगम उ.मा.वि., रायगढ़	1805
सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल सेक्टर 7, भिलाई, दुर्ग	0405	कार्मेल कन्या उ.मा.वि., रायगढ़	1806
भिलाई विद्यालय सेक्टर 2, भिलाई, दुर्ग	0406	आदर्श सेठ किरोडीमल उ.मा.वि., रायगढ़	1807
महात्मा गाँधी उ.मा.वि., दुर्ग	0407	सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि., रायगढ़	1808
खालसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुर्ग	0408	शासकीय बालक उ.मा.वि., जशपुरनगर	1901
बी.एस.पी.सीनियर से.स्कूल क्र.1,से.-6,भिलाई, दुर्ग	0409	इंदीरा गांधी शा.क.उ.मा.वि.,पत्थलगांव,जशपुर	1902
सनसाइन उ.मा.वि., दुर्ग	0410	शा.कन्या.उ.मा.वि.,आ.जा.क.,कासाबेल, जशपुर	1903
तुलाराम आर्य कन्या उ.मा.वि., दुर्ग	0411	सी.पी.एस.शा.बहु.उ.मा.वि., बलौदाबाजार	2001
दाऊ र.रु.प्रसाद राष्ट्रीय उ.मा.वि., दुर्ग	0412	शास.कन्या उ.मा.वि., बलौदाबाजार	2002
विद्यापीठ उ.मा.वि., दुर्ग	0413	एम.डी.व्ही. शास.उ.मा.वि., बलौदाबाजार	2003
महावीर जैन उ.मा.वि., दुर्ग	0414	गुरुकुल उ.मा.वि., बलौदाबाजार	2004
डी.ए.वी.उ.मा.वी., दुर्ग	0415	शा.उ.मा.वि., सुकमा,	2101
गालिब ममो.उ.मा.वि., भिलाई, दुर्ग	0416	शा.कन्या उ.मा.वि., सुकमा,	2102

शा.आदर्श उ.मा.वि., बेमेतरा	0501	बी.आर.साव शा.बहु.उ.मा.वि., मुंगेली	2201
शा.कन्या उ.मा.वि., बेमेतरा	0502	शा. आदर्श बालक उ.मा.वि., बालोद	2301
शा.बहु.उ.मा.वि., राजनांदगांव	0601	शा. कन्या उ.मा.वि., बालोद	2302
एम.एल.बी.शा.कन्या.उ.मा.वि., राजनांदगांव	0602	शा.प्रोन्नत कन्या. हाई स्कूल, बालोद	2303
डॉ.व.प्र.मिश्र उ.मा.वि., वसंतपुर, राजनांदगांव	0603	सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि., बालोद	2304
ठा.प्यारे लाल सिंह उ.मा.वि., राजनांदगांव	0604	महावीर इंग्लिश मीडियम उ.मा.वि., बालोद	2305
प.पु.बख्शी क.उ.मा.वि., राजनांदगांव	0605	गुरुकुल उ.मा.वि., बालोद	2306
ग.मा.मुक्ति बोध शा.उ.मा.वि. शंकरपुर, राजनांदगांव	0606	संस्कार उ.मा.वि., बालोद	2307
सर्वे दास. न.पा. उ.मा.वि., राजनांदगांव	0607	शा. बालक उ.मा.वि., गरियाबन्द	2401
वेसलियन अं.मा.उ.मा.वि., राजनांदगांव	0608	शा. कन्या उ.मा.वि., गरियाबन्द	2402
शा.उ.मा.वि., कवर्धा	0701	शा. बालक उ.मा.वि., कोण्डागांव	2501
शा. नवीन उ.मा.वि., कवर्धा	0702	शा. उ.मा.वि., तहसीलपारा, कोण्डागांव	2502
शा. नरहरदेव उ.मा.वि., कांकेर	0801	शा. बालक उ.मा.वि., नारायणपुर	2601
शा. कन्या उ.मा.वि., कांकेर	0802	शा. बालक उ.मा.वि., बीजापुर	2701
पं.विष्णु प्रसाद शर्मा उ.मा.वि.गोविन्दपुर, कांकेर	0803	शा. कन्या उ.मा.वि., बीजापुर	2702

(K) दावा आपत्ति – परीक्षा समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर आदर्श उत्तरों को दावा आपत्ति हेतु परिषद् के वेबसाइट www.scert.cg.gov.in पर दिया जाएगा। दावा आपत्ति हेतु 7 दिवस का समय दिया जाएगा।

(L) परीक्षा परिणाम – चयनित विद्यार्थियों की सूची NTSE के लिए राज्य स्तर पर तथा NMMS के लिए जिलेवार घोषित की जावेगी।

(M) पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन – OMR उत्तरशीट का मूल्यांकन टोपोलॉजी पद्धति से ओ.एम.आर. मशीन एवं कम्प्यूटर से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

- नोट :-**
1. आवेदन पत्र परीक्षार्थी से सम्बन्धित विद्यालय में ही जमा करें। **एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर, को भेजे गए आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।**
 2. आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र(जाति, विकलांगता, आय, अंकसूची आदि) संलग्न करना अनिवार्य है।
 3. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

संचालक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
रायपुर (छ.ग.)

नामिनल रोल का प्रारूप

राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (NTS) परीक्षा (कक्षा 10वीं में अध्ययनरत्)/
राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति (NMMS) परीक्षा (कक्षा 8वीं में अध्ययनरत्)

सत्र 2013-2014

(NTS / NMMS परीक्षा के लिए पृथक-पृथक प्रारूप में तैयार करें)

परीक्षा का नाम :- केन्द्र कोड :-

परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला :-

स. क	अनुक्रमांक (केन्द्राध्यक्ष द्वारा आवंटित)	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	सामान्य / पि.व. / अ.जा / अ.ज.जा. / निःशक्त	लिंग बालक / बालिका	अध्ययन रत् शाला का नाम	शाला का प्रकार शासकीय / नगरीय निकाय / अशा. अनुदान प्राप्त / अशा. मान्यता प्राप्त	पिता / पालक की वार्षिक आय संलग्न प्रमाण पत्रानुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
केन्द्राध्यक्ष / संस्था प्रमुख



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय साधन सह प्राविण्य छात्रवृत्ति (NMMS) परीक्षा 2013-14
(कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए)

प्रवेश पत्र

परीक्षा तिथि – 17 नवम्बर 2013

रोल नम्बर	वर्ष		केन्द्र कोड				सरल कर्मांक			
	1	4								
परीक्षा केन्द्र का नाम										
परीक्षार्थी का नाम										
पिता का नाम										
माता का नाम										

परीक्षार्थी का पासपोर्ट
आकार का फोटो,
केन्द्राध्यक्ष
द्वारा अभिप्रमाणित

- निर्देश :
1. OMR उत्तर पत्रक को मोड़े नहीं।
 2. ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं है।
 3. परीक्षा कक्ष में प्रवेश – प्रथम प्रश्न पत्र प्रातः 09:30 एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोपहर 12:00 बजे।
 4. प्रथम प्रश्न पत्र – बौद्धिक योग्यता परीक्षण (MAT), समय प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक।
द्वितीय प्रश्न पत्र – शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT), समय दोपहर 12:30 से 02:00 बजे तक।
 5. OMR उत्तर पत्रक में सभी प्रविष्टियाँ काला/नीला डॉट पेन के द्वारा भरा जाए।
 6. OMR उत्तर पत्रक में गोले को पूर्ण रूप से भरा जाए। ●
 7. OMR उत्तर पत्रक एवं आवेदन पत्र में परीक्षार्थी से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ (जैसे-जाति/विकलांगता का प्रकार/क्षेत्र जहां विद्यालय स्थित है/बालक,बालिका आदि) अति सावधानिपूर्वक परीक्षार्थी द्वारा भरा जावें। अपूर्ण अथवा गलत जानकारी देने की स्थिति में परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
 8. प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर A, B, C, D गोले में होंगे। सही उत्तर को पूर्ण रूप से भरें। ●
 9. प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
केन्द्राध्यक्ष



State Council of Educational Research and Training, Chhattisgarh

APPLICATION FORM

State Level - NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION (NTSE) 2013-2014
(For the Students Studying in Class X)

Last date : 31 August 2013 (Submit in your School)

Exam date : 17 Nov. 2013

परीक्षार्थी का पासपोर्ट
आकार का फोटो,
संस्था प्रमुख द्वारा
अभिप्रमाणित

Roll No.

NTS	State Code	Year	Centre Code	Serial Number
2	3 3	1 4		

↓केन्द्राध्यक्ष द्वारा आवंटित

Date of Birth

Date	Month	Year	Studying in Class

1. Candidate's Name (In English) : _____ (In Hindi) : _____
2. Father's Name (In English) : _____ (In Hindi) : _____
3. Mother's Name (In English) : _____ (In Hindi) : _____

Cross (x) only one of the appropriate box (सम्बन्धित एक ही खाने में कास (X) का चिन्ह लगावें) -

4. Sex - Male Female
5. Residential Area - Rural (ग्रामीण) Urban (शहरी)
6. Cast category - GEN/OBC SC ST
7. Disability Status / विकलांगता का प्रकार - Orthopedic / अस्थि बाधित
Hearing Impaired / श्रवण बाधित
Visually Impaired / दृष्टि बाधित
Blind / दृष्टि हीन

* Attach certificates if you belongs to SC / ST and Sr. No. 7

8. Postal address for correspondence : _____
Pin Code _____
9. Name & address of School in which studying at X level : _____
Pin Code _____

10. Type of School in which studying at Class X
Government / शासकीय Private aided / अशा. अनुदान प्राप्त
Local Body/नगरीय निकाय Private Unaided/अशा.गैर अनुदान प्राप्त
11. School located : Rural (ग्रामीण) Urban (शहरी)

For filling in boxes in Sr. No. 12 to 16 see Code No. mentioned below -

12. Medium of examination : English Hindi
13. Father's education : _____
14. Father's occupation : _____
15. Mother's education : _____
16. Mother's occupation : _____
17. No. of family members : _____
18. No. of brothers : _____
19. No. of sisters : _____
20. At what number is the candidate among his/her brother and sisters (भाई, बहनों में परीक्षार्थी का क्रम संख्या) : _____
21. Parental annual income : Up to 50,000 1,00,001 to 1,50,000 2,00,001 to 2,50,000
50,001 to 1,00,000 1,50,001 to 2,00,000 More than 2,50,000
22. Mobile No. _____ E-mail address _____

To be filled in by the Head of the Institution

Certified that Master/Missson/daughter of Shri /Smt.....
is regular student of Class X in this School. He/she belong to(GEN/OBC/SC/ST) as per the records maintained in
the Institution. The particulars given by him/her in the application form have been verified and found in order.

* Code No. to be fill in boxes Sr. No. 12 to 16 *

Medium of Examination : English - 13 Hindi - 15	Code
Education of Father or Mother	
Up to Primary	1
Upper Primary	2
Secondary	3
Senior Secondary	4
Graduation	5
Post graduation	6
Doctoral	7
Professional degree (Engineering, Medicine, MCA, MBA, Law etc.)	8
Any other	9

Signature with seal
Head of the Institution

Occupation of Father or Mother	Code
Professional, Technical and Related Worker	1
Administrative, Executive and Managerial Worker	2
Clerical & Related Worker	3
Sales/Service Worker	4
Farmer, fisherman & Related Worker	5
Production & related Worker, Transport	6
Semi Skiled Labourer Worker	7
Not employed	8



State Council of Educational Research and Training, Chhattisgarh

राज्य स्तरीय- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) 2013-14
(State Level - NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION)
(कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

प्रवेश पत्र

परीक्षा तिथि - 17 नवम्बर 2013

Roll No. :

NTS	State Code	Year	Centre Code	Serial Number
2	3	3	1	4

↓केन्द्राध्यक्ष द्वारा आवंटित

Centre of Examination :

Candidate's Name :

Father's Name :

Mother's Name :

परीक्षार्थी का पासपोर्ट
आकार का फोटो,
केन्द्राध्यक्ष
द्वारा अभिप्रमाणित

निर्देश :

1. OMR उत्तर पत्रक को मोड़े नहीं।
2. ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं है।
3. परीक्षा कक्ष में प्रवेश - प्रथम प्रश्न पत्र प्रातः 09:30 एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोपहर 12:00 बजे।
4. प्रथम प्रश्न पत्र - भाग (एक) बौद्धिक योग्यता परीक्षण (MAT) एवं भाग (दो) भाषा (LANGUAGE) :
हिन्दी अथवा अंग्रेजी, समय प्रातः 10:00 से 11:30 बजे तक।
द्वितीय प्रश्न पत्र - शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT), समय दोपहर 12:30 से 02:00 बजे तक।
5. OMR उत्तर पत्रक में सभी प्रविष्टियाँ काला/नीला डॉट पेन के द्वारा भरा जाए।
6. OMR उत्तर पत्रक में गोले को पूर्ण रूप से भरा जाए। ●
7. OMR उत्तर पत्रक एवं आवेदन पत्र में परीक्षार्थी से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ (जैसे-जाति/विकलांगता का प्रकार/क्षेत्र जहां विद्यालय स्थित है/बालक,बालिका आदि) अति सावधानीपूर्वक परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे।
अपूर्ण अथवा गलत जानकारी देने की स्थिति में परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर A, B, C, D गोले में होंगे। सही उत्तर को पूर्ण रूप से भरें। ●
9. प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
केन्द्राध्यक्ष

NTS -NMMS परीक्षा सत्र 2013-14

जिलेवार केन्द्र

जिला	स.क्र.	परीक्षा केन्द्र का नाम	केन्द्र कोड
रायपुर	1	प्रो. जे.एन.पाण्डे शा.बहु.उ.मा.वि., रायपुर	0101
	2	जे. आर.दानी शा.कन्या उ.मा.वि., रायपुर	0102
	3	शा.हिन्दु उ.मा.वि., रायपुर	0103
	4	मा.सु.शा.कन्या.उ.मा.वि.,चौबे कालोनी, रायपुर	0104
	5	शा.कन्या.उ.मा.वि., शांतिनगर, रायपुर	0105
	6	शा.उ.मा.वि., रविग्राम, रायपुर	0106
	7	शा.उ.मा.वि., डूमरतराई, रायपुर	0107
महासमुन्द	8	शा.उ.मा.वि., महासमुन्द	0201
	9	शा.आदर्श कन्या उ.मा.वि., महासमुन्द	0202
धमतरी	10	शा. बालक उ.मा.वि., धमतरी	0301
	11	शा. कन्या. उ.मा.वि., धमतरी	0302
	12	शा. नवीन कन्या उ.मा.वि., धमतरी	0303
	13	नूतन उ.मा.वि., धमतरी	0304
	14	नगर पालिका उ.मा.वि., धमतरी	0305
	15	मेनोनाईट हिन्दी उ.मा.वि., धमतरी (अनुदान प्राप्त)	0306
	16	दाजी मरिठी उ.मा.वि., धमतरी (अनुदान प्राप्त)	0307
	17	मेनोनाईट इंग्लिश उ.मा.वि., धमतरी (अशाकीय)	0308
	18	मॉडल इंग्लिश उ.मा.वि., धमतरी (अशासकीय)	0309
	19	सर्वोदय उ.मा.वि., धमतरी (अशासकीय)	0310
	20	सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि., धमतरी (अशासकीय)	0311
दुर्ग	21	शा.बहु.उ.मा.वि., दुर्ग	0401
	22	शा.आदर्श कन्या उ.मा.वि., दुर्ग	0402
	23	शा. तिलक कन्या उ.मा.वि., दुर्ग	0403
	24	शा.उ.मा.वि., दीपक नगर,, दुर्ग	0404
	25	सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल सेक्टर 7, भिलाई,	0405
	26	भिलाई विद्यालय सेक्टर 2, भिलाई, दुर्ग	0406
	27	महात्मा गाँधी उ.मा.वि., दुर्ग	0407
	28	खालसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुर्ग	0408
	29	बी.एस.पी.सीनियर से.स्कूल क्र.1,से.-6,भिलाई,	0409
	30	सनसाइन उ.मा.वि., दुर्ग	0410
	31	तुलाराम आर्य कन्या उ.मा.वि., दुर्ग	0411
	32	दाऊ र.रु.प्रसाद राष्ट्रीय उ.मा.वि., दुर्ग	0412
	33	विद्यापीठ उ.मा.वि., दुर्ग	0413
	34	महावीर जैन उ.मा.वि., दुर्ग	0414
	35	डी.ए.वी.उ.मा.वी., दुर्ग	0415
	36	गालिब ममो.उ.मा.वि., भिलाई,दुर्ग	0416
बेमेतरा	37	शा.आदर्श उ.मा.वि., बेमेतरा	0501
	38	शा.कन्या उ.मा.वि., बेमेतरा	0502

राजनांदगांव	39	शा.बहु.उ.मा.वि., राजनांदगांव	0601
	40	एम.एल.बी.शा.कन्या.उ.मा.वि., राजनांदगांव	0602
	41	डॉ.व.प्र.मिश्र उ.मा.वि., वसंतपुर, राजनांदगांव	0603
	42	ठा.प्यारे लाल सिंह उ.मा.वि., राजनांदगांव	0604
	43	प.पु.बख्शी क.उ.मा.वि., राजनांदगांव	0605
	44	ग.मा.मुक्ति बोध शा.उ.मा.वि शंकरपुर, राजनांदगांव	0606
	45	सर्वे दास. न.पा. उ.मा.वि., राजनांदगांव	0607
	46	वेसलियन अं.मा.उ.मा.वि., राजनांदगांव	0608
कवर्धा	47	शा.उ.मा.वि., कवर्धा	0701
	48	शा. नवीन उ.मा.वि., कवर्धा	0702
कांकेर	49	शा. नरहरदेव उ.मा.वि., कांकेर	0801
	50	शा. कन्या उ.मा.वि., कांकेर	0802
	51	पं.विष्णु प्रसाद शर्मा उ.मा.वि.(गोविन्दपुर), कांकेर	0803
दन्तेवाड़ा	52	शा.उ.मा.वि., दन्तेवाड़ा	0901
बस्तर	53	शा.बहु.उ.मा.वि., जगदलपुर	1001
	54	एम.एल.बी.शा.कन्या बहु.उ.मा.वि., जगदलपुर	1002
बिलासपुर	55	शा. बहु.उ.मा.वि., बिलासपुर	1101
	56	शा.एम.एल.बी कन्या उ.मा.वि., बिलासपुर	1102
	57	शा. नागोरावशेष उ.मा.वि., जूना, बिलासपुर	1103
जॉजगीर- चांपा	58	शा.बहु.उ.मा.वि., क्रमांक - 2, जॉजगीर	1201
	59	शा.उ.मा.वि., क्रमांक - 1, जॉजगीर	1202
कोरबा	60	शा.उ.मा.वि., कोरबा	1301
	61	शा. कन्या उ.मा.वि., कोरबा	1302
	62	शा. बालक उ.मा.वि., बालको, कोरबा	1303
	63	शा. उ.मा.वि., एन.टी.पी.सी., जमनीपाली, कोरबा	1304
अम्बिकापुर (सरगुजा)	64	शा.बहु.उ.मा.वि., अम्बिकापुर	1401
	65	शा.कन्या.उ.मा.वि., अम्बिकापुर	1402
सूरजपुर	66	शा. आदर्श बालक उ.मा.वि., सूरजपुर	1501
	67	शा. कन्या उ.मा.वि., सूरजपुर	1502
कोरिया (बैकुण्ठपुर)	68	शा.आदर्श रामानुज उ.मा.वि., बैकुण्ठपुर	1601
	69	शा. कन्या उ.मा.वि., मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर	1602
बलरामपुर	70	शा. उ.मा.वि., बलरामपुर	1701
रायगढ़	71	शा. आदर्श नटवर उ.मा.वि., रायगढ़	1801
	72	शा. नवीन कन्या उ.मा.वि., रायगढ़	1802
	73	शा. कन्या उ.मा.वि., रायगढ़	1803
	74	शा. उ.मा.वि., चक्रधर नगर, रायगढ़	1804
	75	नगर पालिक निगम उ.मा.वि., रायगढ़	1805
	76	कार्मेल कन्या उ.मा.वि., रायगढ़	1806
	77	आदर्श सेठ किरोड़ीमल उ.मा.वि., रायगढ़	1807
	78	सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि., रायगढ़	1808

जशपुरनगर	79	शासकीय बालक उ.मा.वि., जशपुरनगर	1901
	80	इंदीरा गांधी शा.क.उ.मा.वि., पत्थलगांव,जशपुर	1902
	81	शा.कन्या.उ.मा.वि.,आ.जा.क., कासाबेल, जशपुर	1903
बलौदाबाजार	82	सी.पी.एस.शा.बहु.उ.मा.वि., बलौदाबाजार	2001
	83	शास.कन्या उ.मा.वि., बलौदाबाजार	2002
	84	एम.डी.व्ही. शास..उ.मा.वि., बलौदाबाजार	2003
	85	गुरुकुल उ.मा.वि., बलौदाबाजार	2004
सुकमा	86	शा.उ.मा.वि., सुकमा,	2101
	87	शा.कन्या उ.मा.वि., सुकमा,	2102
मुंगेली	88	बी.आर.साव शा.बहु.उ.मा.वि., मुंगेली	2201
बालोद	89	शा. आदर्श बालक उ.मा.वि., बालोद	2301
	90	शा. कन्या उ.मा.वि., बालोद	2302
	91	शा.प्रोन्नत कन्या. हाई स्कूल, बालोद	2303
	92	सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि., बालोद	2304
	93	महावीर इंग्लिश मीडियम उ.मा.वि., बालोद	2305
	94	गुरुकुल उ.मा.वि., बालोद	2306
	95	संस्कार उ.मा.वि., बालोद	2307
गरियाबन्द	96	शा. बालक उ.मा.वि., गरियाबन्द	2401
	97	शा. कन्या उ.मा.वि., गरियाबन्द	2402
कोण्डागांव	98	शा. बालक उ.मा.वि., कोण्डागांव	2501
	99	शा. उ.मा.वि., तहसीलपारा, कोण्डागांव	2502
नारायणपुर	100	शा. बालक उ.मा.वि., नारायणपुर	2601
बीजापुर	101	शा. बालक उ.मा.वि., बीजापुर	2701
	102	शा. कन्या उ.मा.वि., बीजापुर	2702



विज्ञप्ति

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय-देहरादून के जनवरी -2014 के सत्र में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून के जनवरी 2014 के सत्र में आठवी कक्षा में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा 01 शनिवार और 02 रविवार, जून 2013 को देश के चुने हुये केन्द्रों में होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में परीक्षा केन्द्र प्रो.जे.एन.पाण्डेय शास.बहु.उ.मा.विद्यालय, नलघर चौक, रायपुर होगा। उम्मीदवारों की परीक्षा निम्नलिखित विषयों में ली जायेगी :-

क्र.	विषय	अधिकतम अंक	तिथि	समय
1.	अंग्रेजी की लिखित परीक्षा	125 अंक	01 जून 2013, शनिवार	प्रातः 10 से 12 बजे तक
2	गणित की लिखित परीक्षा	200 अंक	01 जून 2013, शनिवार	दोपहर 14.00 से 15.30 बजे तक
3	सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा	75 अंक	02 जून 2013, रविवार	प्रातः 10 से 11 बजे तक
4	साक्षात्कार— इसमें मुख्यतः उम्मीदवार की बुद्धि, व्यक्तित्व आदि की परीक्षा ली जायेगी (अंग्रेजी में प्रवीणता की जाँच नहीं की जायेगी)	50 अंक (केवल लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिये)	07 अक्टूबर 2013, सोमवार	

टीप:- साक्षात्कार केवल उन्हीं उम्मीदवारों का होगा जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे।

सामान्य ज्ञान व गणित के प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों एवं साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार किसी भी एक प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे प्रवेश के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। उम्मीदवारों के चयन योग्यता क्रम के आधार पर किया जावेगा।

शैक्षणिक योग्यता:- प्रवेश के समय उम्मीदवार को किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में सातवीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए या सातवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका हों।

आयुसीमा:- उम्मीदवार की आयुसीमा 01 जनवरी 2014 को 11^{1/2} से कम और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02 जुलाई 2001 के पहले और 01 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिये।

कोरा आवेदन पत्र मंगाने की विधि:— आवेदन पत्र तथा विवरण पत्रिका के लिए 400/— (चार सौ रू.) (स्पीड पोस्ट के द्वारा मांगने हेतु 450/—) (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये 355/— रू.) (तीन सौ पचपन रू.) (स्पीड पोस्ट के द्वारा मांगने हेतु 405/—) का बैंक ड्राफ्ट, "कमाण्डेंट राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तेल भवन, कोड नं. 01576, देहरादून" के नाम से पत्र भेज कर प्राप्त किया जा सकता है। इसे रजिस्टर्ड पार्सल से भेजा जावेगा।

पता:— कमाण्डेंट राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून कैंन्ट, उतरांचल, 248001।

नोट:— केवल राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय से प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। बाजार से मिलने वाले या फोटोकापी किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।

भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की विधि/स्थान एवं अंतिम तिथि:—

पूर्ण रूप से भरा आवेदन पत्र दो प्रतियों में तीन पासपोर्ट आकार के प्रमाणित फोटो एवं रू. 25 के पोस्टल टिकट लगे हुए एक लिफाफे के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न कर बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक से सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, नया मंत्रालय भवन, नया रायपुर अथवा संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, डाइट कैम्पस, शंकर नगर, रायपुर में 31 मार्च 2013 तक कार्यालयीन समय में अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

(अनिल राय)

संचालक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
छत्तीसगढ़, रायपुर



विज्ञान पहेली प्रतियोगिता 2013-14

छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिक की परिषद्, रायपुर के सौजन्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर द्वारा विज्ञान पहेली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है:-

A. पात्रता:- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मान्यता प्राप्त उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत ऐसे सभी विद्यार्थी जो पिछली परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हों। इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

B. प्रक्रिया:-

1. यह प्रतियोगिता तीन चरणों (जिला, जोन एवं राज्य स्तर) में आयोजित की जाएगी।
2. प्रत्येक चरण में लिखित परीक्षा आयोजित होगी।
3. जिला स्तर की प्रतियोगिता हेतु प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केन्द्र निर्धारित है। जिसकी सूची आगे दी गई है।
4. जिला स्तर की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट निर्माण कर प्रत्येक जिले से प्रथम 20 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा। जो द्वितीय चरण (जोन स्तर) की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखेंगे। जोन स्तर की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट निर्माण कर प्रत्येक जोन से प्रथम 10 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा, जो राज्य स्तर की परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। राज्य स्तर में प्रत्येक जोन के दो-दो विद्यार्थियों को मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन कर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

C. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि:-

पात्र विद्यार्थी इस विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र 23 अगस्त 2013 तक अपनी शाला के प्राचार्य के पास जमा करेंगे। स्कूल के प्राचार्य समस्त आवेदन पत्रों की सूची और नामिनल रोल बनाकर जिले के परीक्षा केन्द्र में दिनांक 30 अगस्त 2013 तक जमा करेंगे। जिला के परीक्षा केन्द्र द्वारा संबंधित सभी विकासखंड की सूची एक-जाई कर रोल नम्बर आबंटित कर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को नामिनल रोल एवं सी.डी. भेजने की अंतिम तिथि 10 सितम्बर 2013 है।

- D. पाठ्यक्रम:-** इस प्रतियोगिता के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है अपितु प्रश्नों का स्तर कक्षा 10वीं के समकक्ष होगा।
- E. परीक्षा:-** परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 75 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक शास्त्र, रसायन एवं जीव-विज्ञान प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न होंगे।
- F. परीक्षा का माध्यम:-** परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
- G. पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।**

H. परीक्षा दिनांक:—

1. जिला स्तर की परीक्षा जिले के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में दिनांक 05 अक्टूबर 2013 को आयोजित की जावेगी।
2. जोन स्तर की परीक्षा जोन स्तर पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में 16 दिसम्बर 2013 को आयोजित की जावेगी।
3. राज्य स्तर की परीक्षा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर, रायपुर में दिनांक 17 जनवरी 2014 को आयोजित की जावेगी।

I. परीक्षा का समय:— प्रत्येक स्तर पर परीक्षा का समय दोपहर 11.00 बजे से 12.30 बजे तक।

J. आवेदनकर्त्ता को आवेदन पत्र के साथ प्राचार्य द्वारा प्रमाणित पूर्व कक्षा की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

K. परीक्षा परिणाम:— जिला स्तर का परीक्षा परिणाम जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय अथवा संबंधित जिले के परीक्षा केन्द्रों में दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को देखे जा सकेंगे। जोन स्तर के परीक्षा परिणाम जोन स्तर के लिए निर्धारित केन्द्रों में दिनांक 12 जनवरी 2014 तक देखे जा सकेंगे।

L. परीक्षा प्रवेश पत्र तथा अनुक्रमांक:— परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र तथा अनुक्रमांक उनके जिले के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा। विद्यालय के प्राचार्य निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष से परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। अनुक्रमांक आबंटन हेतु कुल 7 खाने हैं। प्रथम दो खाने में वर्ष भरे जायेंगे, उसके बाद के दो खाने में जिलाकेन्द्र का कोड भरा जायेगा, पश्चात् के तीन खाने में अनुक्रमांक यथा 001, 002, 003, भरें जाएंगे।

नोट:— परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। परिषद को भेजे गये आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। इससे संबंधित जानकारी परिषद के वेबसाइट www.scert.cg.gov.in में उपलब्ध है।

परीक्षा केन्द्रों की सूची

1. जिला स्तर के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची:-

क्र.	केन्द्र कोड	विद्यालय का नाम
1	01	प्रो.जे. एन. पाण्डेय, शास. बहु.उ.मा.शाला. रायपुर
2	02	शास.बालक उच्च.माध्य. विद्यालय, गरियाबंद
3	03	शास.बालक उ.मा.विद्यालय, बलौदाबाजार
4	04	शास. उ.मा.वि., महासमुंद
5	05	शास. बहु.उ.मा.वि., दुर्ग
6	06	शास. बहु.उ.मा. विद्यालय, राजनांदगांव
7	07	शास. आदर्श.उ.मा. विद्यालय, (बालक), बालोद
8	08	शास. बहु.उ.मा. विद्यालय, बिलासपुर
9	09	शास. बहु.उ.मा. विद्यालय, कोरबा
10	10	शास. बहु.उ.मा. विद्यालय, जांजगीर-चांपा
11	11	स्वामी करपात्रीजी शास.उ.मा.विद्यालय, कबीरधाम
12	12	बी.आर.साव शा.उ.मा. विद्यालय, मंगुली
13	13	शास. आदर्श.उ.मा. विद्यालय, बेमेतरा
14	14	शास. बहु.उ.मा. विद्यालय, जगदलपुर
15	15	शास. बालक.उ.मा. विद्यालय, कोण्डागांव
16	16	शास. नरहरदेव.उ.मा. विद्यालय, कांकेर
17	17	डॉ. शोभाराम देवांगन शास.उ.मा.विद्यालय, धमतरी
18	18	शास. बालक उ.मा. विद्यालय, नारायणपुर
19	19	शास. बहु. उ.मा. विद्यालय, दंतेवाड़ा
20	20	शास. उ.मा. विद्यालय, सुकमा
21	21	शास. कन्या उ.मा.वि., बीजापुर
22	22	शास. बहु. उ.मा. विद्यालय, अंबिकापुर
23	23	शास. बहु. उ.मा. विद्यालय, बैकुण्ठपुर (कोरिया)
24	24	शास. उ.मा. विद्यालय, बलरामपुर
25	25	शास. आदर्श उ.मा. विद्यालय, सूरजपुर
26	26	शास. नटवर बहु. उ.मा.विद्यालय, रायगढ़
27	27	शास. बालक उ.मा.विद्यालय, जशपुरनगर

2. जोन स्तर प्रतियोगिता हेतु केन्द्र परीक्षा एवं इससे संबंधित जिले:-

क्र.	जोन	प्रतियोगिता स्थल	संबंधित जिले
1	रायपुर	प्रो.जे. एन. पाण्डेय, शास. बहु.उ.मा.शाला. रायपुर	रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद
2	दुर्ग	शास. बहु.उ.मा.विद्यालय, दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद
3	बिलासपुर	शास. बहु.उ.मा. विद्यालय बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा
4	कवर्धा	स्वामी कर पात्री जी शास. बहु.उ.मा.विद्यालय, कबीरधाम	कवर्धा, मंगुली, बेमेतरा
5	जगदलपुर	शास. बहु.उ.मा. विद्यालय, जगदलपुर	जगदलपुर, कोण्डागांव
6	कांकेर	शास. नरहरदेव.उ.मा. विद्यालय, कांकेर	कांकेर, धमतरी, नारायणपुर
7	दंतेवाड़ा	शास. बहु. उ.मा. विद्यालय, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर
8	अंबिकापुर	शास. बहु. उ.मा. विद्यालय, अंबिकापुर	अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर
9	रायगढ़	शास. नटवर बहु. उ.मा.विद्यालय, रायगढ़	रायगढ़, जशपुरनगर

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.,छ.ग.,

रायपुर

प्रवेश पत्र का प्रारूप
विज्ञान पहेली प्रतियोगिता 2013-14

अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी
अपने पासपोर्ट
आकार का फोटो
लगायें, प्राचार्य
इसे प्रमाणित करें

1. केन्द्र का नाम :
2. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
3. अंग्रेजी (केपिटल लेटर में):
4. परीक्षार्थी के पिता का नाम :
5. परीक्षार्थी का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी :
6. पत्र व्यवहार का पता :
.....
.....
.....

केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर
पद मुद्रा व दिनांक

नोट:-

1. परीक्षार्थी द्वारा पूर्व कक्षा की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
2. अनुक्रमांक जिले के निर्धारित परीक्षा केन्द्र द्वारा दिया जायेगा। प्रथम दो खानों में वर्ष, कोड, बाद के दो खानों में जिला कोड तथा अंतिम तीनों खानों का उपयोग कर विद्यार्थी का अनुक्रमांक लिखा जावे।
3. उत्तर पत्रक के लिए निर्देश:-
 - 1) प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर में से सही वाले गोले को बालपाइंट पेन से धब्बा (●) बनायें।
 - 2) प्रश्न बदलने की चेष्टा ना करें।
 - 3) ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
 - 4) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर को आवेदन न भेजे।

आवेदन का प्रारूप
विज्ञान पहेली प्रतियोगिता 2013-14

अनुक्रमांक -

	वर्ष		जिला कोड		सरल क्रमांक	
1	3					

परीक्षार्थी अपने पासपोर्ट आकार का फोटो लगायें, प्राचार्य इसे प्रमाणित करें।

1. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
- अंग्रेजी (केपिटल लेटर में) :
2. पिता का नाम (हिन्दी में) :
3. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
4. जन्म तिथि अंको में :
5. लिंग पुरुष/महिला :
6. पत्र व्यवहार का पता :
-
-
7. विद्यालय का नाम एवं पता :
- जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है :
8. पूर्व परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत :
9. परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी :
10. परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर :
-
-
1. जिला स्तर में :
2. जोन स्तर में :

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

विद्यालय के प्राचार्य का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री
 आत्मज श्री इस विद्यालय में सत्र 2013-14 में कक्षा
 का नियमित विद्यार्थी है। शाला अभिलेख के अनुसार इनकी जन्मतिथि है। सत्र
 2012-13 में कक्षा में इन्होंने वार्षिक परीक्षा में प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं।

प्राचार्य के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

नामिनल रोल का प्रारूप

विद्यालय का नाम.....

जिला

क्र.	रोल नम्बर	नाम	पिता का नाम	जाति	जन्मतिथि	अध्ययर्त् कक्षा	कक्ष 8वीं/9वीं के प्राप्तकों का प्रतिशत	विद्यालय का नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	BSNL	कक्ष क्रमांक
एकेडमिक स्टाफ				
1	श्री अनिल राय	संचालक	7587499900	103
2	श्री ए.लकड़ा	संयुक्त संचालक (प्रशा.)	7587499901	108
3	श्री आर.सी. साहू	लेखा अधिकारी (वित्त)	7587499902	105
4	श्री आर.एन सिंह	उपसंचालक (प्राध्यापक)		
5	सुश्री क्रिस्टिना बखला	उपसंचालक (प्राध्यापक)	7587499904	106
6	श्री आर.के.वर्मा	सहायक प्राध्यापक	7587499913	207
7	श्री आर.एस.बघेल	सहायक प्राध्यापक	7587499909	304
8	श्री एन.के. प्रधान	सहायक संचालक	7587499911	202
9	श्रीमती एस.एन. अली	सहायक प्राध्यापक	7587499937	314
10	डॉ. नीलम अरोरा	सहायक प्राध्यापक	7587499923	204
11	श्रीमती ज्योति चक्रवर्ती	सहायक प्राध्यापक	7587499933	201
12	श्री बी.पी.तिवारी	सहायक प्राध्यापक	7587499924	202
13	डॉ. टी.पी.देवांगन	सहायक प्राध्यापक	7587499925	309
14	श्री यू.के.चक्रवर्ती	सहायक प्राध्यापक	7587499922	205
15	श्रीमती ए.नलगुण्डवार	सहायक प्राध्यापक	7587499926	201
16	श्री आलोक शर्मा	सहायक प्राध्यापक	7587499919	303
17	श्री सी.बी.बगरिया	सहायक प्राध्यापक	7587499931	204
18	डॉ. सुधीर श्रीवास्तव	सहायक प्राध्यापक	7587499928	212
19	डॉ. विद्यावती चंद्राकर	सहायक प्राध्यापक	7587499942	202
20	सुश्री अनिता श्रीवास्तव	सहायक प्राध्यापक	7587499943	206
21	श्री दीपांकर भौमिक	सहायक प्राध्यापक	7587499932	114
22	सुश्री आई.संध्या रानी	सहायक प्राध्यापक	7587499929	314
23	श्रीमती पूर्णा श्री राऊत	सहायक प्राध्यापक	7587499908	312
24	श्रीमती आभा झा	सहायक प्राध्यापक	7587499940	207
25	श्रीमती जोली जोन्सा	सहायक प्राध्यापक	7587499941	207
26	श्रीमती कल्पना देशमुख	व्याख्याता	7587499945	304
27	डॉ. एम. सुधीश	व्याख्याता	7587499921	307
28	श्री सुशील राठौड़	व्याख्याता	7587499939	306
29	श्रीमती विद्या डांगे	व्याख्याता	7587499938	206
30	श्री बी.रघु कुमार	व्याख्याता	7587499920	207
31	श्री नितिन कुमार तलोकर	व्याख्याता	7587499910	204
32	श्री के.के.साहू	व्याख्याता	7587499934	304
33	श्री हेमंत कुमार साव	व्याख्याता	7587499912	203
34	श्री संतोष कुमार तम्बोली	व्याख्याता	7587499903	203
35	श्री प्रसुन्न सरकार	व्याख्याता	7587499927	309
36	श्री डी.दर्शन	व्याख्याता	7587499936	314
37	श्री सच्चिदानंद शास्त्री	ग्रंथपाल (उ.व.शि.)	7587499918	211
38	श्री डेकेश्वर प्रसाद वर्मा	प्रधान पाठक	7587499935	205
39	श्री सुनील मिश्रा	सहायक शिक्षक	7587499930	110

ई.सी.सी.ई.

1	श्रीमती मधुदानी	शिक्षिका	7587499957	110
---	-----------------	----------	------------	-----

मिनिस्ट्रीयल स्टाफ

1	श्री बी.एल.निषाद	लेखापाल	7587499914	111
2	श्री नरेन्द्र वर्मा	लेखापाल	7587499915	111
3	सुश्री डी.सिंह	लेखापाल	7587499916	110
4	श्री व्ही.एस.ठाकुर	सहायक ग्रेड-2	7587499950	111
5	श्रीमती रानी भार्गव	सहायक ग्रेड-2	7587499917	314
6	श्रीमती सरला झा	सहायक ग्रेड-2	7587499958	110
7	श्री एस.के. सामंत राय	सहायक ग्रेड-2		
8	श्री सतीश विश्वकर्मा	सहायक ग्रेड-2	7587499944	110
9	श्री एन.ए.ईराकी	सहायक ग्रेड-2	7587499961	111
10	श्री राजेश शर्मा	सहायक ग्रेड-3	7587499946	
11	श्री रमाकांत शर्मा	सहायक ग्रेड-3	7587499947	
12	श्री अहमद बेग	सहायक ग्रेड-3	7587499948	110
13	श्री दिनेश मिश्रा	सहायक ग्रेड-3	7587499949	205
14	श्री बसंत कुमार सोनकर	सहायक ग्रेड-3	7587499953	111
15	श्री रामकुमार साहू	सहायक ग्रेड-3	7587499954	
16	श्री रामेश्वर प्रसाद देवांगन	सहायक ग्रेड-3	7587499951	
17	श्रीमती सुबरनी बाई	भृत्य		
18	श्रीमती सम्पूर्णावती देहारी	भृत्य	7587499959	
19	श्री नरेश छत्रपति	चौकीदार	7587499971	
20	श्री दिलीप कुमार यादव	चौकीदार	7587499968	

सविदा

1	श्री मोहम्मद अमीन	इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन	7587499966	114
2	श्री वितेन्द्र पाणीग्रही	कैमरा मैन	7587499967	114
3	श्री मोहम्मद अरशद खान	कैयर टेकर	7587499955	
4	श्री कृष्णा कुमार चतुर्वेदी	भृत्य	7587499970	
5	श्री प्रीतम सिंह धुव	भृत्य	7587499969	

दूरस्थ शिक्षा

1	श्री जौहरी जी	लेखापाल	7587499968	202
2	श्री दिलीप विश्वकर्मा	प्रोग्रामर	7587499973	202
3	श्री दिवाकर निमजे	सहा.प्रोग्रामर	7587499974	202
4	श्री सुरेश कुमार साहू	डाटाएण्ट्री आपरेटर	7587499975	205
5	श्री दिपक तिवारी	डाटाएण्ट्री आपरेटर	7587499976	202
6	श्री रंजीत साहू	हार्डवेयर वर्क	7587499895	202
7	कु. मिनाक्षी तिवारी	कम्प्यूटर ऑपरेटर		202

दूरभाष की जानकारी

विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग
विभागाध्यक्ष का नाम संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

क्र.	कार्यालय का नाम	अधिकारी जिसे आबंटित है	दूरभाष नंबर		दूरभाष की संख्या	रिमार्क
			कार्यालय	निवास		
1.	रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परि	संचालक	0771-2443596		1	
		संयुक्त संचालक	0771-2442241		1	
अधीनस्थ कार्यालय						
1	शा.शि.महा.रायपुर	प्राचार्य	0771-2443796		1	
2	शा.शि.महा.बिलासपुर	प्राचार्य	07752-228558		1	
3	बी.टी.आई.बिलासपुर	प्राचार्य	07752-231412		1	
4	डाइट रायपुर	प्राचार्य	0771-2442514		1	
5	डाइट बेमेतरा	प्राचार्य	07824-222373		1	
6	डाइट खैरागढ़	प्राचार्य	07820-234204		1	
7	डाइट बस्तर	प्राचार्य	07782-262264		1	
8	डाइट पेण्ड्रा	प्राचार्य	07751-224718		1	
9	डाइट धर्मजयगढ़	प्राचार्य	07766-266250		1	
10	डाइट अम्बिकापुर	प्राचार्य	07744-230799		1	
11	डाइट नगरी	प्राचार्य	07700-251532		1	
12	डाइट जशपुर	प्राचार्य	07763-223319		1	
13	डाइट कांकेर	प्राचार्य	07868-224544		1	
14	डाइट महासमुंद	प्राचार्य	07723-224781		1	
15	डाइट जांजगीर	प्राचार्य	07817-224081		1	
16	डाइट कोरिया	प्राचार्य	07836-233561		1	
		योग				

संयुक्त संचालक (वित्त)